अध्याय 3

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम,197

The copy right act 1957

प्रतिलिप्यधिकार (copy right)

यह एक प्रकार का अधिकार है जिसके तहत किसी लेखक या रचनाकार को उसके कार्य के कापी, वितरण एवं उपयोगी का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कापी राइट अधिकार के तहत सुरक्षित रचना का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति तब तक नही कर सकता जब तक वह रचनाकार से अनुमति नही ले लेता है।

आमतौर पर रचना को कापीराइट सुरक्षित करने के लिए किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नही है। केवल रचनाकार का नाम एवं रचनावर्ष में सुरक्षित हो जाती है। वैसे भारतीय सविंधान के कापीराइट एक्ट 1957, नौं जनवरी 1958से कार्य रूप में आया, जिसका छः बार संशोधन हो चुका है। (1983,1984,1992,1994, 1999 और 2012) के तहत किसी रचना के रजिस्ट्रेशन का आवेदन फार्म को भरकर, निर्धारित शुल्क के साथ शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के कापीराइट कार्यालय में जमा किया जा सकता है। इस प्रक्रिया पूर्ण होने पर रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जा सकता है यह रजिस्ट्रेशन रचनाकार के जीवन पर्यंत तथा तत्पश्चात् पचास वर्षों तक मान्य रहता है।

प्रतिलिप्याधिकार का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and difinition copyright)

प्रतिलिप्याधिकार शब्द की उत्पत्ति'' शब्दों का प्रतिलिपिक'' (Copier of words) पद से हुई है। ''प्रतिलिपि'' शब्द लगभग 1485 ईस्वी के दौरान प्रचलन में आया जब मुद्रण–यंत्र का आविष्कार हुआ और पाण्डुलिपि या मुद्रण के लिये तैयार अन्य सामग्रियों के लिये उसका प्रयोग किया जाने लगा। ''प्रतिलिपि'' से अनुलिपि, अनुकृति, मौलिक लेखन, रंगचित्र, लिखित, आदि का पुनरूत्पादन अभिप्रेत है। इस प्रकार प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण को 15वीं शताब्दी में मान्यता दिये जाने की बात आरम्भ हुई, जिसने इस धारणा को कि रचयिता को उसकी कृति के बारे में अनन्य अधिकार होना चाहिये, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ठोस आकार प्रदान किया।

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार,–''प्रतिलिपि'' से अनुलिपि, अनुकृति, मौलिक लेखन, रंगचित्र, लिखत आदि का पुनरूत्पादन अभिप्रेत है।''

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार, ''प्रतिलिप्याधिकार साहित्यिक सम्पदा में एक अधिकार है, जिसे निश्चयात्मक विधि द्वारा मान्यता और स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अनुसार किसी साहित्यिक या कलात्मक उत्पाद के रचयिता या निर्माता को अमूर्त एवं अभौतिक अधिकार प्राप्त होता है। जिसके अन्तर्गत वह उस उत्पाद के बारे में एक विनिर्दिष्ट अवधि तक उसके मुद्रण एवं विक्रय का अनन्य अधिकार रखता है।''

ऑक्सफोर्ड इग्लिश डिक्शनरी के अनुसार,–''प्रतिलिप्याधिकार एक रचयिता, संगीतकार या उसके समनुदेशिती आदि को उनकी भौतिक कृति की प्रतियों के मुद्रण, प्रकाशन और विक्रय करने के लिए विधि द्वारा निश्चित वर्षों की अवधि तक दिया गया अनन्य अधिकार है।''

प्रतिलिप्याधिकार, कृति के रचयिता को उसकी कृति के अवैध पुनरूत्पादन या उपयोग को संरक्षण प्रदान करता है। जनसाधारण के हित के लिए प्रतिलिप्याधिकार कृति के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रतिलिप्याधिकार संरक्षण आवश्यक है।

प्रतिलिप्याधिकार विधि, प्रमुखतः साहित्य एवं कला के क्षेत्र में विधमान भौतिक सामग्रियों की नकल को रोकने के बारे में नकारात्मक अधिकार से सम्बन्धित है। इसका उद्देश्य रचयिता या लेखक की कृति के अनाधिकृत पुनरूत्पादन या उपयोग को रोकना है। यह अधिकार प्रतिलिप्याधिकार से सम्बद्ध अधिकारों का बिना प्राधिकार के उपयोग, जैसे साहित्यिक कृ ति से नाट्यकृतिया चलचित्र फिल्म बनाना, भाषान्तर करना, अनुकूलन करना या संक्षेपण करना को रोकता है।

विधि किसी व्यक्ति के कौशल, श्रम एवं पूंजी के निवेश द्वारा उत्पादित कृतियों को अन्य के द्वारा विनियोग किये जाने की अनुमति नहीं प्रदान करती है। प्रतिलिप्यधिकार विधि का उद्देश्य प्रतिलिप्यधिकार कृति के रचयिता को उसकी कृति के अवैध पुनरूत्पादन या उपयोग से संरक्षण प्रदान करना है। जनसाधारण के लाभ के लिये प्रतिलिप्यधिकार कृति के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण आवश्यक है। प्रतिलिप्यधिकार कृति का उपयोग प्रकाशकों, फिल्म निर्माताओं, ध्वन्यंकन निर्माताओं, जिन्हें प्रतिलिप्यधिकार स्वामी प्रतिलिप्यधिकार समनुदेशित करता है या अनुज्ञप्ति प्रदान करता है, के द्वारा किया जाता है। यदि प्रकाशकों, निर्माताओं द्वारा व्ययनित पूंजी वापस प्राप्त करना है और लाभ कमाना है तो कृ तियों के अवैध पुनरूत्पादन पर रोक लगाना आवश्यक हो जाता है अन्यथा साहित्यिक चोर (Pirates) कृति का अवैध पुनरूत्पादन करते हुये कृति के स्वामी को आर्थिक नुकसान पहुँचा सकते हैं। आजकल फिल्मों एवं ध्वन्यंकन के अवैध पुनरूत्पादन ने गम्भीर समस्या पैदा कर दी है जिसके लिये निरन्तर संरक्षण की मांग की जा रही है।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 14 के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार निम्नलिखित कृतियों या उसके किसी पर्याप्त भाग के सम्बन्ध में कुछ कार्यों में से किसी को करने या उसका किया जाना प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार होता है–

1. साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियाँ;

2. चलचित्र फिल्म; और

3. ध्वन्यंकन।

भारत में सर्वप्रथम प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम वर्ष 1914 में पारित किया गया था जो मुख्य रूप से इंग्लैण्ड के प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1911 पर पूर्णतः आधारित था। वर्तमान प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम वर्ष 1957 में पारित किया गया। भारत को बर्न अभिसमय और सार्वभौमिक प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय का सदस्य होने के नाते प्रतिलिप्यधिकार को अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुकूल बनाने के लिये अधिनियम में वर्ष, 1983, 1984, 1992, 1994, 1999 एवं 2012 में संशोधन करना पड़ा।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 14 के अनुसार प्रतिलिप्याधिकार निम्नलिखित कृतियों या उसके किसी पर्याप्त भाग के सम्बन्ध में कुछ कार्यों में से किसी को करने या उसका किया जाना प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार होता है–

1. साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियाँ,

2. चलचित्र फिल्म,

3. ध्वन्यंकन,

कृति की मौलिकता– प्रतिलिप्याधिकार के अस्तित्व के लिए ''कृति'' का मौलिक होना एक अनिवार्य शर्त है। ''मौलिक शब्द का तात्पर्य विचार की मौलिकता से न होकर उस विचार की अभिव्यक्ति की मौलिकता से होता है।

1. एन. टी. रघुनाथ बनाम ऑल इण्डिया रिपोर्टर, AIR.1971 बॉम्बे 58 के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिलिप्याधिकार अधियम के अन्तर्गत केवल मौलिक कृतियॉ ही संरक्षित है, लेकिन यह आवश्यक नही हैं कि कृति मौलिक या आविष्कार शील विचार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए क्योंकि प्रतिलिप्याधिकार विधियॉ विचार की मौलिकता से सम्बन्धित न होकर विचार की मौलिक अभिव्यक्ति से सम्बन्धित है।

2. फतेह सिंह मेहता बनाम ओ.पी. सिंघल, AIR 1990 राज. 9 में कहा गया कि साहित्यिक कृति की दशा में विचार की अभिव्यक्ति मुद्रण या लेखन के द्वारा हो सकती है।

3. आर.जी. आनन्द बनाम डीलक्स फिल्मस, AIR 1978 S.C.1613 के वाद में उच्चतम न्यायालयने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिलिप्याधिकार किसी विचार, विषय–वस्तु, मूल–विषय, कथानक या ऐतिहासिक अथवा अनुश्रुत तथ्यों में नही हो सकता है। प्रतिलिप्याधिकार कृति के रचयिता द्वारा कृति के स्वरूप, तरीके, क्रम–विन्यास और विचार की मूर्त अभिव्यक्ति तक सीमित रहता है।

4. अगरवाल पब्लिशिंग हाउस बनाम बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एग्जामिनेशन, AIR 1967 इलाहाबाद, 91 में कहा गया कि विचारों के अभिव्यक्ति के तरीके में मौलिकता होनी चाहिए और विचारों के अभिव्यक्ति के तरीके में किए गए कौशल एवं श्रम का उपयोग मौलिक होना चाहिए।

5. जगदीश प्रसाद बनाम परमेश्वर प्रसार AIR 1966 पटना 33 तथा गोविन्दा बनाम गोपालकृष्ण, AIR 1955 मद्रास 391 में कहा गया है, कि साहित्यिक कृति को मौलिक होने के लिए मौलिक विचार या मौलिक शोध आवश्यक नहीं हैं, प्रतिलिप्याधिकार के लिए मौलिकता के स्तर का उच्च होना आवश्यक नहीं है।

एक कृति के उत्पादन में मात्र रचनात्मक बौद्धिक क्रिया को ही महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि कृति की रचना या निर्माण में प्रयास के न्यूनतम स्तर के निवेश को भी तात्विक समझा जाता है, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कृति कहा जा सके और ऐसी कृति को मौलिक नहीं कहा जा सकता है।

अतः किसी कृति की मौलिकता तथ्य का प्रश्न होता है, रचयिता द्वारा कृति में पर्याप्त कौशल श्रम एवं विवेक का निवेश मौलिकता का आधार तत्व होता है।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के उद्देश्य

(Object of the copyright act 1957)

उद्देश्य (Object)– प्रतिलिप्याधिकार विधि का उद्देश्य प्रतिलिप्याधिकार कृति के रचयिता को उसकी कृति के अवैध पुनरूत्पादन या उपयोग से संरक्षण प्रदान करना है। विधि किसी व्यक्ति के कौशल, श्रम एवं पूँजी के निवेश द्वारा उत्पादित कृतियों को अन्य के द्वारा विनियोग किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं करती है।

प्रतिलिप्याधिकार कृति का उपयोग प्रकाशकों, फिल्म निर्माताओं, ध्वन्यंकन निर्माताओं जिन्हें प्रतिलिप्याधिकार स्वामी प्रतिलिप्याधिकार समनुदेशित करता है या अनुज्ञप्ति प्रदान करता है, के द्वारा किया जाता है। यदि प्रकाशकों, निर्माताओं को अपनी कृति पर व्ययनित पूँजी वापस प्राप्त करना है और लाभ कमाना है, तो कृतियों के अवैध पुनरूत्पादन पर रोक लगाना आवश्यक हो जाता है।

अतः प्रतिलिप्याधिकार के बेहतर संरक्षरण हेतु प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 अधिनियम किया गया है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(Short title , extend and commencement)

(1) यह अधिनियम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उल्लेखनीय है, अधिनियम को अधिसूचना संख्या 28 दिनांक 21–1–1958 के तहत 21 जनवरी, 1958 से प्रवर्तित किया गया।

ज्ञातव्य हो भारत में सर्वप्रथम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम वर्ष 1914 में पारित किया गया था जो मुख्य रूप से इग्लैण्ड के प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1911 पर आधारित था। वर्तमान प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम वर्ष 1957 में पारित किया गया। भारत को वर्न अभिसमय और सार्वभौमिक प्रतिलिप्याधिकार अभिसमय का सदस्य होने के नाते प्रतिलिप्याधिकार को अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुकूल बनाने के लिए अधिनियम में वर्ष 1983, 1984, 1992, 1994, 1999 एवं 2012 में संशोधन करने पड़े है।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की प्रमुख विशेषताएँ

(Main features of the copyright act. 1957,)

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. अधिनियम में कृतियों के विभिन्न वर्गों, जिसमें प्रतिलिप्याधिकार अस्तित्व में होता है, की परिभाषा और रचयिता को प्रदत्त अधिकारों के क्षेत्र का व्यापक प्रावधान किया गया है।

2. प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रीकरण को सरल बनाने, अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न विवादों के निपटारे और प्रतिलिप्याधिकार की अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त जारी करने के बारे में विनियामक प्राधिकरणों के रूप में प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय और प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड की स्थापना, कृत्यों एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया है।

3. विभिन्न कृतियों के सम्बन्ध में प्रतिलिप्याधिकार के प्रथम स्वामी को अभिनिर्धारित करने के बारे में उपबन्ध किया गया है।

4. विभिन्न वर्गों की कृतियों के लिए प्रतिलिप्याधिकार की अवधि विनिर्दिष्ट की गई है।

5. प्रतिलिप्याधिकार स्वामित्व के समनुदेशन और प्रतिलिप्याधिकार की अनुज्ञप्तियों जिसमें अनिवार्य अनुज्ञप्ति सम्मिलित हैं, के बारे में प्रावधान किया गया है।

6. प्रसारण संगठनों एवं प्रस्तुतकर्ताओं के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है।

7. अधिनियम में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार को भी स्वीकार किया गया है।

8. अधिनियम में प्रतिलिप्याधिकार की अतिलंघन और अतिलंघनकारी कृत्यों के बारे में भी प्रावधान किया गया है।

9. अधिनियम में किसी कृति के रचयिता के विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।

10. अतिलंघन के विरूद्ध अधिनियम में सिविल, आपराधिक व प्रशासनिक उपचार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

11. विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में निराधार धमकियों के विरूद्ध उपचार का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है

प्रतिलिप्याधिकार की विषय–वस्तु

(Subject-matter of Copyright)

कोई व्यक्ति किसी कृति में, चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित, प्रतिलिप्याधिकार या वैसे ही किसी अधिकार का हकदार प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार ही हो सकता है अधिनियम की धारा 2 (म) के अनुसार, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ''कृति'' से निम्नलिखिति कृतियों में से कोई भी अभिप्रेत है, अर्थात्।

(1) साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति;

(2) चलचित्र फिल्म;

(3) ध्वन्यंकन।

इस सम्बन्ध में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिलिप्याधिकार की विषय–वस्तु का उल्लेख धारा 13 के उपबन्धों के अधीन किया गया है, जिसके अनुसार निम्नलिखित वर्गों की कृतियों में प्रतिलिप्याधिकार का अस्तित्व होता हैः

(1) मौलिक साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियाँ;

(2) चलचित्र फिल्म; और

(3) ध्वन्यंकन।

मौलिक

(Original)

प्रतिलिप्याधिकार के अस्तित्व के लिये ''कृति'' का ''मौलिक'' होना एक अनिवार्य शर्त है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार के लिये ''साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों'' से पूर्व ''मौलिक'' शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। विधि अमूर्त विचारों में साम्पत्तिक अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं करती है और न ही कोई विचार प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम द्वारा संरक्षित हैं प्रतिलिप्यधिकार विचार को नहीं कृति को प्रदान किया जाता है और जब किसी विचार को मूर्त रूप में प्रदान कर दिया जाता है तो वह कृति के रूप में प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण प्राप्त करने योग्य हो जाती है। जब कोई विचार मूर्त रूप में साकार हो जाता है तो यह कामन ला साम्पत्तिक अधिकारों का विषय बन जाता है जिसे विधि और न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाता है परन्तु तब जबकि इसमें नवीनता या मौलिकता का लक्षण विद्यमान हो। ''मौलिक'' शब्द का तात्पर्य विचार की मौलिकता से न होकर उस विचार की अभिव्यक्ति की मौलिकता से होता हे। अधिनियम का सम्बन्ध विचार की उत्पत्ति से नहीं बल्कि विचार की भैतिक या मूर्त अभिव्यक्ति से है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल मौलिक कृतियां ही संरक्षित हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि कृति मौलिक या आविष्कारशील विचार की अभिव्यकित होनी चाहिए क्यों कि प्रतिलिप्यधिकार विधियां विचार की मौलिकता से सम्बन्धित न होकर विचार की मौलिक अभिव्यक्ति से सम्बन्धित हैं। साहित्यिक कृति की दशा में विचार की अभिव्यक्ति मुद्रण या लेखन के द्वारा हो सकती हैं। कृति रचयिता से उद्भूत होनी चाहिये।

साहित्यिक कृति

(Literary work)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम धारा 2 (ण) के अनुसार ''साहित्यिक कृति के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रोग्राम, सारणियाँ और संकलन हैं जिनके अन्तर्गत कम्प्यूटर आंकड़ा संचय आते है।''

यह परिभाषा स्पष्ट एवं व्यापक नहीं हैं इस परिभाषा के अन्तर्गत साहित्यिक कृति के सम्बन्ध में कम्प्यूटर प्रोग्राम या कम्प्यूटर जनित कृति का उल्लेख किया गया है। न्यायमूर्ति पीटरसन के अनुसार, ''साहित्यिक कृति'' पद इस बात पर ध्यान दिये बिना कि कृति की गुणवत्ता या विशिष्टता का स्तर क्या है, ऐसी कृति को समाविष्ट करता है जो मुद्रण द्वारा या लिखित रूप से अभिव्यक्त हो। ''साहित्यिक' शब्द का प्रयोग किंचित उसी भाव में प्रयुक्त समझा जाना चाहिये, जिस प्रकार ''साहित्यिक'' शब्द का प्रयोग राजनीतिक या निर्वाचन सम्बन्धी साहित्य के लिये किया जाता है और जिसका सम्बन्ध लिखित या मुद्रित सामग्री से होता है।'' इस प्रकार किसी कृति के लिये मुख्यतः तीन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है–(1) विचार, (2) अभिव्यक्ति, और (3) अभिव्यक्ति का स्वरूप। कृति में यथेष्ट सर्जनात्मक या बौद्धिक प्रयास सम्मिलित होता है इसलिये प्रतिलिप्यधिकार सूचनाओं के संकलन जैसे–समय सारिणी अनुक्रमणिका, व्यापार सूची पत्र, प्रश्न–पत्र, पथ निर्देशिका आदि के बारे में भी अनुमन्य किया गया है।

साहित्यिक कृति के अन्तर्गत विद्यमान स्त्रोतों पर आधारित गौण कृतियों को भी शामिल किया जाता है। इसके लिये आवश्यक है कि गौण कृतियों की रचना में पर्याप्त साहित्यिक कौशल, श्रम और विवेक का प्रयोग किया गया हो, जैसे भाषान्तर, आलोचनात्मक व्याख्या एवं स्पष्टीकरण, संकलन, चयन और संक्षेपण आदि। यह सिद्धान्त कि ''विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती'' प्रतिलिप्यधिकार विधि के प्रयोजन के लिये भी लागू की जाती हैं जब भी किसी कृति के सम्बन्ध में प्रतिलिप्यधिकार विधि के प्रयोजन के लिये भी लागू की जाती है। जब भी किसी कृति के सम्बन्ध में प्रतिलिप्यधिकार की बात आती है तो ऐसी स्थिति में कौशल, श्रम और विवके का पर्याप्त प्रयोग ही रचयिता और कृति के मध्य मौलिक तत्व का संकेत करता है। जहाँ अपर्याप्तता है वहाँ तुच्छता है और कृति मौलिक नहीं मानी जाती है। पाकेट डायरी में दी गई तालिका या रेलवे के टाइम टेबल से स्थानीय ट्रेनों के आवागमन के समय को दर्शाना अपर्याप्तता के आधार पर प्रतिलिप्यधिकार के विषय–वस्तु नहीं होते हैं, भले ही वे मुद्रित या लिखित रूप में अभिव्यक्त किये गये हों। इस बात से भी कोई अन्तर नहीं पड़ता कि सामग्री प्रतिलिप्यधिकार से सम्बन्धित कृति से ली गई है अथवा किसी अन्य स्त्रोत से ली गई है।

साहित्यिक कृति मौलिक होनी चाहिये। ''मौलिक'' शब्द इंग्लैण्ड के प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1911 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया था, जो रचयिता द्वारा कृति की रचना में पर्याप्त ''कौशल, श्रम और विवेक'' के प्रयोग की अपेक्षा करता है। कृति रचयिता से उत्पन्न होनी चाहिये न कि उसके द्वारा किसी अन्य स्त्रोत से नकल की गई होनी चाहिये। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम विचारों की मौलिकता से नहीं, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति से सम्बन्धित है और साहित्यिक कृति की दशा में विचार की अभिव्यक्ति मुद्रित या लिखित होनी चाहिये।

रचयिता (Author)– प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 2 (घ) के अन्तर्गत ''रचयिता'' पद को परिभाषित किया गया है, इसके अनुसार 'रचयिता' से अभिप्रेत है–

(1) किसी साहित्यिक या नाट्य कृति के सम्बन्ध में उस कृति का रचयिता,

(2) किसी संगीतात्मक कृति के सम्बन्ध में संगीतकार,

(3) फोटोग्राफ से भिन्न किसी कलात्मक कृति के सम्बन्ध में कलाकार,

(4) किसी फोटोग्राफ से सम्बन्ध में, फोटोग्राफ खीचने वाला व्यक्ति,

(5) किसी चलचित्र या ध्वन्यंकन के सम्बन्ध में निर्माता,

(6) किसी ऐसी साहित्यिक नाट्य संगीतात्मक या कलात्मक कृति के सम्बन्ध में, जो कम्प्यूटर जनित है, वह व्यक्ति जो उस कृति का सृजन कराता है।

अर्थात् कृति का रचयिता कृति की प्रकृति पर निर्भर करता है, साहित्यिक या नाट्य कृतियों के बारे में कृति का लेख, संगीतात्मक कृति की दशा में फोटो लेने वाला व्यक्ति, चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन के सम्बन्ध में निर्माता और किसी

कम्प्यूटर जनित साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति की दशा में वह व्यक्ति जो उस कृति का सृजन करता है, कृति का रचयिता होता है।

भाषान्तर (Translation)– साहित्यिक कृति का भाषान्तर स्वयं में साहित्यिक कृति हो सकता है यदि उसकी रचना में रचयिता ने अपने कौशल एवं श्रम का प्रयोग किया है और ऐसा भाषान्तर प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण के योग्य होता है। भाषान्तर से तात्पर्य है पुस्तक, दस्तावेज या भाषण का एक भाषा से दूसरी भाषा में पुनरूत्पादन। यदि प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व मौलिक कृति में है तो मौलिक कृति में प्रतिलिप्यधिकार स्वामी की सम्मति या अनुज्ञप्ति के बिना भाषान्तर का प्रकाशन या पुरूत्पादन प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होता है।

संक्षेपण(Abridgement)– मौलिक कृति का संक्षेपण, यथातथ्य एवं संक्षिप्त रूप में कृति का पुरूत्पादन होता है। एक प्रामाणिक संक्षेपण में बुद्धि, श्रम, कौशल एवं विवेक का प्रयोग निश्चित रूप से सम्मिलित होना चाहिये, केवल मौलिक कृति से लेखांश के चयन की नकल नहीं होनी चाहिए। चयन को व्यवस्थित करने में कौशल का प्रयोग महत्वपूर्ण है।

अनुकूलन (Adaptation)– साहित्यक कृति के अनुकूलन में प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व होता है, यदि उसमें कौशल,श्रम एवं विवेक का प्रयोग सम्मिलित हैं। अधिनियम की धारा 2(क)(ii) के अनुसार किसी साहित्यिक कृति के सम्बन्ध में अनुकूलन उस कृति का सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण के रूप में या अन्यथा नाट्यकृति में संपरिवर्तन है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2 (क) (iii) के अनुसार किसी साहित्यक कृति के सम्बन्ध में उस कृति का संक्षेपण या उस कृति का कोई रूपान्तर जिसमें कथा या घटनाक्रम को पूर्णतः या मुख्यतः ऐसे चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है जो किसी पुस्तक या समाचार–पत्र, पत्रिका या वैसी ही सामयिकी में पुनरूत्पादन के लिए उपयुक्त प्रकार के हों साहित्यिक कृति का अनुकुलन कहलाता है।

किसी कृति के सम्बन्ध में उस कृति का ऐसा उपयोंग,जिसमें उसका पुनर्विन्यास या क्रमान्तरण अन्तर्वलित है, अनुकूलन कहलाता है। यदि मौलिक कृति में प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है तो अनुकूलन मौलिक कृति में प्रतिलिप्यधिकार स्वामी की सहमति या अनुज्ञप्ति के आधार पर किया जाना चाहिये। इस प्रकार यदि कोई फिल्म या नाटक किसी पुस्तक के रचयिता की सम्मति पर आधारित हैं तो अनुकूलन में प्रतिलिप्यधिकार निर्माता या विन्यास (arranger) में निहित होता है।

संकलन (Compilation)– यदि संकलनकर्ता द्वारा संकलन तैयार करने में पर्याप्त कौशल, विवेक और श्रम का निवेश किया जाता है। तो प्रतिलिप्यधिकार के अर्थ में यह मौलिक होता है और ऐसे संकलन को प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण प्राप्त होता है। संकलन में प्रतिलिप्यधिकार का दावा करने के लिए रचयिता द्वारा अपने कौशल और विवेक के साथ श्रम और पूंजी का निवेश आवश्यक है, संकलन को मात्र श्रम और पूंजी का उत्पाद नहीं होना चाहिए। संकलन में इस अर्थ में सर्जनशीलता अपेक्षित नहीं है कि यह नवीन या अप्रकट है।

सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र (Public Domain) –यदि रचयिता द्वारा कोई विषय–सामग्री सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र से ग्रहण की गई है तो उसमें रचयिता का किसी प्रकार का एकाधिकार नहीं होता है। सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र की कोई सामग्री निजी सम्पति नहीं हो सकती है। ऐसी सामग्री का उपयोग करने के लिये प्रत्येक स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी सामग्री का उपयोग करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी सामग्री जिसमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में नहीं होता है सबके लिये उपलब्ध होती है। अधिनियम की धारा 52(थ) के खण्ड (iv)अनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य न्यायिक प्राधिकारी का कोई निर्णय या आदेश तब के सिवाय जबकि ऐसे निर्णय या आदेश का पुनरूत्पादन या प्रकाशन, यथास्थिति, ऐसे न्यायालय, अधिकारण या अन्य न्यायिक प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है, प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं है। कोई व्यक्ति किसी कृति में चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित हो, प्रतिलिप्यधिकार या वैसे ही किसी अधिकार का हकदार प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार हो सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा निर्णय के पाठ में प्रतिलिप्यधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है जबकि निर्णय के शीर्ष टिप्पणों में प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व में होता है, क्योंकि शीर्ष टिप्पण को तैयार करने में कौशल एवं श्रम आपेक्षित होता है।

करतार सिंह ज्ञानी बनाम **लाघा सिंह** के वाद में न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है कि प्रत्येक व्यक्ति मौलिक कृति में से जो कुछ भी उपयोगी है, सुधार के लिए सुधार के लिए ले सकता है और उसमें परिवर्धन एवं सुधार करते हुए जनमानस को मौलिक कृति दे सकता है।

कम्प्यूटर प्रोग्राम

(Computer Programmes)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रोग्राम और कम्प्यूटर आंकड़ा संचय (Computer databases) को साहित्यिक कृति की श्रेणी में रखा गया है। सभी प्रकार के साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक एवं कलात्मक कृतियों को कम्प्यूटर में संकलित एवं सुरक्षित रखा जा सकता है।

वर्तमान में बहुत से प्रोग्राम कागज पर न लिखकर सीधे कम्प्यूटर पर लिखे जाते हैं, जिसे चुम्बकीय डिस्क पर संचित किया जाता है और आवश्यकतानुसार उसे पर्दे पर या कागज पर देखा या प्राप्त किया जा सकता है। साहित्यिक, नाट्य, संगीतातमक या कलात्मक कृति के बारे में, जो कम्प्यूटर जनित है, वह व्यक्ति जो कृति की रचना करता है, कृति का रचयिता होता है और प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण के लिये अधिकृत होता है। वह अपनी कृति को किसी भी रूप में इलेक्ट्रनिक माध्यमों या वैसी ही किसी युक्ति से उत्पादित कर सकता है।

कम्प्यूटर प्रोग्राम रचयिता की स्वयं की बौद्धिक रचना होनी चाहिये और कार्यक्रमक (Programmer) ऐसी रचना का रचयिता होता है। जहाँ पर कृति की रचना नियोजन के दौरान की गई होती है, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, नियोजक के पास कृति का प्रथम स्वामित्व होता है।

अधिनियम की धारा 14 (1) के खण्ड (ख) के अनुसार किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम की दशा में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी अधिनियम की धारा 14 (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति से संबंधित विनिर्दिष्ट कार्यों में से कोई कार्य कर सकता है या कम्प्यूटर प्रोग्राम की किसी प्रति का विक्रय कर सकता है, या वाणिज्यिक किराये (commercial rental) पर दे सकता है या विक्रय या वाणिज्यिक किराये पर देने की प्रस्थापना कर सकता हैं यद्यपि ऐसा वाणिज्यिक किराया ऐसे कम्प्यूटर प्रोग्राम पर लागू नहीं होता है जहाँ प्रोग्राम स्वतः किराए का तात्विक उद्देश्य नहीं है।

कम्प्यूटर आंकड़ा संचय

(Computer databases)

'आंकड़ा संचय' शब्द को अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। नवीन सूचना प्रणाली में कम्प्यूटर या अन्य इलेक्ट्रनिक उपकरणों में आंकड़ों का संचय किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है। आंकड़ा संचय स्वतंत्र कार्यों का संचयन हैं दूसरे शब्दों में, आंकड़ों या अन्य सामग्री का क्रमबद्ध या सिलसिलेवार विन्यास और इलेक्ट्रानिक या ऐसी ही किसी अन्य युक्ति द्वारा व्यक्तिगत प्राप्ति को आंकड़ा संचय कहा जाता है और कौशल, श्रम एवं पूंजी का विनिवेश किये जाने के कारण प्रतिलिप्यधिकार का विषय–वस्तु होता है। किसी भी विषय के बारे में आंकड़ा संचय के लिये डिजिटल फाइल तैयार करना एक श्रम साध्य एवं महंगा कारोबार होता है, जिसे यदि नकल करने की खुली छूट दे दी जाए तो यह पूरी तरह से नष्ट हो सकता है या इसका दुरूपयोग किया जा सकता है।

नाट्य कृति

(Dramatic work)

साहित्यिक कृति की तरह मौलिक नाट्य कृति और इसके अनुकूलन में प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में होता है। नाट्य कृति के अन्तर्गत सुपठन के लिए रचनांश, नृत्य रचना कृति या मूक प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन सम्मिलित है जिसका दृश्य विन्यास या अभिनय का रूप लिखित रूप में या अन्यथा नियत है। नाट्य कृति के अंतर्गत चलचित्र फिल्म नहीं आता है। यद्यपि चलचित्र फिल्म नाट्य कृति से पृथक् है फिर भी चलचित्र फिल्म के लिये आलेख (Script) एवं दृश्य लेख (scenario) नाट्य कृति के अन्तर्गत आते हैं। नाटकीय या दृश्य प्रभाव और वेशभूषा उसी दशा में प्रतिलिप्यधिकार की विषय वस्तु हो सकते हैं यदि वे कलात्मक कृति के अन्तर्गत आते हैं। साहित्यिक कृति की भाँति नाट्य कृति भी मौलिक होनी चाहिये।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 2 (ज) के अन्तर्गत ''नाट्यकृति के अन्तर्गत सुपठन के लिए रचनांश, नृत्य रचना कृति या मूक प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन सम्मिलित है, जिसका दृश्य विन्यास या अभिनय का रूप लिखित रूप में या अन्यथा नियत है किन्तु इसके अन्तर्गत चलचित्र फिल्म नहीं है।

आर. जी. आनन्द बनाम डिलक्स फिल्म, A.I.R.1978 S. C.1613 के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि चलचित्र फिल्म नाट्यकृति से पृथक् है फिर भी चलचित्र फिल्म के लिए आलेख (Script) एवं दृश्य लेख (scenario) नाट्यकृति के अन्तर्गत आते हैं। नाटकीय या दृश्य प्रभाव और वेशभूषा उसी दशा में प्रतिलिप्याधिकार की विषय–वस्तु हो सकते हैं, यदि वे कलात्मक कृति के अन्तर्गत आते हैं, साहित्यिक कृति की भाँति नाट्य कृति भी मौलिक होनी चाहिए।

नृत्यकला (choreography) नृत्य नाटिका या रंगमंचीय नृत्य को प्रतीकात्मक शैली में क्रमांकित ओर रूपांकित करने की कला है। यह नाट्य कृति का एक प्रकार है। प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि नृत्य कला स्वर लिपियों और स्वरचिन्हों के रूप में लिपिबद्ध हो। संगीत, कथानक, नृत्यकला, मंच सज्जा और वेशभूषा नृत्य नाटिका के तत्व हैं। नृत्य नाटिका एक संयुक्त कृति होती है और प्रतिलिप्यधिकार की विषय–वस्तु हो सकती है।

चलचित्र फिल्म (Cinemetograph film)–प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 2 (च) के अनुसार ''चलचित्र फिल्म'' से किसी प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित किसी माध्यम पर दृश्य रिकार्डिंग की कोई कृतिअभिप्रेत है; जिससे किसी युक्ति द्वारा सचल बिम्ब निर्मित किया जा सके और इसमें ऐसे दृश्य रिकार्डिंग के साथ–साथ ध्वनि रिकार्डिंग भी शामिल है और ''चलचित्र'' से वीडियो फिल्मों सहित, चलचित्र के समान किसी प्रक्रिया द्वारा निर्मित कोई कृति से सम्बद्ध कार्यों के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।

अर्थात् ''चलचित्र फिल्म'' से किसी ऐसी प्रक्रिया से जिससे किसी माध्यम से कोई गतिशील बिम्ब उत्पादित किया जा सकेगा, उत्पादित किसी माध्यम द्वारा ऐसे किसी दृश्यांकन की कोई कृति अभिप्रेत है।

एडिसन बनाम ल्यूबिन, 122 फेड. 240 के वाद में कहा गया कि चलचित्र फिल्म साहित्यिक, कलात्मक, संगीतात्मक और नाट्यकृतियों का समुच्चय होता है, जिसमें प्रकाश व्यवस्था, प्रतिबिम्बों, सामान्य वातावरण और अनुकूल परिस्थितियों का अध्ययन पूर्ण प्रभाव प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

इन्टरटेनिंग इन्टरप्राइजेज बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 1984 मद्रास 278 के वाद में कहा गया कि चलचित्र फिल्म चित्रों की श्रृंखला से बनी होती, है, जिसे चित्रपट पर तीव्रगति से लगातार इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि गति का भ्रम पैदा होता है। सवाक् फिल्मों में दृश्यरूपण के साथ संवाद, संगीत आदि को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि श्रव्यरूपण चित्रपट पर दृश्यरूपण के साथ समक्रमिक हो जाता है।

चलचित्र फिल्म साहित्यिक, कलात्मक, संगीतात्मक और नाट्य कृति का समुच्चय होता है जिसमें प्रकाश व्यवस्था, प्रतिबिम्बों, सामान्य वातावरण और अनुकूल परिस्थितियों का अध्ययन पूर्ण प्रभाव प्राप्त करने के लिये किया जाता है। चलचित्र फिल्म चित्रों की श्रृंखला से बनी होती है जिसे चित्रपट पर तीव्रगति से लगातार इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि गति का भ्रम पैदा होता है। सवाक् फिल्मों में दृश्यरूपण के साथ संवाद, संगीत आदि को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि श्रव्यरूपण चित्रपट पर दृश्यरूपण के साथ समक्रमिक हो जाता है। वर्तमान में वीडियो टेप और डिजिटल रिकार्डिंग ने उन तरीकों में वृद्धि कर दी है जिनसे फिल्म को तैयार किया जाता है।

टेलीविजन पर वीडियो टेप, जिसमें फिल्म रिकार्ड की गई है, द्वारा फिल्म का प्रदर्शन चलचित्र फिल्म की परिभाषा के अन्तर्गत आता है, क्योंकि अधिनियम की धारा 2 (च) के अनुसार ''चलचित्र'' का यह अर्थ लगाया जाता है कि उसके अन्तर्गत वीडियो फिल्म सहित चल चित्र के सदृश किसी प्रक्रिया से उत्पादित कोई कृति है। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि वीडियो और टेलीविजन दोनों चलचित्र हैं।

संगीतात्मक कृति

(Musical work)

मौलिक संगीतात्मक कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व होता है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2 (त) के अन्तर्गत संगीतात्मक कृति को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः

''संगीतात्मक कृति से संगीत से संयोजित कोई कृति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी कृति का कोई आलेखीय स्वरांकन है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे कोई शब्द या ऐसा कोई कार्य नहीं आता है जो संगीत के साथ गाने, बोलने या प्रस्तुत करने के लिये आशयित है।''

किसी संगीतात्मक कृति के सम्बन्ध में संगीतकार रचयिता होता है। यदि संगीतात्मक कृति कंप्यूटरजनित है तो रचयिता वह व्यक्ति होता है जो उस कृति का सृजन करता है। संगीतकार वह व्यक्ति होता है जो संगीत की स्वर–रचना इस बात को ध्यान में लाए बिना करता है कि वह उसे आलेखनीय स्वरांकन (graphical notation) के किसी रूप में अंकित करता है या नहीं। संशोधन अधिनियम, 1994 से पूर्व ''संगीतात्मक कृति'' की परिभाषा में ''मुद्रित, लेखबद्ध या अन्यथा आलेखीय रूप में ''उत्पादित या पुनरूत्पादित'' पद उल्लिखित था जिसे नवीन परिभाषा से हटा दिया गया है। ऐसा करना भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशिष्टता को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से उचित था। ''संगीतात्मक कृति'' और ''संगीतकार'' की परिभाषा के संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि व्यवस्थापिका ने न सिर्फ आलेखीय स्वरांकन में संगीतात्मक कृति को संरक्षण प्रदान किया है बल्कि परम्परांगत भारतीय संगीत, जिसमें आलेखीय स्वरांकन सम्मिलित नहीं होता है, को भी संरक्षण प्रदान करने में सावधानी बरती है।

संगीतात्मक कृति का मौलिक अनुकूलन भी प्रतिलिप्यधिकार का हकदार है। किसी संगीतात्मक कृति के सम्बन्ध में अनुकूलन का तात्पर्य उस कृति के किसी विन्यास या प्रतिलेखन से होता है। प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने के लिये संगीतात्मक कृति का मौलिक होना आवश्यक है और मौलिकता का निर्धारण कौशल, श्रम एवं नवीनता के आधार पर किया जाता है।

एक संगीतात्मक संयोजन के अन्तर्गत स्वर भी उसका भाग होता है। संगीतात्मक कृति में तीन पृथक प्रतिलिप्यधिकार हो सकते हैं, यथा–

(1) शब्दों को साहित्यिक कृति के रूप में प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त हो सकता है;

(2) संगीतात्मक कृति के रूप में प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त हो सकता है, और

(3) शब्दों एवं संगीत दोनों को संगीतात्मक कृति के रूप में प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त हो सकता है।

विलिंगटन सिनेमा कं. बनाम परफार्मिंग सोसायटी लि. के वाद में निर्णीत किया गया कि संगीतात्मक कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन प्रतिलिप्यधिकार स्वामी की सम्मति या अनुज्ञाप्ति के बिना ऐसे संगीतात्मक कृति का कोई चलचित्र रिकार्ड बनाते हुये किया जा सकता है।

पुराने व नए लोकप्रिय गानों के रीमिक्स का सुनना व देखना संगीतात्मक कृति का अनुकूलन हैं, यह प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन नहीं है।

गायन

(song)

गायन स्वयं में प्रतिलिप्यधिकार नहीं रखता है। एक गाना जिसे एक व्यक्ति द्वारा शब्द दिये गये हैं और अन्य के द्वारा संगीत तो गाने के रचयिता (गीतकार) और संगीतकार दोनों को पूर्णरूप से पृथक प्रतिलिप्यधिकार क्रमशः साहित्यिक कृति और संगीतात्मक कृति के सम्बन्ध में प्राप्त हो सकते हैं, जो मिश्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों में जहाँ गाने को शब्द और संगीत एक ही व्यक्ति द्वारा दिये गये हैं, गाने में प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त हो सकता है।

कलात्मक कृति

(Artistic work)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 2 (ग) के अन्तर्गत ''कलात्मक कृति'' पद को परिभाषित किया गया है। धारा 2 (ग) के अनुसार–

(1) कोई रंगचित्र, मुर्ति, रेखाचित्र (जिसके अन्तर्गत आरेख, मानचित्र, चार्ट या रेखांक भी है, कोई उत्कीर्णन या फोटोग्राफ, चाहे ऐसी किसी कृति में कलात्मक गुण हो या न हो,

(2) कोई वास्तु कृति और,

(3) कलात्मक शिल्प कारिता की कोई अन्य कृति।

कलात्मक कृति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि कलात्मक कृति मौलिक होनी चाहिए अर्थात् रचयिता के द्वारा आरम्भ होनी चाहिए।

केनरिंग बनाम लारेंस (1890) क्यू. बी. डी. 99 में कहा गया कि एक साधारण रेखाचित्र भी प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण प्राप्त कर सकता है।

टेवलर रूटलेज बनाम सपेक्टर्स , (1959) आर. पी. सी. 355 तथा वाकर बनाम ब्रिटिश पिकर, (1961) *आर. पी. सी. 57* में कहा गया कि मिठाई के डिब्बे पर लगे लेबल पर बनी डिजाइन तथा पार्सल के लेवल पर बनी सजावटी लकीरें भी प्रतिलिप्याधिकार संरक्षण के लिए अधिकृत हैं।

हस्ताक्षर में भी कलात्मक कृति की अवधारणा की जा सकती है तथा विज्ञापन में प्रयुक्त पोस्टर कलात्मक कृति के अन्तर्गत आता है।

कलात्मक कृति के अनुकूलन का अर्थ है कलात्मक कृति के सम्बन्ध में उस कृति का सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण के रूप में या अन्यथा नाट्य कृति में संपरिवर्तन। धारा 2 (क) (v) के अनुसार किसी कृति के सम्बन्ध में, उस कृति का ऐसा उपयोग, जिसमें उसका पुनर्विन्यास या क्रमान्तरण अन्तर्वलित है, अनुकूलन कहलाता है। मूर्ति के अन्तर्गत कास्ट और माडल भी सम्मिलित है। तत्वतः कलात्मक कृति दृश्य बिंब (visual image) से संबद्ध होती है। कलात्मक कृति का पुनरूत्पादन मूर्त आकार में होना चाहिए।

अन्य कृति की भांति कलात्मक कृति मौलिक होनी चाहिये, वह किसी अन्य की प्रतिकृति नहीं होनी चाहिये, अर्थात् रचयिता के द्वारा आरम्भ होनी चाहिये। प्रत्येक दशा में, श्रम, कौशल और विवेक का आधार तत्व के रूप में समाविष्ट होना अनिवार्य है। कलात्मक कुशलता कृति को मौलिकता प्रदान करती है।

प्रतिलिप्यधिकार का दावा केवल उन्हीं कलात्मक कृतियों में किया जा सकता है। जिसका उत्पादन प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तिगत कौशल और श्रम से किया गया हो।

रंगचित्र

(Painting)

रंगचित्र कलात्मक कृति की श्रेणी में आते हैं चाहे उनमें कलात्मक गुण हो या न हो। एक रंगचित्र सतह पर रंगों द्वारा चित्रित करने या निरूपित करने की कला का उत्पाद होता है। रंगचित्र किसी प्रकार की सतह पर होना चाहिये। विचार के तौर पर यह भले ही विशिष्ट हो, लेकिन चेहरे का बनाव–श्रृंगार प्रतिलिप्यधिकार के प्रयोजन के लिये रंगचित्र नहीं हो सकता है।

मूर्ति

(Sculpture)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2 (यक) के अनुसार, ''मूर्ति के अन्तर्गत कास्ट और माडल भी हैं। पत्थरों को छेनी से काटकर, लकड़ियों में खोदकर, मिट्टी को गढ़कर, धातु को ढालकर या इसी प्रकार की समान प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का प्रतिरूम बनाने य अमूर्त को मूर्त रूप देने की कला का उत्पाद मूर्ति कहलाती है। विवक्षित तौर पर प्रतिलिप्यधिकार के प्रयोजन के लिये मूर्ति की कलात्मक गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

रेखाचित्र

(Drawing)

रेखाचित्र बिना रंग के या रंग के साथ रेखा द्वारा चित्रण की कला है। अधिनियम की धारा 2 (ग) (i) के अनुसार रेखाचित्र के अन्तर्गत आरेख, मानचित्र, चार्ट या रेखांक सम्मिलित हैं चाहे ऐसी कृति में कलात्मक गुण हो या न हो। अधिनियम के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से ''रेखाचित्र'' शब्द के अन्तर्गत सभी प्रकार के रेखाचित्र–यांत्रिक और अभियांत्रिक सम्मिलित होते हैं। प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण के लिये अपेक्षित है कि उसमें मौलिकता होनी चाहिए। यांत्रिक और अभियांत्रिक रेखाचित्रों में पर्याप्त मात्रा में कौशल एवं प्रयास सम्मिलित होता है और यदि रेखाचित्र मौलिक है तो प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण के लिये हकदार होता हैं ऐसे किसी साधारण रेखाचित्र में जिसमें कौशल एवं प्रयास सम्मिलित नहीं है जैसे एक सीधी लकीर तो उसे प्रतिलिप्यधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है।

मर्चेण्ट ऐडवेंचर्स बनाम एम. जी. एण्ड कं. के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिलिप्यधिकार के प्रयोजन से रेखाचित्र में किन्हीं लेखों या व्याख्यात्मक संकेतों को सम्मिलित होना चाहिये, जो इस बात को सामान्य तौर पर चित्रित कर सकें कि रेखाचित्र क्या प्रस्तुत कर रहा है। यांत्रिक और अभियांत्रिक रेखाचित्रों में प्रायः पयुक्त अमौलिक रेखाचित्र मौलिक कृ ति होते हैं, क्योंकि उनमें पर्याप्त कौशल एवं श्रम सम्मिलित होता है, इसलिये भले ही वे किसी पूर्ववर्ती रेखाचित्र पर आधारित हो, उन्हें मौलिक कृति माना जाता है।

उत्कीर्णन
(Engraving)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 2 (झ) के अनुसार, उत्कीर्णन के अन्तर्गत निरेखण, शिला मुद्रण, काष्ठ चित्रण, प्रिन्ट और वैसी ही अन्य कृतियाँ आती है।

उत्कीर्णन की परिभाषा में ''वैसी ही अन्य कृतियाँ'' पद के अन्तर्गत प्लेट को सम्मिलित भी किया जा सकता है, प्लेट के अन्तर्गत कोई स्टीरियोटाइप या अन्य प्लेट, ब्लाक, सांचा, मैट्रिक्स, अन्तरक, नेगेटिव, अनुलिपिकरण उपस्कर या अन्य युक्ति आती है, जो किसी कृति के मुद्रण या उसकी प्रतियाँ पुनरूत्पादित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। या प्रयुक्त किये जाने

के लिए आशायित है तथा कोई मैट्रिक्स या अन्य साधित्र जिससे कृति की श्रव्य प्रस्तुति के लिए हवन्यंकन बनाये जाते हैं या बनाए जाने आशायित हैं।

उत्कीर्णन में सामान्यतया केवल उत्कीर्णित प्लेट से बनी मूर्ति या आकृति ही नहीं बल्कि स्वयं उत्कीर्णित प्लेट भी सम्मिलित होती है। सांचे में ढले प्लास्टिक के उत्पाद भी मूर्ति या उत्कीर्णन की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। तीन विमाओं वाली वस्तु बनाने के लिये प्रयोग किया जाने वाला ठप्पा या सांचा उत्कीर्णन होता है।

फोटोग्राफ

(Photograph)

फोटोग्राफ प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2 (ग) के अन्तर्गत परिभाषित 'कलात्मक कृति' के अन्तर्गत आते हैं। अधिनियम की धारा 2 (ध) के अनुसार, फोटोग्राफ के अन्तर्गत फोटो–शिलामुद्रण और फोटोग्राफी के सदृश किसी प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कोई कृति भी है किन्तु चलचित्र फिल्म का कोई भाग इसके अन्तर्गत नहीं है। प्रतिलिप्यधिकार के लिये आवश्यक है कि फोटोग्राफ मौलिक होना चाहिए। फोटोग्राफ मूलतः खींचा गया होना चाहिये और उसमें कौशल एवं श्रम का प्रयोग किया जाना स्पष्ट होना चाहिये। एक व्यक्ति द्वारा ताजमहल का विशिष्ट तरीके से खींचा गया फोटोग्राफ प्रतिलिप्यधिकार का विषय वस्तु होगा, लेकिन यह किसी अन्य व्यक्ति को ताजमहल का उसी कोण ग्राफ खींचने और उसमें प्रतिलिप्यधिकार का दावा करने को प्रतिषिद्ध नहीं करता है। फोटोग्राफ के नेगेटिव से पाजिटिव बनाना फोटोग्राफ का पुनरूत्पादन होता है।

फोटोग्राफ खींचने में लगे मौलिक कौशल एवं श्रम को प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण प्रदान करता है। एक फोटोग्राफ या फोटोग्राफ या फोटोग्राफ का विद्युत छाया चित्रण जिसमें ऐसी प्रति बनाने में मौलिक कौशल और श्रम का उपयोग न किया गया हो, प्रतिलिप्यधिकार का विषय वस्तु नहीं हो सकती है। **ऐसोसियेटेड पब्लिशर्स बनाम बाश्यम** के बाद मे जहाँ दो फोटोग्राफ के आधार पर महात्मा गांधी का रंगचित्र बनाया गया था, यह निर्णीत किया गया कि यदि रंगचित्र स्वतः मौलिक है और फोटोग्राफ से भिन्न परिणाम उत्पन्न करता है तो फोटोग्राफों पर आधारित रंगचित्र प्रतिलिप्यधिकार के लिये अधिकृत होगा। रंगचित्र प्रतिलिप्यधिकार का विषय वस्तु नहीं हो सकती है।

वास्तुकृति

(Work of Architectre)

वास्तुकृति कलात्मक कृति है। अधिनियम की धारा 2 (ख) के अनुसार, ''वास्तुकृति से ऐसा कोई भवन या संरचना जिसका स्वरूप या जिसका डिजाइन कलात्मक हो अथवा ऐसे भवन या संरचना के लिये कोई माडल अभिप्रेत है।''

एक वास्तुकार की योजना का सम्बन्ध अधिनियम की धारा 2 (ग) के खण्ड (i) में वर्णित रेखाचित्र, आरेख, मानचित्र, चार्ट या रेखांक से होता है। धारा 2 (ग) के खण्ड (ii) के अन्तर्गत भवन, संरचना या माडल के लिये स्पष्ट तौर पर 'वास्तुकृति' का उल्लेख किया गया है। वास्तुकृति का प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण के योग्य होने के लिये कृति मौलिक और कलात्मक गुणवत्ता वाली होनी चाहिये। इसके विपरीत धारा 2 (ग) के खण्ड (i) में वर्णित रंगचित्र, मुर्ति, रेखाचित्र आदि में यदि कलात्मक गुणवत्ता नहीं है फिर भी उन्हें प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण प्राप्त होता है।

वास्तुकृति की कलात्मक गुणवत्ता वास्तु शिल्प के प्रत्येक भाग के गुणदोष के आधार पर निर्धारित की जाती है। किसी उद्यान के अभिन्यास के सम्बन्ध में सीढ़ियाँ, दीवारें, तालाब आदि वास्तुशिल्प के भाग माने जा सकते हैं। वास्तुकृति का प्रकाशन केवल कृति के माडल को प्रकाशित करने के द्वारा किया जा सकता है।

कलात्मक शिल्पकारिता की कृति

(Work of Artistic Craftsmanship)

कलात्मक शिल्पकाररिता कलात्मक कृति के अन्तर्गत आती हैं इसलिये कलात्मक शिल्पकारिता की मौलिक कृति को प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण प्राप्त होता है। कृति में पर्याप्त शिल्पकारिता और कारीगरी होनी चाहिये। कुछ शिल्पकारी का कार्य होना चाहिये न कि संग्रह मात्र।

भवन या संरचना वास्तुकृति है और इसे प्लान, जिसके आधार पर भवन का निर्माण किया जाता है, के प्रतिलिप्यधिकार से पृथक् प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त होता है। कलात्मक शिल्पकारिता की कृति में प्रतिलिप्यधिकार प्रदत्त करने का प्राथमिक उद्देश्य किसी व्यक्ति की कलात्मक कारीगरी की कृति को जिसे वह अपने हाथ से बनाकर बाजार में ले आता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हाथ, मशीन या अन्य किसी तरीके से अनाधिकृत पुनरूत्पादन के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करना है। आदि प्रारूप (prototype) फर्नीचर यदि उसें उच्च स्तर का कलात्मक हित या प्राप्ति नहीं है तो प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण के योग्य नहीं होता है। शिल्पकारिता की कृति का रंगचित्र, रेखाचित्र, उत्कीर्णन या फोटोग्राफ बनाना या प्रकाशित करना, यदि वह कृति किसी सार्वजनिक स्थान या किसी परिसर में, जिसमें जनता की पहुंच है, स्थायी रूप से स्थित अतिलंघन नहीं माना जाता है।

फर्नीचर, वाणिज्यिक फर्नीचर और मोची का काम कलात्मक शिल्पकारिता के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसी प्रकार बढई, रंगसाज, जिल्दसाज और बुनकरों की कुछ कृतियों को कलात्मक शिल्पकारिता के अन्तर्गत रखा जा सकता है लेकिन इनकी अधिकांश कृतियों को प्रतिलिप्यधिकार के लिये उपयुक्त नहीं माना जाता है। हस्तचित्रित टाइल्स, रंगीन कांचवाली खिड़कियाँ बनाने वाले प्रतिलिप्यधिकार के योग्य होते हैं और इनकी कृतियों को कलात्मक शिल्पकारिता की कृति कहा जा सकता है।

संयुक्त रचयिताओं की कृति (Work of Joint authorship)– अधिनियम को धारा के अनुसार संयुक्त रचयिताओं की कृति से दो या अधिक रचयिताओं के सहयोग से उत्पादित ऐसी कृति अभिप्रेत है, जिसमें एक रचयिता का योगदान अन्य रचयिता या रचयिताओं के योगदान से सुभिन्न नहीं है। इस प्रकार एक कृति की रचना एक रचयिता द्वारा की जा सकती है। संयुक्त रचयिताओं की कृति के लिए भी प्रतिलिप्यधिकार का दावा किया जा सकता है।

नजमा हेपतुल्ला बनाम मै आरियन्ट लोगमैन लि. ***AIR 1989*** दिल्ली ***63*** में कहा गया कि यदि दो व्यक्ति सामान्य रूपरेखा और परिकल्पना पर सहमत होते हुए एक नाटक लिखना प्रारम्भ करते हैं और इसे पूरा करने में अपना श्रम लगाते हैं और अपना अंशदान करते हैं तो उन्हें कृति का संयुक्त रचयिता कहा जा सकता है।

टेट बनाम फुलन बुक (1908) 1. के. वी. 821 के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति विचार या विषय–वस्तु के बारे में अपना सुझाव देता है तो उसे कृति का संयुक्त रचयिता नहीं समझा जा सकता। *लक्सनेन बनाम वेडरफेल्ड (1985)* ***FSR.*** 525 में कहा गया है कि किसी कृति के बारे में कुछ विचारों या शब्द मात्र का योगदान अन्य के द्वारा लिखित कृति में संयुक्त कर्तव्य का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है।

ध्वन्यंकन
(Sound Recording)

ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व होता है। अधिनियम की धारा 2(भ) के अन्तर्गत ''ध्वन्यंकन'' को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है–

''ध्वन्यंकन से ऐसा ध्वन्यंकन अभिप्रेत है जिससे ऐसी ध्वनियाँ, इस बात को ध्यान में लाए बिना, उत्पादित की जा सकें कि ऐसा ध्वन्यंकन किस संचार माध्यम द्वारा किया जाता है या वह पद्धति क्या है जिससे ध्वनियाँ उत्पादित की जाती हैं।''

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ध्वन्यंकन के लिये किसी एक संचार माध्यम या पद्धति का प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं है। संचार माध्यम के अन्तर्गत डिस्क, टेप, काम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल आडियो टेप आदि आते है।

किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की बाबत बनाया गया कोई ध्वन्यंकन यदि उस रिकार्ड के बनाने में ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन हुआ है तो ऐसे ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में नहीं रहता है। ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार के लिये आवश्यक है कि यह विधिपूर्वक बनाया गया हो। ध्वन्यंकन की दशा में–

(1) ध्वन्यंकन को सम्मिलित करने वाला कोई अन्य ध्वन्यंकन करने;

(2) ध्वन्यंकन की किसी प्रति का इस बात को ध्यान में लाए बिना कि ऐसी प्रति का पूर्वतर अवसरों पर विक्रय किया गया है या उसे भाड़े पर दिया गया है, विक्रय करने या उसे भाड़े पर देने की प्रस्थापना करने, और

(3) ध्वन्यंकन को सार्वजनिक रूप से संसूचित करने के बारे में अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को अनन्य अधिकार प्राप्त होता है।

ध्वन्यंकन का अधिकार रिकार्ड किये गये विषय–वस्तु होते हैं। संगीत के

ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार संगीत में प्रतिलिप्यधिकार से पृथक् होता है। संगीत में प्रतिलिप्यधिकार संगीतकार के पास होता है जबकि ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार ध्वन्यंकन के निर्माता में निहित होता है।

प्रतिलिप्यधिकार के अस्तित्व के लिये शर्त
(Qualification for Subsistence of Copyright)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार की विषय–वस्तु का मौलिक होना प्राथमिक शर्त है। इसके अतिरिक्त विदेशी कृतियों के मामले को छोड़कर प्रतिलिप्यधिकार के लिये अन्य शर्तों का पालन आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं–

1. कृति भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होनी चाहिये।

2. जहां कृति भारत के बाहर पहले प्रकाशित की जाती है वहाँ उसके रचयिता को ऐसे प्रकाशन की तारीख को भारत का नागरिक होना चाहिये। यदि प्रकाशन रचयिता की मृत्यु के पश्चात् किया जाता है तो रचयिता को अपनी मृत्यु के समय भारत का नागरिक रहना चाहिये।

3. अप्रकाशित कृति की दशा में उसके रचयिता को कृति की रचना की तारीख को भारत का नागरिक होना चाहिये या भारत में अधिवसित होना चाहिये। यह शर्त वास्तुकृति पर लागू नहीं होती है।

4. वास्तुकृति की दशा में उस कृति को भारत में स्थित होना चाहिये।

उपरोक्त शर्तें विदेशी कृतियों या अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की कृतियों पर लागू नहीं होती हैं। अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रतिलिप्यधिकार को विदेशी कृतियों पर विस्तारित करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रावधानों को उन कृतियों पर लागू किया जा सके।

धारा 40 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि–

1. इस अधिनियम के सब या कोई उपबंध भारत किसी राज्यक्षेत्र में प्रथम बार प्रकाशित कृतियों पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानों वे भारत के अंदर प्रथम बार प्रकाशित की गई हैं;

2. किन्हीं अप्रकाशित कृतियों या उनके किसी वर्ग को, जिनके रचयिता कृति के बनाये जाने के समय किसी ऐसे विदेश के प्रजाजन या नागरिक थे, जिससे आदेश सम्बद्ध है, उसी प्रकार लागू होंगे मानों वे रचयिता भारत के नागरिक रहे हों;

3. भारत के बाहर किसी राज्यक्षेत्र में, जिससे आदेश सम्बद्ध है, अधिवास की बाबत उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह अधिवास भारत में हों; और

4. किसी ऐसी कृति को, जिसका रचयिता उसके प्रथम बार प्रकाशन की तारीख को, या उस दशा में जिसमें रचयिता उस तारीख को मर चुका था, अपनी मृत्यु के समय ऐसे विदेश का प्रजाजन या नागरिक था, जिससे आदेश सम्बद्ध है, उसी प्रकार लागू होंगे, मानों वह रचयिता उस तारीख को या उस समय भारत का नागरिक न रहा हो।

अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत उन शर्तों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की कृतियों को समस्त भारत में प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त हो सकता है। वे शर्तें निम्नलिखित हैं–

(1) जहाँ–

(क) कोई कृति किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, जिस पर धारा 41 लागू होती है, या उसके निर्देश या नियंत्रण के अधीन बनाई जाती है, या प्रथम प्रकाशित की जाती है, और

(ख) उस कृति के, यथास्थिति, बनाये जाने या प्रथम बार प्रकाशन के समय भारत में कोई प्रतिलिप्यधिकार इस धारा से पृथक रूप में नहीं होगा, और

(ग) या तो–

(1) कृति का यथा पूर्वोक्त प्रकाशन रचयिता के साथ उस निमित्त किये गये किसी ऐसे करार के अनुसरण में किया जाता है, जो कृति में किसी प्रतिलिप्यधिकार को, यदि कोई हो, रचयिता के लिये आरक्षित नहीं करता है, या

(2) धारा 17 के अधीन कृति में कोई प्रतिलिप्यधिकार उस संगठन को होगा, वहाँ इस धारा के आधार पर उसे उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार समस्त भारत में होगा।

(2) किसी संगठन को जिसको यह धारा लागू होती है और जिससे सम्बद्ध समय पर निगमित निकाय का विधिक सामर्थ्य नहीं था, प्रतिलिप्यधिकार को धाराण, व्यवहृत और प्रवर्तित करने के प्रयोजनों के लिये, तथा प्रतिलिप्यधिकार के सम्बन्ध में सब विधिक कार्यवाहियों की बाबत निगमित निकाय का विधिक सामर्थ्य होगा और सब सम्बद्ध समयों पर हुआ समझा जायेगा।

(3) जिन संगठनों को यह धारा लागू होती है, वे संगठन हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे संगठन घोषित करे, जिनके एक या अधिक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य या उनकी सरकारें सदस्य हैं और जिनके बारे में समीचीन है कि यह धारा लागू हो।

इस प्रकार यदि कृति भारत में पहले प्रकाशित की जाती है। तो रचयिता की राष्ट्रीयता पर विचार किये बिना प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व भारत में रहता है लेकिन जहाँ पर कोई कृति पहली बार भारत से बाहर प्रकाशित हुई है, प्रतिलिप्यधिकार तभी अस्तित्व में रहता है जबकि रचयिता भारत का नागरिक हो। अप्रकाशित कृति की दशा में रचयिता का भारत का नागरिक या भारत में अधिवसित होना आवश्यक है। विदेशी रचयिताओं की भारत से प्रकाशित कृतियां भारत का बर्न अभिसमय और सार्वभौमिक प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय का सदस्य होने के कारण भारत में प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण प्राप्त कर सकती है।

संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में प्रतिलिप्यधिकार प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में सभी शर्तें उस कृति के सभी रचयिताओं को पूरी करनी होती हैं।

किसी चलचित्र फिल्म में यदि उस फिल्म का कोई पर्याप्त भाग किसी अन्य कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन करता है तो फिल्म में प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में नहीं रहता है।

प्रकाशन का अर्थ एवं शर्तें

(अ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''प्रकाशन'' से अभिप्रेत है–

(क) साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, या कलात्मक कृति की दशा में उस कृति की प्रतियों का पर्याप्त परिमाण में जनता को उपलब्ध कराना;

(ख) चलचित्र फिल्म की दशाा में उस फिल्म या उसकी प्रतियों का जनता को विक्रय या भाड़े पर देना या विक्रय या भाड़े पर देने की प्रस्थापना;

(ग) रिकार्ड की दशा में रिकार्डों का पर्याप्त परिमाण में जनता को उपलब्ध कराना;

किन्तु इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टः उपबंधित के सिवाय निम्नलिखित इसके अन्तर्गत नहीं है–

(1) साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की दशा में, ऐसी कृति का ध्वन्यंकन करने वाले रिकार्ड उपलब्ध करना;

(2) मूर्ति या वास्तु कलाकृति की दशा में ऐसे कृति के फोटोग्राफ और उत्कीर्णन उपलब्ध कराना।

(ब) यदि कोई कृति प्रकाशित की जाती हैं या सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा के सिवाय जिसमें वह प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन से सम्बद्ध हो, उसे प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी की अनुज्ञप्ति के बिना प्रकाशित या सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया नहीं समझा जाएगा।

(स) भारत में प्रकाशित किसी कृति को इस बात के होते हुए भी कि वह साथ ही साथ किसी अन्य देश में भी प्रकाशित की गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत में पहले प्रकाशित समझा जाएगा जब तक कि ऐसा अन्य देश ऐसी कृति के लिए प्रतिलिप्यधिकार की लघुतर अवधि उपबंधित नहीं करता और कोई कृति भारत में और अन्य देश में साथ ही साथ प्रकाशित हुई समझी जाएगी, यदि भारत में प्रकाशन और ऐसे अन्य देश में प्रकाशन के बीच का समय तीस दिन से या ऐसी अन्य कालावधि से अधिक नहीं है जैसी केन्द्रीय सरकार, किसी विनिर्दिष्ट देश के संबंध में, अवधारित करें।

प्रतिलिप्यधिकार के लक्षण

characteristics of copyright

(1) परिनियम द्वारा निर्मित अधिकार,

(2) बौद्धिक सम्पत्ति की किस्म अधिकार,

(3) एकस्व अधिकार,

(4) नकारात्मक अधिकार,

(5) बहुपदीय अधिकार,

(6) प्रतिलिप्यधिकार भारत के अलावा अन्रू राष्ट्र के व्यक्तियों के खिलाफ अधिकार,

(7) पड़ोसी अधिकार।

(1) परिनियम द्वारा निर्मित अधिकार– कॉपीराइट एक्ट, 1957 के द्वारा रचनाओं को प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित करने से रोकने के लिए स्वामी को कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान करता है। कोई व्यक्ति किसी कृति में, चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित हो, कॉपीराइट या वैसे ही किसी अधिकार का हकदार, इस अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार होने के अन्यथा नहीं होगा।

(2) बौद्धिक सम्पति की किस्म का अधिकार– बौद्धिक सम्पत्ति का चार भागों में विभाजित किया जा सकता है–

(1) व्यापार–चिन्ह (Trade mark)

(2) व्यापार नाम (Trade name)

(3) पेटेन्ट अधिकार (Patent right)

(4) प्रतिलिप्यधिकार (Copy right)

इस प्रकार प्रतिलिप्यधिकार बौद्धिक अधिकार की एक किस्म होती है।

(3) एकस्व अधिकार– किसी रचना को एक मात्र तथा अनन्य रूप से प्रकाशित एवं उसकी प्रतिलिपियाँ कराने के अधिकार को प्रतिलिप्यधिकार कहते हैं, यदि इस अधिकार का अतिलंघन होता है तो उसके स्वामी को उपचार अधिनियम द्वारा उपलब्ध है।

(4) नकारात्मक अधिकार–नकारात्मक अधिकार का तात्पर्य प्रतिषेधात्मक प्रकृति का अधिकार से होता है। यह नकल करने या अन्य प्रतियाँ छपवाने से रोकता है। नकल रोकने के उद्देश्य से यह नकारात्मक अधिकार होता है।

(5) बहुपदीय अधिकार–प्रतिलिप्य अधिकार स्वयं से बहुपदीय अधिकार होता है। इसकी सीमा प्रति बनाने या नकल करने तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि साहित्य, नाटक या गायन सम्बन्धी ग्रन्थ, कला, सिनेमैटोग्राफ फिल्म तथा ध्वनि रिकॉर्डिंग तक फैली हुई है।

(6) अन्य राष्ट्र के व्यक्तियों के खिलाफ अधिकार–प्रतिलिप्यधिकार की माँग सिर्फ भारतवासी के खिलाफ ही नहीं की जा सकती है, बल्कि अन्य राष्ट्र के व्यक्तियों के खिलाफ भी की जा सकती है।

(7) पड़ोसी अधिकार–प्रतिलिप्यधिकार मूल रचना या मूल रिकॉर्डिंग तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि स्थापत्य कला की कृति, सिनेमेटोग्राफ फिल्में, ध्वनि रिकॉर्डिंग से सम्बन्धित सभी अधिकार, पड़ोसी अधिकार के नाम से जाने जाते है।

साहित्य कृति के लिए आवश्यक संरक्षण

(Neccesary protected for literacy work)

प्रतिलिप्यधिकार केवल पुस्तक का ही नहीं होता है वरन् साहित्य नाटक या गायन सम्बन्धी ग्रन्थ, कला, सिनेमैटोग्राफ फिल्म तथा रिकॉर्ड में भी होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भौतिक, साहित्यिक, कलात्मक या संगीत सम्बन्धी प्रत्येक किस्म की रचनायें सम्मिलित हैं। विचार, सूचनाएँ, प्राकृतिक क्रियाकलापों, जिन पर लेखक अपनी कुशलता, परिश्रम एवं पूँजी लगाता है, उस पर उसका प्रतिलिप्यधिकार हो जाता है। विधि का उद्देश्य समाज की दृष्टि में उपयोगी रचनाओं की सुरक्षा करना होता है। यदि रचना निरर्थक है, या उसमें ऐसी बातें है, जिनमें समाज का अहित होता है या होने की सम्भावना है तो ऐसी रचना पर कॉपीराइट का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पुस्तक में मौलिकता का थोड़ा–सा भी अंश होने पर उसके रचयिता को लेखक मान लिया जाता है और उसे प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त हो जाता है।

उदाहरण–(1) किसी कृति के सम्बन्ध में, उस कृति का कोई भी उपयोग जिसमें उसका पुनर्विन्यास या परिवर्तन भी सम्मिलित है। यदि स्वामी पुनर्विन्यास के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करता है, तो वह व्यक्ति स्वामी की श्रेणी में नहीं आ सकता है।

(2) किसी कृति को न्यून करना भी प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन माना जाता है, अतः न्यून करने की भी इजाजत नहीं दी जा सकती है।

गोविन्द बनाम गोपाल कृष्णनन् A.I.R. 1955 Madras, 391 की नजरी में विचार व्यक्त किया गया कि मूल की यह पुनर्विन्यास कृति है, चुँकि मूल पर लेखक का प्रतिलिप्यधिकार या अतः पुनर्विन्यास कापी पर भी लेखक का प्रतिलिप्यधिकार माना जायेगा।

(3) साहित्यिक कृति के अनुवाद पर भी प्रतिबम्ब है, क्यों कि जब मूल साहित्यिक पर प्रतिलिप्यधिकार बनाता है तो उसके अनुवाद पर भी प्रतिलिप्यधिकार बनता है।

ब्लेकवुड बनम परसुरमन ***A.I.R. 1959 Madras, 410*** की नजरी विद्वान न्यायाधीश ने मत व्यक्त किया कि साहित्यिक कृति का अनुवाद भी साहित्यिक कृति का रूप होता है, अतः उस प्रतिलिप्यधिकार को असल साहित्य की ही तरह संरक्षण प्राप्त होता है। अतः अनुवाद करने के लिए भी स्वामी से लाइसेन्स लेना आवश्यक होता है।

(4) कानूनी पुस्तकों के हासियाँ, शीर्ष रिधना में भी बुद्धि का कौशल मेहनत होती है। अतः उनको भी प्रतिलिप्यधिकार की तरह से संरक्षण प्राप्त होता है।

(5) जनता में दिये गये किसी अभिभाषण या भाषण में, वह व्यकित जिसने उक्त परिभाषा या भाषण दिया है तो वह व्यक्ति उसमें कॉपीराइट का स्वामी रहेगा।

(6) प्रतिलिप्यधिकार पत्रों में भी अस्तित्वशील रहता है। चाहें वह पत्र प्राइवेट पत्र हो, व्यापारिक पत्र हों या सरकारी पत्र हों।

(7) वह सूची पत्र जिसमें माल का विवरण होता है, उसमें भी प्रतिलिप्यधिकार रहता है।

(8) टिकट जो कि तम्बोला के खेल में प्रयोग किये जाते हैं, उनमें बुद्धि कौशल, तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है। अतः उनमें भी प्रतिलिप्यधिकार का संरक्षण प्राप्त होता है।

राय टोयस इण्डस्ट्रीज बनाम मुनीर प्रिटिंग प्रेस (1982) ***P.T.C.,*** *85* की नजरी में विद्वान न्यायाधीश ने मत व्यक्त किया कि तम्बोला के खेल में जो टिकट होते हैं, उनमें नम्बर हेाते हैं और उनको लगाने में कौशल, बुद्धि और परिश्रम की आवश्यकता होती है। अतः कॉपीराइट का अस्तित्व रहता है।

(9) परीक्षा के लिए जो प्रश्न–पत्र बनाये जाते हैं, उसमें परिश्रम, कौशल तथा समय को लगाना पड़ता है।पेपर सेटर उस प्रश्न–पत्र का लेखक व स्वामी होता है, अतः उसमें कॉपीराइट निहित होता है। यह निर्णय कई उच्च न्यायालयों ने दिया है। ***[****जगदीश प्रसाद बनाम रामेश्वर,* ***A.I.R. 1966*** *पटना 33 ।****]***

(10) विद्यार्थी द्वारा रिसर्च की जाती है और उस रिसर्च में उसको काफी परिश्रम, कौशल, तथा समय लगता है, अतः रिसर्च कृति पर विद्यार्थी का कॉपीराइट अस्तित्वशील होता है। ***[****अग्रवाल पब्लिसिंग हाउस बनाम बोर्ड ऑफ हाईस्कूल,* ***A.I.R. 1957*** *इलाहाबाद ।****]***

प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय एवं प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड

[COPYRIGHT OFFICE AND COPYRIGHT BOARD]

प्रतिलिप्याधिकार बार्ड (Copyright Board)–

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 11 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया हे जिसमें एक अध्यक्ष तथा कम से कम दो और अधिक से अधिक 14 सदस्य होते हैं।

अधिनियम की द्वारा 11 (3) के अनुसार, प्रतिलिप्यध्किार रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का सचिव होता है। तथा प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड से सम्बन्धित सभी सचिवीय कृत्यों का संपादन बोर्ड के अध्यक्ष के निर्देश एवं नियन्त्रण के अधीन करता है।

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जो किसी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है या उच्चन्यायालय का न्यायाधीश होने योग्य है।

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति पाँच वर्ष से अनधिक अवधिक के लिए की जाती है बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होते हैं।

बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार की तीन माह की लिखित नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष ओर अन्य सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वेतन व मानदेय देय होता है।

प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड की शक्तियां–(Power of Copyright Board)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं–

1. कतिपय कृति सम्बन्धी विवादों के विनिश्चय का अधिकार–अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत यदि कोइ प्रश्न इस तरह का उठाया जाता है कि–

(क) क्या किसी कृति का प्रकाशन किया गया या वह तारीख कौन सी है, जिसको कोई कृति प्रतिलिप्यधिकार की अवधि के प्रयोजनों के लिए प्रकाशित की गई थी, या

(ख) क्या किसी कृति के लिए प्रतिलिप्याधिकार की अवधि किसी अन्य देश में उस अवधि में लघुतर है, जो उस कृ ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित है। तो वह अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत गठित प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड को निदेशित किया जाता है, और बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होता है।

2. प्रतिलिप्याधिकार के समनुदेशन विवादों के निपटारे की शक्ति–अधिनियम की धारा 19 (क) के अनुसार प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

3. जनता से रोक ली गयी कृतियों में अनिवार्य अनुज्ञप्ति– अधिनियम की धारा 31 के अनुसार जनता से रोक ली गई कृतियों की अनिवार्य अनुज्ञप्ति सम्बन्धी परिवादों का विनिश्चय करने की शक्ति प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड को प्राप्त है।

4. अप्रकाशित भारतीय कृतियों में अनिवाय अनुज्ञप्ति– अधिनियम की धारा 31 (क) के अनुसार अप्रकाशित भारतीय कृ तियों में अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की शक्ति प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को प्राप्त है।

5. भाषान्तर व प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति– अधिनियम की धारा 32 के अनुसार साहित्यिक या नाट्य कृति का भाषान्तर करने और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है।

6. कतिपय प्रयोजनों के लिए कृतियों और पुनरूत्पादन का प्रकाशन की अनुज्ञप्ति– अधिनियम की धारा 32 (क) के अनुसार कतिपय प्रयोजनों के लिए साहित्यिक, वैज्ञानिक या कलात्मक कृति के पुनरूत्पादन एवं प्रकाशन के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने की शक्ति प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड में निहित है।

7. रजिस्टरों के परिशोधन की शक्ति– अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रार के या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर प्रतिलिप्याधिकारों के रजिस्टर में कोई ऐसी प्रविष्टि करके जो रजिस्टर में गलती से की गई या रह गई हो, तो ऐसी प्रविष्टि को निकालकर या रजिस्टर में किसी गलती या त्रुटि को ठीक करके परिशोधन का आदेश देने की शक्ति प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड को प्राप्त है।

प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड की प्रकिया

(Procedure of Copyright Board)–

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 12 के अनुसार–

प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है जिसके अन्तर्गत बोर्ड की बैठकों का स्थान और समय निश्चित करना भी सम्मिलित है। बोर्ड अपने समक्ष संस्थित किसी कार्यवाही को मामूली तौर पर उस अंचल में सुनता है जिसमें कार्यवाही के संस्थित किये जाने के समय वह व्यक्ति जो कार्यवाही संस्थित करता है, वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, या कारोबार चलाता है, अथवा अभिलाभ के लिए वैयक्तिक रूप से कार्य करता है।

व्याख्या (Explanation)– इस उपधारा में ''अंचल'' से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट अंचल अभिप्रेत है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रयोजन के लिए भारत का राज्य क्षेत्र पाँच अंचलों–उत्तरी अंचल, केद्रीय अंचल, पूर्वी अंचल, पश्चिमी अंचल और दक्षिणी अंचल में विभाजित है।

प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड अपनी शक्तियों ओर कृतियों का प्रयोग और निर्वहन प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से गठित न्यायपीठों के माध्यम से कर सकता है, मामले का विनिश्चय बहुमत के आधार पर किया जाता है। बहुमत न होने की स्थिती में बोर्ड अध्यक्ष की राय अभिभावी होती है।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड व प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रार को वे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं, व शक्तियाँ निम्न हैं–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उनकी शपथ पर परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य देना,

(घ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना,

(ड़) किसी न्यायालय या कार्यालय में कोई लोक अभिलेख या उसकी नकल की अपेक्षा करना,

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाता है और बोर्ड के समक्ष सभी कार्यवाहियाँ भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाती है।

अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के किसी अन्तिम विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय की तारीख से तीन माह के भीतर अपील कर सकता है।

प्रतिलिप्याधिकारर बोर्ड को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्राप्त हेाती है जिसके अन्तर्गत उसकी बैठकों के स्थान और समय निश्चित करना भी सम्मिलित होता है। प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड अपने समक्ष संस्थित किसी कार्यवाही को मामूली तौर पर उस अंचल में सुनता है जिसमें कार्यवाही के संस्थित किये जाने के समय वह व्यक्ति जो कार्यवाही संस्थित करता है, वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार चलाता है, अथवा अभिलाभ के लिये वैयक्तिक रूप से कार्य करता है। इस प्रयोजन के लिये भारत का राज्य क्षेत्र पांच अंचलों–उत्तरी–केन्द्रीय अंचल, पूर्वी अंचल, पश्चिमी अंचल और दक्षिणी अंचल में विभाजित है। प्रत्येक अंचल के अन्तर्गत आने वाले राज्य निम्न प्रकार हैं–

उत्तरी अंचल – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं

कश्मीर, राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़

केन्द्रीय अंचल – उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।

पूर्वी अंचल – बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर और त्रिपुरा।

पश्चिमी अंचल – गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और संघ राज्य क्षेत्र दादरा, नगर हवेली और दमन दियु।

दक्षिणी अंचल – आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, एवं संघ राज्य क्षेत्र पाण्डीचेरी।

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय रजिस्टोकरण और प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड

(COPYRIGHT OFFICE REGISTRATION AND COPYRIGHT BOARD)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के प्रयोजनों के लिये अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित विनियामक प्राधिकारियों की स्थापना का प्रावधान किया गया है–

(1) प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय; और

(2) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड।

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय
(Copyright Office)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 की धारा 9 (1) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक कार्यालय की स्थापना की गई है, जिसे प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय कहा जाता है। प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन होता है। प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की एक मुद्रा होती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा एक प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार एक या अधिक प्रतिलिप्यधिकार उप–रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति कर सकती है। प्रतिलिप्यधिकार उप–रजिस्ट्रार, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन के अधीन रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करता है जैसे रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर सौंपे जाते हैं। अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के प्रति किसी निर्देश के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार उप–रजिस्ट्रार के प्रति निर्देश होता है।

प्रतिलिप्यधिकारों का रजिस्टर
(Reglster of Copyrights)

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय में एक रजिस्टर रखा रहता है जिसे प्रतिलिप्यधिकारों का रजिस्टर कहा जाता है। रजिस्टर में कृतियों के नाम या शीर्षक और रचयिताओं, प्रकाशकों तथा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामियों के नाम ओर पते दर्ज किये जाते हैं।

रजिस्टर में कृतियों के वर्ग के आधार पर 6 भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं–

भाग 1. कम्प्यूटर प्रोग्राम, सारणियों और संकलन जिनके अन्तर्गत कम्प्यूटर आंकड़ा संचय है, से भिन्न साहित्यिक कृतियां और नाट्य कृतियाँ।

भाग 2. संगीतात्मक कृतियां।

भाग 3. कलात्मक कृतियाँ।

भाग 4. चलचित्र फिल्म।

भाग 5. ध्वन्यंकन।

भाग 6. कंप्यूटर प्रोग्राम, सारणियाँ और संकलन जिनके अन्तर्गत कंप्यूटर आंकड़ा संचय हैं।

प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन में निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट किये जाते हैं जिन्हें प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है–

1. रजिस्ट्रीकरण संख्या

2. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता

3. कृति के प्रतिलिप्यधिकार में आवेदक के हित की प्रकृति

4. कृति का वर्ग और विवरण

5. कृति का शीर्षक

6. कृति की भाषा

7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि रचयिता की मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु की तारीख

8. कृति प्रकाशित है अथवा अप्रकाशित

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष एवं देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता

10. पश्चात्वर्ती प्रकाशनों का वर्ष एवं देश, यदि कोई हो, तथा प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयतायें

11. विभिन्न अधिकारों, जिसमें कृति में प्रतिलिप्यधिकार समाविष्ट है, के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयतायें तथा समनुदेशनों और अनुज्ञाप्तियों, यदि कोई हों, के विवरण के साथ प्रत्येक के द्वारा धारित अधिकारों का विस्तार

12. अन्य व्यक्तियों, यदि कोई हों, जो अधिकारों, जिसमें प्रतिलिप्यधिकार समाविष्ट है, का समनुदेशन और अनुज्ञाप करने के लिये प्राधिकृत हों के नाम, पते और राष्ट्रीयतायें

13. यदि कृति 'कलात्मक कृति' है तो मौलिक कृति की अवस्थिति और कृति जिस व्यक्ति के कब्जे में है उसका नाम, पता और राष्ट्रीयता।

(वास्तु कृति की दशा में कृति के पूर्ण होने के वर्ष का भी उल्लेख किया जाना चाहिये।)

किसी कृति का रचयिता या प्रकाशक, अथवा उसमें प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी या अन्य हितबद्ध व्यक्ति, प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में उस कृति की विशिष्टियों को दर्ज करने के लिये प्रतिलिप्यधिकार परिनियमावली, 1958 के नियम 16 अधीन प्ररूप 4 के अनुसार और परिनियमावली की द्वितीय अनुसूची में विहित फीस के साथ प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है।

यदि आवेदन किसी कलात्मक कृति के बारे में किया जाता है तो आवेदन में कृति के बारे में यह कथन सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है कि कलात्मक कृति का माल या सेवा के सम्बन्ध में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में निर्दिष्ट व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिये कि कोई ऐसा व्यापार चिन्ह, जो ऐसी कलात्मक कृति के समरूप या इतना समान है कि धोखा हो जाए, आवेदक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के नाम में व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या उसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिये व्यापार चिन्ह अधिनियम के अन्तर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है।

प्रतिलिप्यधिकार का रजिस्ट्रीकरण
(Registration of Copyright)

एक रचयिता मौलिक रचना या संकलन में बिना रजिस्ट्रीकरण के अनतर्निहित प्रतिलिप्यधिकार रखता है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कृति में प्रतिलिप्यधिकार का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है। प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन से सम्बन्धित नुकसानी के वाद की कार्यवाही हेतु कृति का रजिस्ट्रीकरण पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। इस बारे में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 13 और 17 का सन्दर्भ लिया जा सकता है। धारा 13 के अन्तर्गत ''कृतियां जिनमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्वशील है'' उपबन्धित है और धारा 17 के अन्तर्गत ''प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुये किसी कृति का रचयिता उसमें प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होगा'' का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त दोनों धाराओं में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का रजिस्ट्रीकरण पूर्ववर्ती शर्त है।

नव साहित्य प्रकाश बनाम आनन्द कुमार के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 44 के पीछे रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य या आदेशात्मक बनाने का आशय नहीं है। इसने विकल्प दिया है। एक रचयिता के लिये यह आदेशात्मक नहीं है कि वह अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार को रजिस्ट्रीकरण कराये। रजिस्ट्रीकरण मात्र एक धारणा प्रस्तुत करती है कि व्यक्ति वास्तविक रचयिता है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 48 उपबन्ध करती है कि प्रतिलिप्यधिकार का रजिस्टर उसमें दर्ज प्रविष्टियों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा और उसमें की किन्हीं प्रविष्टयों की नकलें या उसमें से उद्धरण होनी तात्पर्यित दस्तावेजें सब न्यायालयों में अतिरिक्त सबूत या मूल की पेशी के बिना साक्ष्य में ग्राह्य होंगी। यदि विधायिका का आशय रजिस्ट्रीकरण की शर्त को अनिवार्य बनाना होता तो धारा 44 की भाषा अलग होती।

ए. सुन्ददरासन बनाम ए. सी. तिरूलोक चन्दर के वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करता है और इसका अरजिस्ट्रीकरण प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को अतिलंघन की कार्यवाही संस्थित करने के अयोग्य नहीं बनाता है। प्रतिलिप्यधिकार की प्राप्ति के लिये रजिस्ट्रीकरण पूर्वापेक्षा नहीं है।

रजिस्ट्रीकरण की प्रकिया
(Procedure of Registration)

प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन प्रारूप 4 के अनुसार होना चाहिये। प्रत्येक आवेदन एक कृति की बाबत ही होना चाहिये। रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने आवेदन के बारे में सूचना देनी चाहिये जो कृति में प्रतिलिप्यधिकार का दावा करता है या प्रतिलिप्यधिकार की विषय–वस्तु में हित रखता हो या इस बारे में आवेदक के अधिकारों के बारे में प्रतिवाद करता हो।

आवेदक द्वारा प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है और उसे आवेदन में उल्लेखित विशिष्टयों के औचित्य का समाधान हो जाता है तो वह प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में विशिष्टियों के को दर्ज करता है।

यदि प्रतिलिप्यधिकारों का रजिस्ट्रीकरण के बारे में आवेदन किये जाने की तिथि से तीस दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त करता है या आवेन में दी गई विशिष्टियों के बारे में उसे समाधान नहीं होता है तो वह ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, कृति से सम्बन्धित विशिष्टियों को दर्ज करने के पश्चात् रजिस्ट्रार यथासाध्य शीघ्रता से उसकी प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को भेजता है।

अनुक्रमणिकायें
(Indexes)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 46 के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय में प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर की अनुक्रमणिकायों को रखे जाने की व्यवस्था की जाती है। प्रतिलिप्यधिकार परिनियमावली, 1958 के नियम 18 के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्टर के प्रत्येक भाग के लिये निम्नलिखित अनुक्रमणिकायें रखी जाती हैं–

(1) सामान्य रचयिता अनुक्रमणिका;

(2) सामान्य शीर्षक अनुक्रमणिका;

(3) प्रत्येक भाषा में कृतियों के रचयिता की अनुक्रमणिका; और

(4) प्रत्येक भाषा में कृतियों के शीर्षक की अनुक्रमणिका।

प्रत्येक अनुक्रमणिका कार्ड के रूप में अकारादि क्रम से व्यवस्थित होती है। प्रतिलिप्यधिकारों का रजिस्टर और उसकी अनुक्रमणिकाएं सभी उचित समयों पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहती हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसे रजिस्टर या अनुक्रमणिकाओं की नकल या उनसे उद्धरण विहित फीस का भुगतान करते हुये प्राप्त कर सकता है।

रजिस्टर का साक्ष्यिक महत्व
(Evidentiary value of register)

प्रतिलिप्यधिकारों का रजिस्टर उसमें दर्ज प्रविष्टियों यथा– कृतियों के नाम या शीर्षक, रचयिताओं, प्रकाशकों तथा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामियों के नाम, पते आदि का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। रजिस्टर में की किन्हीं प्रविष्टियों की नकलें या उसमें से उद्धकरण से सम्बन्धित दस्तावेजें जो प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय द्वारा मुद्रांकित होती हैं, सभी न्यायालयों में अतिरिक्त सबूत या मूल की पेशी के बिना साक्ष्य में ग्राह्य मुद्रांकित होती है।, सभी न्यायालयों में अतिरिक्त सबूत या मूल की पेशाी के बिना साक्ष्य में ग्राह्य में ग्राह्य होती हैं।

प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में प्रविष्टियों का संशोधन
(Correction of entries in the register)

अधिनियम की धारा 49 के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में किसी नाम, पते या विशिष्टि में किसी गलती को या किसी ऐसी अन्य गलती को, जो आकस्मिक भूल या लोप से हो गई हो, ठीक करके संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।

प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार ऐसा संशोधन या परिवर्तन स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर कर सकता है। इसके लिये रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा संशोधन या परिवर्तन किये जाने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले

व्यक्तियों की सुनवाई किये जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात् जो भी संशोधन या परिवर्तन विशिष्टियों के बारे में किये जाते हैं उसकी सूचना रजिस्ट्रार द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को दी जाती है।

प्रतिलिप्यधिकरों के रजिस्टर में की प्रविष्टियों, आदि का प्रकाशन
(Publication of entries in the register of copyrights)

प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में की गई प्रत्येक प्रविष्टि या प्रविष्ट कृति या प्रविष्टियां, प्रविष्टि की शुद्धि या प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा रजिस्टर का परिशोधन प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जैसी वह उचित समझे, प्रकाशित किया जाता है।

प्रतिलिप्यधिकार का स्वामित्व और स्वामी के अधिकार
(OWNERSHIP OF COPRIGHT AND THE RIGHTS OF THE OWNER)

किसी कृति का रचयिता कृति में प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है। ''रचयिता'' और ''स्वामित्व'' की धारणा का महत्व प्रतिलिप्यधिकार के औचित्य का प्रश्न निर्धारित करने के दौरान अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विचार अथवा भाव में किसी प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व नहीं होता है। किसी विचार का प्रवर्तक प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी नहीं होता है, प्रतिलिप्यधिकार ऐसे व्यक्ति का होता है जो अपनी बौद्धिक सामर्थ्य, विवेक और कौशल का प्रयोग करते हुये विचार को मूर्तरूप प्रदान करता है। पुस्तक का लेखक या चित्रकार, प्रतिलिप्यधिकार के लिये अधिकृत होता है।

एक रचयिता कृति की रचना स्वयं अपनी ओर से कर सकता है या मूल्यवान प्रतिफल के बदले में किसी अन्य व्यक्ति के निवेदन पर कर सकता है या किसी अन्य द्वारा नियोजन के अनुक्रम में कर सकता है। ऐसी दशा में प्रतिलिप्यधिकार प्रश्नगत हो जाता है। सर्वप्रथम रचयिता पर विचार किया जाना आवश्यक है।

रचयिता
(Author)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2(घ) के अन्तर्गत विभिन्न कृतियों के सम्बन्ध में ''रचयिता'' शब्द को स्पष्ट किया गया है, इसके अनुसार,

(1) किसी साहित्यिक या नाट्य कृति के समबन्ध में उस कृति का रचयिता;

(2) किसी संगीतात्मक कृति के सम्बन्ध में, संगीतकार;

(3) फोटोग्राफ से भिन्न किसी कलात्मक कृति के सम्बन्ध में, कलाकार;

(4) किसी फोटोग्राफ के सम्बन्ध में, फोटोग्राफ खींचने वाला व्यक्ति;

(5) किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन के सम्बन्ध में, निर्माता, और

(6) किसी ऐसी साहित्यिक, नाट्य संगीतात्मक या कलात्मक कृति के सम्बन्ध में, जो कम्प्यूटर जनित है, वह व्यक्ति

जो उस कृति का सृजन कराता है।

इस प्रकार कृति का रचयिता कृति की प्रकृति पर निर्भर करता है।

साहित्यिक या नाट्य कृतियों के बारे में कृति का लेखक; संगीतात्मक कृति की दशा में संगीतात्मक कृति की दशा में संगीतकार, कलात्मक कृति के सम्बन्ध में कलाकार, फोटोग्राफ की दशा में फोटो लेने वाला व्यक्ति; चलचित्र फिल्म या

ध्वन्यंकन के सम्बन्ध में निर्माता और किसी कंप्यूटर जनित साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति की दशा में वह व्यक्ति जो उस कृति का सृजन करता है, कृति का रचयिता होता है।

सामाचार–पत्र के लिये समाचार का लेखक रचयिता की परिभाषा के अन्तर्गत आता है न कि वह व्यक्ति जो समाचार उपलब्ध कराता है। यदि किसी व्यक्ति के अनुरोध पर कृति की रचना की गई है तो तत्प्रतिकूल करार के अभाव में कृति में प्रतिलिप्यधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जिसके अनुरोध पर कृति की रचना की गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिलिप्यध्किार में स्वामित्व नियोजन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।

प्रतिलिप्यधिकार का स्वामित्व और नागरिकता
(Ownership of Copyright and Citizenship)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत रचयिता की नागरिकता प्रतिलिप्यधिकार के प्रमुख निर्धारक के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकारर के अस्तित्व के लिये कुछ शर्तें अपेक्षित हैं जो निम्नलिखित हैं–

(i) प्रकाशित कृति
(Published work)

अधिनियम की धारा 13 (2) के खण्ड (i) के अनुसार, जब कोई कृति भारत में पहले प्रकाशित की जाती है तो प्रतिलिप्यधिकार के अस्तित्व के लये नागरिकता उपेक्षित नहीं होती है। जहाँ कृति भारत के बाहर पहले प्रकाशित की जाती है वहां उसके रचयिता को ऐसे प्रकाशन की तारीख को अथवा उस दशा में, जिसमें रचयिता उस तारीख को मर चुका है अपनी मृत्यु के समय भारत का नागरिक होना चाहिये।

''प्रकाशन'' से तात्पर्य जनता को कृति की प्रतियाँ देकर या जनता को कृति की संसूचना देकर कोई कृति उपलब्ध कराने से है। कोई कृति भारत में प्रकाशित होने के साथ किसी अन्य देश में भी प्रकाशित की गई है तो उसे भारत में पहले प्रकाशित समझा जाता है, यदि ऐसा अन्य देश ऐसी कृति के लिये प्रतिलिप्यधिकार की लघुतर अवधि उपबंधित नहीं करता है। कोई कृति भारत में और अन्य देश में साथ–साथ तब प्रकाशित हुई समझी जाती है यदि भारत में प्रकाशन और ऐसे अन्य देश में प्रकाशन के बीच के समय में तीस दिन से अधिक का अन्तर नहीं होता है। किसी विनिर्दिष्ट देश के सम्बन्ध में कालावधि को निर्धारित करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है।

(ii) अप्रकाशित कृति
(Unpublished work)

वास्तुकृति से भिन्न किसी अप्रकाशित कृति की स्थिति में उसे रचयिता को कृति की रचना की तारीख को भारत का नागरिक होना चाहिये या भारत में अधिवसित होना चाहिये। यदि किसी अप्रकाशित कृति का रचनाकाल काफी विस्तृत है वहाँ उस कृति का रचयिता उस देश का नागरिक या वहाँ अधिवासित समझा जाता है जहां वह उस समय के पर्याप्त भाग के दौरान रहा था।

वास्तु कृति के सम्बन्ध में प्रतिलिप्यधिकार के लिये आवश्यक है कि वह कृति भारत में स्थित होनी चाहिये।

प्रतिलिप्यधिकार का स्वामित्व
(Ownership of Copyright)

अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, किसी कृति का रचयिता उसमें प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है। यह सामान्य नियम है जो कुछ अपवादों के अधीन है जो निम्नलिखित हैं:

(1) साहित्यिक, नाट्य, कलात्मक कृति
(Literary Dramatic, Artistic work)

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 17 (क) में कहा गया है कि यदि कोई साहित्यिक, नाट्य या कलात्मक कृति जो उसके रचयिता द्वारा किसी समाचार–पत्र, पत्रिका या सामयिकी के स्वत्वधारी द्वारा, सेवा या शिक्षुता की संविदा के अधीन उसके नियोजन के अनुक्रम में किसी समाचार पत्र, पत्रिका या सामयिकी में प्रकाशन के प्रयोजन से बनाई गई है तो ऐसा स्वत्वधारी होता है, यह स्थिति ऐसी दशा में ही मान्य होती है, जबकि प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी होता है, यह स्थिति ऐसी दशा में ही मान्य होती है, जबकि प्रतिलिप्यधिकार उस कृति के किसी सामाचार–पत्र पत्रिका या सामयिकी में प्रकाशन से प्रकाशन के प्रयोजनार्थ उस कृति के पुनरूत्पादन से सम्बद्ध है, इसके अतिरिक्त अन्य बातों के लिए रचयिता कृति में प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी होता है। *[खेमराय बनाम गर्ग एण्ड कम्पनी, AIR 1975 दिल्ली 136]*।

(2) फोटोग्राफ, रंगचित्र, चित्र या चलचित्र फिल्म
(Photogrph, Painting, Portrait, Cinemea to graphy film)–

प्रतिलिप्यधिकार अधनियम, 1957 की धारा 17 (ख) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के अनुरोध पर मूल्यवान प्रतिफल के लिए खींचे गए फोटोग्राफ या बनाये गए रंगचित्र, या चित्र या उत्कीर्ण या चलचित्र फिल्म बनाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में, यदि कोई तत्प्रतिकूल करार नहीं है, तो वह व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है, जिसके अनुरोध पर ऐसी कृ ति की रचना की जाती है।

(3) सेवा या शिक्षुता की संविदा के अधीन
(Under a Contract of Service or apprenticeship)

अधिनियम की धारा 17 (ग) के अनुसार, सेवा या शिक्षुंता की संविदा के अधीन यदि रचयिता द्वारा नियोजन के दौरान किसी कृति की रचना की जाती है, तो नियोजक, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी होता है।

डंक बनाम वालर (1970) 2WLR 241 के वाद में कहा गया कि शिक्षु एक विद्यार्थी होता है, जो हस्तकला या व्यापार का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में एक निश्चित समय के लिए करार के अन्तर्गत नियोजक को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य होता है, इसके अन्तर्गत संविदा की प्रकृति इस प्रकार की होती है, कि मालिक प्रशिक्षण देता है और शिक्षु जानकारी प्राप्त करने के आशय से अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, इसलिए कृतिनियोजक की होती है।

(4) जनता में दिया गया अभिभाषण या भाषण
(Address or speech delivered in Public)

अधिनियम की धारा 17 (ग–ग) के अनुसार, जनता में दिये गये किसी अभिभाषण या भाषण की दिशा में वह व्यक्ति जो ऐसा अभिभाषण या भाषण देता है, प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है, यदि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से जनता में अभिभाषण या भाषण देता है, तो वह अन्य व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है।

(5) सरकारी कृति
(Government work)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, की धारा 17 (घ) अनुसार, किसी सरकारी कृति की दशा में सरकार, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है।

(6) लोक उपक्रम द्वारा या उसके निदेश के अधीन कृति
(Under the direction or Control of Public Undertaking)

अधनियम की धारा 17 (घ घ) के अनुसार किसी ऐसी कृति की दशा में, जो किसी लोक उपक्रम द्वारा या उसके विदेश या नियन्त्रण के अधीन तैयार की जाती है या प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, तो ऐसा लोक उपक्रम, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में उसमें प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की कृति
(Work of Internaticnal Organisation)

अधिनियम की धारा 17 (ड) के अनुसार ऐसी कृति की दशा में जिस पर प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम को धारा 41 के उपबन्ध लागू होते हैं, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन उसमें प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है।

अन्य प्रतिलिप्याधिकार स्वामित्व

(i) अधिकृत कृति
(Authorised work)

एक रचयिता किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर मूल्यवान प्रतिफल के लिये कृति की रचना कर सकता है। ऐसी स्थिति में कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी वह व्यक्ति होता है जिसके अनुरोध पर कृति की रचना की जाती है। उदाहरण के तौर पर, किसी कम्पनी से सम्बन्धित विषय पर रिपोर्ट करना, किसी फिल्म के लिये गीत की रचना करना या चित्रकार द्वारा किसी व्यक्ति के अनुरोध पर चित्र बनाना आदि मूल्यवान प्रतिफल के लिये हेाता है, इसलिये तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में वह व्यक्ति कृति में प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है जिसके अनुरोध पर मूल्यवान प्रतिफल के लिये कृति की रचना की जाती है।

(ii) शिक्षुता
(Apprenticeship)

शिक्षु एक प्रकार का विद्यार्थी होता है जो हस्तकला या व्यापार का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में एक निश्चित समय के लिये करार के अन्तर्गत नियोजक को उपनी सेवा प्रदान करने के लिये बाध्य होता है। इसके अन्तर्गत संविदा की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि मालिक प्रशिक्षण देता है और शिक्षु जानकारी प्राप्त करने के आशय से अपनी सेवाएं प्रदान करता है इसलिये कृति नियोजक की होती हैं

(iii) आशुलिपिक
(Stenographer)

यदि कोई भी आशुलिपिक किसी व्यक्ति द्वारा बोले गये विषय वस्तु को शब्दशः उतारता है तो ऐसा व्यक्ति जो विषय वस्तु को लिखवाता है वह कृति का रचयिता और प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी होता है।

(iv) शिक्षक
(Teacher)

यदि किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का शिक्षक कोई पुस्तक लिखता है तो वह रचयिता होने के साथ पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी होता है क्योंकि उसे शिक्षण कार्य के लिये नियोजित किया जाता है न कि पुस्तक लेखन के लिये।

(v) परीक्षा प्रश्न–पत्र

(Question papers for examination)

परीक्षा से सम्बन्धित प्रश्न–पत्र में, यदि कोई तत्प्रतिकूल करार नहीं है तो प्रतिलिप्यधिकार का स्वामित्व प्रशासनिक में निहित हेाता है और वह रचयिता एवं प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी होता है न कि परीक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय जिसके लिये प्रश्न–पत्र तैयार किये जाते हैं।

(vi) सामूहिक कृतियाँ

(Collective works)

सामूहिक कृतियों के अन्तर्गत विश्वकोश, शब्दकोश, वार्षिक, समाचार–पत्र, पत्रिकायें या ऐसी कोई भी कृति जिसमें विभिन्न रचयिताओं का समावेश होता है, आती है। ऐसी सामूहिक कृति में प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी वह व्यक्ति होता है जो सामग्री का संकलन करता है, संपादन करता है और कृति को सुव्यवस्थित करता है।

(vii) संगीतात्मक कृति

(Musical work)

संगीतात्मक कृति में संगीतकार प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है। यदि संगीत की रचना सेवा की संविदा के अधीन नियोजन के अनुक्रम में की जाती है तो नियोजक प्रतिलिपयधिकार का प्रथम स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति जो संगीतात्मक कृति के लिये अन्य को अधिकृत करता है तो वह प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी नहीं हो जाता है, बल्कि जिस प्रयोजन को लेकर कृति की रचना के लिये अधिकृत करता है, उसका उपयोग करने के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ, जब फिल्म निर्माता एक संगीतकार को अपनी फिल्म के लिये संगीत की रचना करने के लिये अधिकृत करता है तो फिल्म निर्माता संगीतात्मक कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी नहीं हो जाता है, बल्कि उस संगीत को अपनी फिल्म में सम्मिलित करने की केवल अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है। संगीतात्मक कृति से सम्बन्धित अन्य सभी अधिकार संगीतकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

(viii) कलात्मक कृति

(Artistic work)

कलाकार जो कलात्मक कृति की रचना करता है उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है। जहाँ कृति की रचना नियोजन के अनुक्रम में की गई तो तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में नियोजक प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी हेाता है। यदि नियोजक किसी समाचार–पत्र पत्रिका या सामयिकी का स्वामी है तो उसे समाचार–पत्र या पत्रिका में प्रकाशन लिये कृति का उपयोग करने का सीमित अधिकार प्राप्त होता है। यदि कोई कलात्मक कृति अधिकृत कृति है तो प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी वह व्यक्ति होता है जो ऐसी कृति की रचना करने के लिये भी वह पूर्ववर्ती रेखांक का उपयोग नहीं कर सकता है।

(ix)रेखांक

(Plan)

भवन या निर्मिति के रेखांक पर वास्तुविद का प्रतिलिप्यधिकार होता है। प्रतिलिप्यधिकार पर उसके स्वामित्व को केवल तत्प्रतिकूल करार के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ग्राहक स्वतः उस रेखांक का विश्लेषण करने के अतिरिक्त रेखांक की प्रतियाँ बनाने के लिये भी अधिकृत नहीं होता है। निर्मित भवन का विस्तार करने के लिये भी वह पूर्ववर्ती रेखांक का उपयोग नहीं कर सकता है।

(x) फोटोग्राफ

(Photograph)

अधिनियम की धारा 2 (ध) के अनुसार ''फोटोग्राफ'' के अन्तर्गत फोटो शिलामुद्रण और फोटोग्राफों के सदृश किसी प्रकिया द्वारा उत्पादित कोई कृति भी है किन्तु चलचित्र फिल्म का कोई भाग इसके अन्तर्गत नहीं है। वह व्यक्ति जो

फोटोग्राफ खींचता है प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी होता है। जहाँ फोटोग्राफ मूल्यवान प्रतिफल के लिये अन्य के अनुरोध पर खींचा जाता है, वहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति तत्प्रकिूल किसी करार के अभाव में, प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है। यदि फोटोग्राफर समाचार–पत्र या पत्रिका के स्वामी के साथ सेवा की संविदा या शिक्षुता के अधीन समाचार–पत्र या पत्रिका में प्रकाशन के प्रयोजन के लिये फोटो खींचता है तो जहां तक उस फोटोग्राफ का समाचार–पत्र या पत्रिका में प्रकाशन के प्रयोजन के लिये फोटो खींचता है तो जहां तक उस फोटोग्राफ का समाचार–पत्र या पत्रिका में प्रकाशन से सम्बन्ध है समाचार–पत्र या पत्रिका का स्वामी उसमें प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है। अन्य सभी मामलों में फोटोग्राफर कृति में प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है।

(xi) चलचित्र फिल्म
(Movie film)

''चलचित्र फिल्म'' से किसी दृश्यांकन की कोई कृति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे दृश्यांकन के साथ कोई ध्वन्यंकन है तथा ''चलचित्र'' का अर्थ यह लगाया जाता है कि उसके अन्तर्गत वीडियो फिल्म सहित चलचित्र के सदृश किसी प्रकिया से उत्पादित कोई कृति है। चलचित्र फिल्म का निर्माता चलचित्र फिल्म का रचयिता और प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है।

(xii) ध्वन्यंकन
(Sound)

ध्वन्यंकन का रचयिता निर्माता होता है जो कृति की रचना करने में पहल करता है और उत्तरदायित्व स्वीकर करता है इसलिये ध्वन्यंकन का रचयिता तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में उसमें प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी होता है।

प्रतिलिप्यधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकार
(Rights conferred by copyright)

प्रतिलिप्यधिकार की प्रकृति मुख्यतः नकारात्मक होता है, जिसके अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी अनुमति या अनुज्ञप्ति के बिना किसी अन्य के द्वारा कृति का उपयोग किये जाने को निवारित करने का अधिकार रखता है। प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को कुछ सकारात्मक प्रकृति के भी अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर वह समनुदेशन या अनुज्ञप्ति प्रदान करता है प्रतिलिप्यधिकार एकल अधिकार नहीं होता है बल्कि यह अधिकारों का समूह होता है जिसका पृथक् एवं स्वतन्त्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिलिप्यधिकार की प्रकृति कृतियों की प्रकृति पर आधारित संवर्ग पर निर्भर करती है। सभी कृतियों के बारे में उसे पुनरूत्पादन, प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण या प्रतियां बनाने का सामान्य अधिकार होता है। प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी कृतियों का उपयोग स्वयं कर सकता है या स्वामित्व (Royalty) के रूप में प्रतिफल के बदले किसी अन्य के पक्ष में अधिकारों का प्रयोग करने के लिये सम्मति प्रदान कर सकता है।
प्रतिलिप्यधिकार द्वारा निम्नलिखित प्रकार के अधिकारों का सृजन होता है–

1. वैधानिक अधिकार (Statutory rigths);
2. नकारात्मक अधिकार (Negative rigths);
3. बहुविध अधिकार (Multiple rigths);
4. आर्थिक अधिकार (Economic rigths);
5. रचयिता के विशेष अधिकार (नैतिक अधिकार)

Author's Special Rights (Moral Rigths);

1. वैधानिक अधिकार
(Statutory rigths);

कृति में प्रतिलिप्यधिकार का सृजन संविधि द्वारा होता है। एक व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार में स्वामित्व रखता है क्योंकि विधि ऐसे अधिकार के अस्तित्व को मान्यता प्रदान करती है। अधिनियम के अन्तर्गत कृति के रचयिता के अधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। धारा 14 के अनतर्गत ''प्रतिलिप्यधिकार'' का अर्थ उपबन्धित है जिसके अनुसार–

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ''प्रतिलिप्यधिकार'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये किसी कृति या उसके किसी पर्याप्त भाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यों में से किसी को करने या उसका किया जाना प्राधिकृत करने के अनन्य अधिकारः–

(क) किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की दशा में, जो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है–

(1) कृति को किसी पर्याप्त रूप में पुनरूत्पादित करना, जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रनिक माध्यम में से किसी भी संचार माध्यम में उसका भण्डार सम्मिलित है;

(2) जनता को कृति की ऐसी प्रतियाँ उपलब्ध कराना, जो पहले से परिचालन में नहीं है;

(3) कृति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना या उसे सार्वजनिक रूप से संसूचित करना;

(4) कृति के सम्बन्ध में कोई चलचित्र फिल्म बनाना या ध्वन्यंकन करना;

(5) कृति का कोई भाषान्तर तैयार करना;

(6) कृति का कोई अनुकूलन करना;

(7) कृति के भाषान्तर या अनुकूलन के सम्बन्ध में ऐसे कार्यों में से कोई कार्य करना जो कृति के सम्बन्ध में उपखण्ड (i) तथा उपखण्ड (vi) में विनिर्दिष्ट हैं।

(ख) किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की दशा में–

(1) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कार्यों में से कोई कार्य करना;

(2) कम्प्यूटर प्रोग्राम की किसी प्रति का विक्रय करना या वाणिज्यिक किराये पर देना या विक्रय करने या वाणिज्यिक किराये पर देने की प्रस्थापना करना। परन्तु ऐसा वाणिज्यिक किराया ऐसे कम्प्यूटर प्रोग्रामों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है जहाँ प्रोग्राम स्वयं किराये का आवश्यक उद्देश्य नहीं है।

(ग) किसी कलात्मक कृति की दशा में–

(1) कृति को किसी सारवान् रूप में पुनरूत्पादित करना, जिसके अन्तर्गत सम्मिलित है–

(क) इलेक्ट्रॉनिक या अन्य उपाय द्वारा किसी माध्यम में इसके भण्डारकरण।

(ख) दो विमा वाली कृति का तीन विमाओं में चित्रण।

(ग) तीन विमा वाली कृति का दो विमाओं में चित्रण।

(2) कृति को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना।

(3) जनता को कृति की ऐसी प्रतियाँ उपलब्ध कराना, जो पहले से परिचालन में नहीं हैं।

(4) कृति को किसी चलचित्र फिल्म में सम्मिलित करना।

(5) कृति का कोई अनुकूलन करना।

(6) कृति के अनुकूलन के सम्बन्ध में ऐसे कार्यों में से कोई कार्य करना जो कृति के सम्बनध में उपखण्ड (i) से उपखण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट है।

(घ) किसी चलचित्र फिल्म की दशा में–

(1) फिल्म की प्रति तैयार करना, जिसके अन्तर्गत सम्मिलित है–

(क) फिल्म के भाग रूप किसी बिम्ब का फोटोचित्र।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक या अन्य उपाय द्वारा किसी माध्यम में इसका भण्डारकरण।

(2) फिल्म की किसी प्रति का विक्रय करना या वाणिज्यिक किराये पर देना अथवा विक्रय या ऐसे किराये पर देने की प्रस्थापना करना।

(3) फिल्म को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना।

(ङ) किसी ध्वन्यंकन की दशा में–

(1) कोई अन्य ध्वन्यंकन करना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या अन्य उपाय द्वारा किसी माध्यम में इसका भण्डारकरण सम्मिलित है।

(2) ध्वन्यंकन की किसी प्रति का विक्रय करना या वाणिज्यिक किराये पर देना अथवा विक्रय या ऐसे किराये पर देने की प्रस्थापना करना;

(3) ध्वन्यंकन को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना। ऐसी प्रति के बारे में जिसका एक बार विक्रय किया गया है यह समझा जाता है कि वह पहले से ही परिचालन में है।

2. नकारात्मक अधिकार
(Negative rigths)

प्रतिलिप्यधिकार विधि सामान्यतः साहित्य और कला के क्षेत्र में विद्यमान भौतिक कृति की नकल को रोकने के नकारात्मक अधिकार से सम्बन्धित है। इसका उद्देश्य लेखक या कलाकार की कृति के अवैध पुरूत्पादन का प्रतिषेध करते हुये संरक्षण प्रदान करना है। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार द्वारा रचयिता को कृति या उसके किसी पर्याप्त भाग के सम्बन्ध में कार्यों को करने या उसका किया जाना प्राधिकृत–करने का अनन्य अधिकार प्राप्त होता है। इस अनन्य अधिकार के फलस्वरूप प्रतिलिप्यधिकार स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने लाभ के लिये कृति का उपयोग नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रतिलिप्यधिकार स्वामी की सहमति या उसके द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति के बिना प्रतिलिप्यधिकार कृति का उपयोग करता है तो इसे प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन माना जाता है।

3. बहुविध अधिकार
(Multiple rigths)

प्रतिलिप्यधिकार अधिकारों का समूह होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार सम्मिलित होते हैं जिनका पृथक् एवं स्वतन्त्र रूप से उपयोग किया जा सकता है। इन बहुविध अधिकारों की प्रकृति कृति की प्रकृति पर आधारित होती है, अर्थात्–

(1) मौलिक साहित्यिक, नाट्य और संगीतात्मक कृतियाँ।

(2) चलचित्र फिरना।

(3) ध्वन्यंकन।

अनन्य अधिकारों को परिभाषित करने के उद्देश्य से साहित्यिक, नाट्य एवं संगीतात्मक कृतियों को एक संवर्ग में रखा गया है। चलचित्र फिल्म और ध्वन्यंकन से सम्बन्धित अधिकारों को कलात्मक कृति से पृथक सवर्ग में रखा गया है।

4. आर्थिक अधिकार
(Economic rigths)

आर्थिक अधिकार वे अधिकार हैं जो कृति के वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग पर नियंत्रण से सम्बन्धित होते हैं। अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को प्रदत्त अधिकार आर्थिक अधिकार है, क्योंकि इन अधिकारों का प्रयोग करते हुये कृति का रचयिता, जो प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है। आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण की पृष्ठभूमि में आर्थिक तत्व की प्रधानता होती है इसलिये इसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। रचयिता अपनी कृतियों का स्वयं उपयोग करते हुये आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है अथवा स्वामित्व (royalty) के संदाय किये जाने पर किसी अन्य द्वारा कृति का उपयोग करने के लिये सहमति या अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

5. रचयिता के विशेष अधिकार (नैतिक अधिकार)
Author's Special Rights (Moral Rights)

प्रतिलिप्यधिकार की व्याख्या मात्र आर्थिक सिद्वान्त के आधार करना उचित नहीं है। इसके अन्तर्गत रचयिता के आर्थिक हितों के संरक्षण के अतिरिक्त कृति में उसकी ख्याति और सम्मान का भी संरक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रतिलिप्यधिकार विधि के अन्तर्गत रचयिता को न सिर्फ उसकी कृति के बारे में आर्थिक अधिकार प्रदान किया गया है बल्कि विशेष अधिकारों के रूप में उसे नैतिक अधिकार भी दिए गए हैं। नैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो रचयिता के व्यक्तित्व, ख्याति और उसकी कृति की सत्यनिष्ठा और इसी प्रकार के अन्य मामलों के संरक्षण से सम्बन्धित होते हैं। ये रचयिता/स्त्रोत की कलात्मक, साहित्यिक और सांस्कृतिक सोच की उत्पत्ति से सीधे तौर पर जुड़े होने के कारण प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण की विषयवस्तु होते हैं।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा के अनुच्छेद 27 (2) के अन्तर्गत नैतिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई हैः ''प्रत्येक व्यक्ति को स्वनिर्मित वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति के परिणामस्वरूप होने वाले नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार आते हैं''।

प्रतिलिप्यधिकार रचयिता को आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अधिकार के अतिरिक्त नैतिक अधिकार भी प्रदान करता है। नैतिक अधिकार को वैधानिक तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। रचयिता के नैतिक अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार आते हैं–

(1) कृति को प्रकाशित करने अथवा न करने के निर्णय का अधिकार (प्रकाशन का अधिकार)।

(2) प्रकाशित अथवा प्रदर्शित कृति पर कर्तृत्व (authorship) का दावा करने का अधिकार।

(3) परिवर्तन और अन्य कार्यवाहियों को जिनसे रचयिता के सम्मान या ख्याति को क्षति ग्रस्त हो सकती है,

निवारित करने का अधिकार (सत्यनिष्ठा का अधिकार)।

बर्न अभिसमय द्वारा इनमें से कुछ अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत सदस्य राज्यों से रचयिता को कर्तृत्व (authorship) का दावा करने तथा परिवर्तनों पर आपत्ति करने के अधिकार का प्रावधान किये जाने की अपेक्षा की गई है। नैतिक अधिकार रचयिता द्वारा प्रतिलिप्यधिकार का अन्तरण किये जाने के बाद भी प्रतिलिप्यधिकार की सम्पूर्ण अवधि तक उसके पास बने रहते हैं।

अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत नैतिक अधिकारों को ''रचयिता के विशेष अधिकार'' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। धारा 57 की उपधारा (1) के अनुसार, रचयिता के प्रतिलिप्यधिकार से पृथक रूप में और उक्त प्रतिलिप्यधिकार के पूर्णतः या भागतः समनुदेशन के पश्चात् भी, किसी कृति के रचयिता को–

(क) उस कृति का रचयिता होने का दावा करने का; और

(ख) उक्त कृति के किसी विरूपण, विकृत किये जाने, उपान्तरण या अन्य कार्य से उसकी प्रतिष्ठा या ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो अवरूद्ध करने बारे में नुकसानी का दावा करने का अधिकार होता है।

मन्नू भंडारी बनाम **कला विकास पिक्चर्स** के वाद में प्रतिवादी ने वादी से उसके उपन्यास 'आप का बंटी' पर फिल्म बनाने का समनुदेशन करार के अधीन अधिकार प्राप्त किया था। प्रतिवादी ने उक्त उपन्यास का शीर्षक परिवर्तित करते हुये 'समय की धारा' नाम से फिल्म बनाई। उपन्यास से भिन्न फिल्म में चरित्रों एवं संवादों को परिवर्तित/रूपान्तरित कर दिया और फिल्म का अन्त उपन्यास के अन्त से भिन्न कर दिया। वादी ने उपन्यास के सम्बन्ध में विशिष्ट ख्याति का दावा करते हुए न्यायालय के समक्ष इस आधार पर स्थायी व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया कि यदि उसके उपन्यास का फिल्म के माध्यम से विकृत विवरण प्रस्तुत किया गया तो उसकी छवि खराब होगी।

न्यायालय ने प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत रचयिता के नैतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए अभिनिर्धारित किया कि फिल्म निर्माता रचयिता की मौलिक कृति में उसकी अनुमति के बिना अनावश्यक परिवर्तन नहीं कर सकता है।

के. पी. एम. सुन्दरम बनाम रतन प्रकाशन मंदिर के वाद में वादी और उसके सह–रचयिताओं ने करार के माध्यम से प्रतिवादी को उनकी कृतियों के मुद्रण एवं प्रकाशन के बारे में एकमात्र और अनन्य अनुज्ञप्ति प्रदान किया था। वादी ने दावा प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने उनकी मौलिक कृतियों में परिवर्तन करते हुए उसे विकृत कर दिया है जिसे प्रतिवादी ने भी स्वीकार किया। वादी ने करार प्रतिसंहत कर लिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी द्वारा करार के प्रतिसंहरण के पश्चात् प्रतिवादी के पास कृतियों के प्रकाशन एवं विक्रय को जारी रखने का अधिकार नहीं बचा है। न्यायालय ने वादी के पक्ष में अन्तरिम व्यादेश जारी इस प्रकार न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट होता है कि नैतिक अधिकार रचयिता के पास बचा रहता है। और प्रवर्तनीय होता है भले ही समस्त आर्थिक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्त या समनुदेशित कर दिए गए हैं।

नैतिक अधिकारों की मान्यता और वैधानिक संरक्षण रचयिता के व्यक्तित्व, सम्मान, ख्याति के प्रसार के लिए आवश्यक है। रचयिता का अपनी कृति के प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण का अधिकार प्रत्येक दशा में उसके व्यक्तित्व, कर्तृव्य (authorship), पहचान (identity) आदि के संरक्षण से जुड़ा है। अधिकांश रचयिताओं के लिए उनके व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा, ख्याति से सम्बद्ध मान्यता आर्थिक लाभ से अधिक महत्वपूर्ण होती है।

अधिकार पर वैधानिक सीमाएं

रचयिता को प्रदत्त अधिकारों पर वैधानिक प्रतिबंध भी आरोपित किये गये हैं। अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत रचयिता के अतिरिक्त अन्य व्यक्यिों द्वारा विशेष परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रतिलिप्यधिकार में समाविष्ट अधिकारों का उपयोग करना अतिलंघन नहीं माना जाता है।

संयुक्त रचयिताओं की कृति

अधिनियम की धारा 2 (य) के अनुसार संयुक्त रचयिताओं की कृति से दो या अधिक रचयिताओं के सहयोग से उत्पादित ऐसी कृति अभिप्रेत है जिसमें एक रचयिता का योगदान अन्य रचयिता या रचयिताओं के योगदान से सुभिन्न नहीं है। इस प्रकार एक कृति की रचना एक रचयिता द्वारा की जा सकती है या एक से अधिक रचयिताओं द्वारा संयुक्त रूप से भी कृति की रचना की जा सकती है। संयुक्त रचयिताओं की कृति के लिये भी प्रतिलिप्यधिकार का दावा किया जा सकता है।

लेवी बनाम रटली के वाद में यह निर्णीत किया गया कि संयुक्त कर्तुत्व गठित करने के लिये आवश्यक है कि कृ ति की रचना में सामान्य परिकल्पना और परिकल्पना को कार्यान्वित करने में सहयोग होना चाहिये। यदि दो व्यक्ति सामान्य रूपरेखा और परिकल्पना पर सहमत होते हुये एक नाटक लिखना प्रारम्भ करते हैं और इसे पूरा करने में अपना श्रम लगाते हैं और अपना अंशदान करते हैं तो उन्हें कृति का संयुक्त रचयिता कहा जा सकता है। संयुक्त रचयिता के लिये सामान्य परिकल्पना का होना आवश्यक है।

यदि कोई व्यक्ति विचार या विषय–वस्तु के बारे में अपना सुझाव देता है तो उसे कृति का संयुक्त रचयिता नहीं समझा जा सकता है। किसी कृति के बारे में कुछ विचारों या शब्द मात्र का योगदान अन्य के द्वारा लिखित कृति में संयुक्त कर्तव्य का दावा करने के लिये पर्याप्त नहीं होता है।

कृति के संयुक्त स्वामियों में से प्रत्येक का तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में प्रतिलिप्यधिकार में समान और अविभक्त स्वामित्व होता है। एक संयुक्त रचयिता अन्य रचयिताओं की सहमति के बिना स्वयं विधिक तौर पर कृति का पुनरूत्पादन नहीं कर सकता है और न ही किसी अन्य के पक्ष में कृति का पुनरूत्पादन करने के लिये अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकता है।

इस प्रकार तात्विक रूप से प्रतिलिप्यधिकार विधि का सम्बन्ध साहित्य और कला के क्षेत्र में विद्यमान भौतिक सामग्री की नकल को निवारित करने के नकारात्मक अधिकार से है। लेखक और कलाकार को उनके सामग्री के अवैध पुनरूत्पादन से संरक्षित करना प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। कलात्मक कृति का पुनरूत्पादन मूर्त रूप से होना चाहिये।

अध्याय 3
प्रतिलिप्यधिकार की अवधि
(Term of copyright)

प्रतिलिप्यधिकार की अवधि रचयिता एवं जन साधारण के हितों को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाती है। रचयिता का हित इस बात में निहित होता है कि उसकी कृति को यथासम्भव लम्बी अवधि तक संरक्षण प्रदान किया जाए, जब कि जनसाधारण का हित उस कृति को यथाशीघ्र सार्वजनिक सम्पत्ति घोषित करने में निहित होता है। रचयिता के हित का संरक्षण इसलिये महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विधि द्वारा इस प्रकार के संरक्षण से रचयिता का नाम कृति से जुड़ा होता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा एवं ख्याति में वृद्धि होने के साथ आर्थिक लाभ का प्रयोजन पूर्ण होता है और अन्य रचनाशील व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में कृतियों की रचना करने के लिये प्रेरणा प्राप्त होती है। जन साधारण का हित 'उचित व्यवहार के सिद्धान्त' को मान्यता प्रदान करते हुये संरक्षित किया जाता है तब प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं माना जाता है।

प्रतिलिप्यधिकार की अवधि कृति की प्रकृति के आधार पर भिन्न होती है और अवधि इस बात पर भी निर्भर करती है कि रचयिता प्रकृति व्यक्ति है अथवा विधिक व्यक्ति है, जैसे–निगम, सरकारी संस्था, आदि और कृति अज्ञात लेखक की रचना है या छद्म नाम वाली कृति है। विभिन्न प्रकार की कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि निम्नलिखित होती है–

प्रकाशित साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि
(Term of copyright in anonymous and pseudonymous works)

अधिनियम की धारा 23 के उपबंध के अनुसार, अनाम या छद्मनाम से प्रकाशित किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति में प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहता है। यदि रचयिता का वास्तविक परिचय उक्त कालावधि की समाप्ति से पहले ज्ञात हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के जिसमें रचयिता की मृत्यु होती है ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहता है।

धारा 23 की उपधारा (1) में रचयिता के प्रति निर्देशों का अर्थ, अनाम संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में–

(क) जहाँ रचयिताओं में से एक का वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाता है, वहां उस रचयिता के प्रति लगाया जाता है;

(ख) जहाँ एक से अधिक रचयिताओं का वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाते हैं, वहाँ रचयिताओं में से उस रचयिता के

प्रति लगाया जाता है जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है।

छद्मनाम वाली संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में–
(Pseudonymous work of joint authorship)

(क) जहाँ रचयिताओं में से एक या अधिक के (न कि सबके) नाम छद्मनाम हैं और उसका या उनके वास्तविक परिचय ज्ञात नहीं होते हैं, वहां उस रचयिता के प्रति लगाया जाता है जिसका छद्नाम नहीं है या यदि रचयिताओं में से दो या अधिक के छद्मनाम नहीं हैं तो उनमें से ऐसे रचयिता के प्रति लगाया जाता है जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है।

(ख) जहाँ रचयिताओं में से एक या अधिक के (न कि सबके) नाम छद्मनाम हैं और उनमें से एक या अधिक के वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाते हैं वहां ऐसे रचयिताओं में से जिनके छद्मनाम नहीं हैं और ऐसे रचयिताओं में से जिनके छद्मनाम नहीं हैं और ऐसे रचयिताओं में से जिनके छद्मनाम हैं और ज्ञात हो जाते हैं, उस रचयिता के प्रति लगाया जाता है जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है।

(ग) जहाँ सभी रचयिताओं के नाम छद्मनाम हैं और उनमें से एक का वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाता है वहाँ उस रचयिता के प्रति लगाया जाता है जिसका वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाता है या यदि रचयिताओं में से दो या अधिक के वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाते हैं तो उनमें से ऐसे रचयिता के प्रति लगाया जाता है जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है।

इस प्रकार यह एक बात सामान्य है कि कृति में प्रतिलिप्यधिकार रचयिता के जीवनकाल और उसकी मृत्यु जिस वर्ष में होती है ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ से आठ वर्ष तक अस्तित्व रहता है।

किसी रचयिता का वास्तविक परिचय उस स्थिति में ज्ञात समझा जाता है जिसमें रचयिता का वास्तविक परिचय या तो रचयिता और प्रकाशक दोनों के द्वारा सार्वजनिक रूप से ज्ञात किया जाता है या उस रचयिता द्वारा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को समाधानप्रद रूप से प्रमाणित कर दिया जाता है।

मृत्यु उपरान्त कृति में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि
(Term of copyright in posthumous work)

अधिनियम की धारा 24 मृत्यु–उपरान्त कृति में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि का उपबंध करता है। इसके अनुसार, किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक कृति या उत्कीर्णन की दशा में जिसमें प्रतिलिप्यधिकार रचयिता की मृत्यु की तारीख को या किसी ऐसी संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में उस रचयिता की, जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है, मृत्यु की तारीख को या उससे ठीक पहले अस्तित्व में है किन्तु जिसका या जिसके किसी अनुकूलन का प्रकाशन उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है, प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें कृति प्रथम प्रकाशित की जाती है, ठीक आगमी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ से या जहाँ कृति के किसी अनुकूलन का प्रकाशन किसी पूर्वतर वर्ष में होता है, उस वर्ष के ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ से साठ वर्ष तक अस्तित्व में रहता है।

किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का कोई अनुकूलन तब प्रकाशित हुआ समझा जाता है जब उसे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है या उस कृति के सम्बन्ध में बनाया गया कोई ध्वन्यंकन सार्वजनिक रूप से विक्रय किया जाता है या सार्वजनिक रूप से विक्रय के लिये प्रस्थापित किये जाते हैं।

चलचित्र फिल्म में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि
(Term of copyright in cinematograph film)

अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, चलचित्र फिल्म की दशा में प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें फिल्म प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ से साठ वर्ष तक अस्तित्व में रहता है।

फोटोग्राफ
(Photographs)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 25 के उपबन्ध अनुसार फोटोग्राफ की दशा में प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें फोटोग्राफ प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कैलेण्डर के आरम्भ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहता है।

ध्वन्यंकनों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि
(Term of copyright in sound records)

अधिनियम की धारा 27 यह उपबंध करती है कि ध्वन्यंकन की दशा में प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें ध्वन्यंकन प्रकाशित किया जाता है, ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ से साठ वर्ष तक अस्तित्व में रहता है।

सरकारी कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि
(Term of copyright in Government works)

अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, सरकारी कृति की दशा में प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी सरकार होती है और प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ से साठ वर्ष तक अस्तित्व में रहता है।

लोक उपक्रम की कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि
(Term of copyright in works of public undertakings)

धारा 28 के उपबंध के अनुसार, लोक उपक्रम की कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी सम्बन्धित लोक उपक्रम होता है और प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ से साठ वर्ष तक अस्तित्व में रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि
(Term of copyright in work of international organisation)

अधिनियम की धारा 29 के अनुसार, किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की कृति की दशा में प्रतिलिप्यधिकार उस वर्ष के, जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ से साठ वर्ष तक अस्तित्व में रहता है। जिस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की कृति होती है, प्रतिलिप्यधिकार उसी संगठन को प्राप्त होती है।

प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार
(Broadcast reproduction right)

अधिनियम की धारा 37 (2) के अनुसार प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार उस वर्ष के, जिसमें प्रसारण किया जाता है, ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ में 25 वर्ष तक अस्तित्व में रहता है। प्रसारण का तात्पर्य बेतार विसारण (wireless diffusion) के किसी माध्यम से, चाहे वह संकेत, ध्वनि या दृश्य बिम्ब के एक या अधिक रूपों में हो, या तार से, सार्वजनिक रूप से संसूचित करने से होता है और उसके अन्तर्गत पुनः प्रसारण भी आता है।

प्रस्तुतकर्ता का अधिकार
(Performer' right)

प्रस्तुतकर्ता के अन्तर्गत कोई अभिनेता, गायक, संगीतज्ञ, नर्तक, कलाबाज, बाजीगर, जादूगर, सपेरा, व्याख्यान देने वाला व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति आता है, जो कोई प्रस्तुतीकरण करता है। प्रस्तुतकर्ता के अधिकार के सम्बन्ध में, ''प्रस्तुतीकरण'' से कोई दृश्य या श्रव्य प्रस्तुति अभिप्रेत है जो एक या अधिक प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा सीधे प्रस्तुत किया जाता हैं अधिनियम की धारा 38 (2) के अनुसार, प्रस्तुतकर्ता का अधिकार उस वर्ष के, जिसमें ऐसा प्रस्तुतीकरण किया गया है, ठीक आगामी कैलैण्डर वर्ष के आरम्भ से पचास वर्ष तक अस्तित्व में रहता है।

प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन अन्तरण और त्याग
(Assignment, Transmission and Relinquighment of copyright)

प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेश
(Assignment copyright)

प्रतिलिप्यधिकार अधिकारों का समूह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार समाविष्ट हेाते हैं और इनमें से प्रत्येक का उपयोग स्वतन्त्र रूप से और भिन्न–भिन्न तरीके से किया जा सकता है। ऐसा बहुत कम मामलों में होता है कि प्रतिलिप्यधिकार कृति का रचयिता आर्थिक लाभ के लिये कृति का स्वयं उपयोग करे। सामान्य तौर पर वह या तो अपने अधिकारों को पूर्णतः या आंशिक रूप से आर्थिक लाभ के लिये प्रतिफल के बदले समनुदेशित कर देता है या रायल्टी के भुगतान के आधार पर अपने अधिकारों को अन्य के द्वारा उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर देता है। समनुदेशन या अनुज्ञप्ति कृति की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है। समनुदेशन बिना किसी प्रतिबन्ध के सामान्य हो सकता है या प्रतिबन्ध के अधीन हो सकता है। समनुदेशन प्रतिलिप्यधिकार की पूर्ण अवधि के लिये हो सकता है या उसके किसी भाग के लिये हो सकता है।

समनुदेशन प्रतिलिप्यधिकार में विद्यमान स्वामित्व के अन्तरण को कहा जाता है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके किसी विद्यमान कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी या किसी भावी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का होने वाला स्वामी प्रतिलिप्यधिकार को या ता पूर्णतः या भागतः और या तो समान्यतः या निर्बन्धनों के अधीन और या तो प्रतिलिप्यधिकार की सम्पूर्ण अवधि या उसके किसी भाग के लिए किसी व्यक्ति को समनुदेशित कर सकता है। यदि किसी भावी कृति के प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन किया जाता है तो समनुदेशन कृति के अस्तित्व में आने के बाद ही प्रभावी होता है। प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन वैध तभी होता है, जबकि वह लिखित हो और समनुदेशक या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो।

खेमराय बनाम गर्ग एण्ड कम्पनी, AIR 1957 दिल्ली 130 के वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धाराएँ 17 और 18 यह सुनिश्चित करती है, कि प्रतिलिप्यधिकार कहाँ निहित होता है। यदि रचयिता द्वारा प्रतिफल के बदले प्रकाशक के लिए कृति की रचना की जाती है, तो ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार, किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अधीन प्रकाशक में निहित होता है।

यदि किसी प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशिती उस प्रतिलिप्यधिकार में समाविष्ट किसी अधिकार का हकदार हो जाता है, तो वहाँ ऐसे समनुदेशित अधिकारों के बारे में समनुदेशिती को और समनुदेशित न किये गए अधिकारों के बारे में समनुदेशक को प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी माना जाता है।

किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी जो कि समनुदेशन करता है, समनुदेशक कहा जाता है। किसी भावी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के बारे में 'समनुदेशिती' शब्द के अन्तर्गत समनुदेशिती का विधिक प्रतिनिधि आता है यदि समनुदेशिती उस कृति के अस्तित्व में आने से पहले मर जाता है।

समनुेशन दो प्रयोजन पूर्ण करता है। प्रथम, समनुदेशिती के लिये यह विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के प्रतिलिप्यधिकार के उपयोग किये जाने का अधिकार प्रदान करता है, और द्वितीय, समनुदेशक को रायल्टी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। समनुदेशन की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् समनुदेशित प्रतिलिप्यधिकार पुनः समनुदेशक के पास वापस चला जाता है जब कि समनुदेशक को भुगतान की गयी रायल्टी की रकम समनुदेशिती की कभी वापस चला नहीं होती है।

श्री गोकूलम चिट एण्ड फाइनेंस कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड बनाम **जानी साग्रीगा सिनेमा रक्वायर** के वाद में जहां मलयालम फिल्म ''बॉडीगार्ड'' और तमिल भाषा में इसके रीमेक ''कवलन'' के बारे में करार हुआ था। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक करार जिसका एक मात्र प्रयोजन स्वामी के प्रतिलिप्यधिकार का किसी अन्य द्वारा उपयोग किए जाने से निवारित करना और समनुदेशिती को अपना ऋण वापस प्राप्त करने के योग्य बनाना था, समनुदेशन का करार नहीं हो सकता है।

कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामित्व किसी भौतिक वस्तु, जिसमें प्रतिलिप्यधिकार सम्मिलित होता है, के स्वामित्व से भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर, जब एक व्यक्ति कोई पुस्तक खरीदता है तो वह उस पुस्तक का स्वामी हो जाता है, परन्तु प्रतिलिप्यधिकार का स्वामित्व रचयिता या प्रकाशक के पास सुरक्षित रहता है।

समनुदेशन का अधिकार प्रथम स्वामी का होता है। वास्तविक तौर पर समनुदेशन प्रतिलिप्यधिकार में विद्यमान स्वामित्व के अन्तरण को कहा जाता है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार, किसी विद्यमान, कृति में प्रतिलिप्यधिकार को या तो पूर्णतः या भागतः और या तो समान्यतया या निर्बन्धनों के अधीन और या तो प्रतिलिप्यधिकार की सम्पूर्ण अवधि या उसके किसी भाग के लिये, किसी व्यक्ति को समनुदेशित कर सकता है। यदि किसी भावी कृति के प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन किया जाता है तो समनुदेशन कृति के अस्तित्व में आने के बाद ही प्रभावी होता है। चलचित्र फिल्म का भावी स्वामी फिल्म से सम्बन्धित अधिकारों को अन्य व्यक्ति को समनुदेशित करने का करार कर सकता है लेकिन ऐसा समनुदेशन फिल्म का निर्माण पूरा होने पर ही प्रभावी होता है उससे पूर्व नहीं।

ऐसा समनुदेशन ऐसी कृति के उपयोग के ढंग या किसी माध्यम के बारे में लागू नहीं होता है जो अस्तित्व में नहीं था या जब समनुदेशन किया गया उस समय वाणिज्यिक उपयोग में नहीं था जब तक कि समनुदेशन ऐसे माध्यम या कृति के उपयोग के ढंग को विशिष्ट नहीं किया जाता है।

परन्तु चलचित्र फिल्म में सम्मिलित साहित्यिक या संगीतात्मक कृति का रचयिता सिनेमा हॉल में चलचित्र फिल्म के साथ कृति को सार्वजनिक रूप से संसूचित किये जाने से अन्यथा ऐसी कृति के उपयोग के लिये किसी रूप में प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती के साथ समनुदेशन या प्राप्त रायल्टी को समान आधार पर बंटवारे के अधिकार, सिवाय रचयिताओं के विधिक वारिसों को या प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को संग्रह और वितरण के लिये, का त्याग नहीं करेगा और इसके प्रतिकूल कोई करार शून्य होगा।

साहित्यिक या संगीतात्मक कृति, जो ध्वन्यंकन में सम्मिलित है लेकिन चलचित्र का भाग नहीं है, का रचयिता ऐसी कृति के किसी उपयोग के लिये प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन पर प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती के साथ प्राप्त रायल्टी को समान आधार पर बंटवारे के अधिकार का त्याग नहीं करेगा और इसके प्रतिकूल कोई समनुदेशन शून्य होगा।

समनुदेशन का ढंग
Manner of assignmet

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 19 (1) के अनुसार, किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के समुनदेशन को विधिमान्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह लिखित रूप में हो और समनुदेशक द्वारा या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। अधिनियम के अन्तर्गत समनुदेशन के लिए कोई प्रारूप विहित नहीं किया गया है, फिर भी समनुदेशन विलेख में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट किया जाना अपेक्षित है–

(1) जिस कृति के बारे में समनुदेशन किया जाना है उसकी पहचान।

(2) समनुदेशित अधिकारों और ऐसे समनुदेशन की कालावधि तथा राज्य क्षेत्रीय विस्तार।

(3) समनुदेशन के चालू रहने के दौरान रचयिता या उसके विधिक वारिसों को संदेय स्वामित्वों की रकम यदि कोई हो।

यदि समनुदेशिती, समनुदेशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसे समनुदेशित अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है तो वहाँ ऐसे अधिकारों की बाबत समनुदेशन के बारे में यह समझा जाता है कि उक्त एक वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् जब तक कि समनुदेशन में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, वह रद्द हो जाता है। यदि समनुदेशन विलेख में समनुदेशन की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो उसे समनुदेशन की तारीख से पांच वर्ष समझा जाता है। यदि अधिकारों के समनुदेशन का राज्य क्षेत्रीय विस्तार विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जाती है कि उसका विस्तार भारत के भीतर है। धारा 19 की उपधारा (7) के अनुसार उपर्युक्त प्रावधान प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त होने के पूर्व किये गये समनुदेशनों पर लागू नहीं होते हैं।

अधिनियम के अन्तर्गत समनुदेशन के रजिस्ट्रकरण को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। यदि समनुदेशन को रजिस्ट्रीकृ त नहीं कराया जाता है तो इससे समनुदेशन की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पडता है लेकिन समनुदेशन के रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्यिक महत्व होता है।

कापीराइट के समनुदेशन के संबंध में विवाद

किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन से सम्बन्धित विवाद का निपटारा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा किया जाता है। यदि कोई समनुदेशिती उसे समनुदेशित अधिकारों का पर्याप्त प्रयोग करने में असफल रहता है और ऐसी असफलता समनुदेशक के किसी कार्य या लोप के कारण कार्य नहीं हुई है तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड समनुदेशक के द्वारा परिवाद किये

जाने पर जाँच करने के पश्चात् यदि आवश्यक समझता है तो समनुदेशन को प्रतिसंहत कर सकता है। यदि किसी प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड पीड़ित पक्षकार द्वारा परिवाद किये जाने पर जाँच करने के पश्चात् यदि आवश्यक और उचित समझता है तो संदेय किसी स्वामित्व की वसूली का आदेश दे सकता है। परन्तु प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड धारा 19—क की उपधारा (2) के अधीन समनुदेशन का प्रतिसंहरण करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं कर सकता है जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि समनुदेशन के निबन्धन उस दशा में जिसमें समनुदेशक रचयिता भी है, उसके लिये कठोर है। परन्तु यह और कि प्रतिसंहरण के लिये लम्बित आवेदन के निपटारे के दौरान प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड समनुदेशन की शर्तों एवं निबन्धनों के पालन के सम्बन्ध में, जिसमें समनुदेशित अधिकारों के उपयोग के लिये देय कोई प्रतिफल सम्मिलित है, ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझता है। किसी मामले में उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्येक परिवाद के सम्बन्ध में प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छः माह के भीतर अन्तिम आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है। यदि इसके अनुपालन में कोई विलम्ब होता है तो इसका कारण लिखना होता है।

प्रतिलिप्यधिकार का अन्तरण
(Transmission of Copyright)

प्रतिलिप्यधिकार एक प्रकार की निजी चल सम्पत्ति है इस समनुदेशन, वसीयत या जब किसी प्रकाशित या अप्रकाशित कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी मर जाता है तो विधि की प्रक्रिया द्वारा अन्तरित किया जा सकता है। यदि प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी वसीयत किये बिना मर जाता है तो प्रतिलिप्यधिकार स्वामी के निजी प्रतिनिधि को सम्पदा के भाग रूप में संक्रान्त हो जाता है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, जहाँ किसी वसीयत के अधीन कोई व्यक्ति किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की पांडुलिपि का या किसी कलात्मक कृति का हकदार है और वह कृति वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले प्रकाशित नहीं हुई थी वहाँ उस वसीयत का जब तक कि वसीयतकर्ता की वसीयत या उसके किसी कोडपत्र (codicil) से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, अर्थ लगाया जाता है कि उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार वहां तक उसके अन्तर्गत है जहाँ तक कि वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु से ठीक पहले उस प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी था। इस धारा के अन्तर्गत 'पांडुलिपि' से कृति को सन्निविष्ट करने वाली मूल दस्तावेज अभिप्रेत है चाहे वह हाथ से लिखी हो या न हो।

प्रतिलिप्यधिकार का त्याग
(Relinqwishment of Copyright)

(1) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी कृति का रचयिता उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार में समाविष्ट सब अधिकारों या उनमें से किन्हीं को, प्रतिलिप्यधिकार अधिकार सूचना की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहते हैं।
(2) कृति के रचयिता द्वारा अधिकारों के त्याग की सूचना प्राप्त होने पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार उसे शासकीय राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जैसी वह ठीक समझे, प्रकाशित कराता है।

(3) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार शासकीय राजपत्र में सूचना के प्रकाशन से चौदह दिन के भीतर प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय के अधिकृत वेबसाइट पर सूचना को चस्पा करता है ताकि कम से कम तीन वर्ष तक सार्वजनिक क्षेत्र में बना रह सके।

(4) किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार में समाविष्ट सब अधिकारों या उनमें से किन्हीं का त्याग, ऐसे किन्हीं अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जिनका अस्तित्व सूचना की तारीख को किसी व्यक्ति के पक्ष में रहा हो।

(5) समनुदेशिती जिसे समनुदेशक द्वारा कुछ अधिकारों को समनुदेशित कर दिया गया है, उन अधिकारों का प्रयोग करने से समनुदेशक को अतिलंघन के लिये सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन करते हुये रोक सकता है।

अनुज्ञप्तियाँ
(LICENCES)

प्रतिलिप्यधिकार अन्य बौद्धिक सम्पदा की भांति सर्वप्रथम एक अपवर्जित करने वाला अधिकार है। आधुनिक प्रतिलिपिकरण तकनीक के कारण उद्यमियों और उद्योगों के लिए यह विशिष्टता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इलेक्ट्रानिक सूचना नेटवर्क के उपयोग ने प्रतिलिप्यधिकार को एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान दिया है जिसके फलस्वरूप प्रतिलिप्यधिकार का अनुज्ञापन (LICENCES) कृति के प्रस्तुतीकरण, प्रसारण आदि के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। कृति में प्रतिलिप्यधिकार अनुज्ञप्ति द्वारा कृति के सम्बन्ध में कुछ कार्यों को करने के लिए अन्तरित किया जा सकता है। अनुज्ञप्ति सामान्यतः कुछ कार्यों को करने के लिये अनुमति होती है। यदि बिना अनुमति के वह कार्य किया जाता है तो इसे अतिलंघन माना जाता है। प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी कुछ सीमित अधिकारों का उपयोग किये जाने के लिये अन्य के पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है। प्रतिलिप्यधिकार का स्वामित्व रचयिता के पास बना रहता है जबकि समनुदेशन द्वारा अधिकारों का स्वामित्व समनुदेशिती को संक्रान्त हो जाता है। अनुज्ञापन में प्रायः कुछ ही अधिकार अन्तरित होते हैं। उपन्यास का रचयिता पुनरूत्पादन का अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को अनुज्ञापित कर सकता है। वह एक व्यक्ति को पुस्तक कठोर आवरणबद्ध संस्करण प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकता है तो किसी अन्य व्यक्ति को उसी पुस्तक का पत्रावरणबद्ध संस्करण प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति दे सकता है; पुस्तक के धारावाहिक प्रकाशन का अधिकार एक व्यक्ति को और उसके नाटकीकरण का अधिकार अन्य व्यक्ति को अनुज्ञापित कर सकता है।

अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, ''अनन्य अनुज्ञप्ति'' से ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो अनुज्ञप्तिधारी को या अनुज्ञप्तिधारी और उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी सहित सभी अन्य व्यक्तियों का अपवर्जत करके ऐसा कोई अधिकार प्रदत्त करती है जो किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार में समाविष्ट है तथा ''अनन्य अनुज्ञप्तिधारी'' का अर्थ तदनुकूल लगाया जाता है।

अनुज्ञप्ति परिस्थितियों के अनुसार विवक्षित (implied) भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी समाचार–पत्र या पत्रिका में लोकहित से सम्बन्धित विषय के बारे में प्रकाशन हेतु पत्र या कोईं लेख भेजता है तो ऐसी दशा में पत्र या लेख को प्रकाशित करने के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति विवक्षित होती है।

एक संयुक्त स्वामी बिना अन्य सह–स्वामियों की सम्मति के प्रतिलिप्यधिकार में किसी हित के बारे में अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं कर सकता है। यदि इस प्रकार अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है तो अन्य संयुक्त स्वामियों द्वारा अनुज्ञप्तिधारी और उस संयुक्त स्वामी के विरूद्ध, जिसने ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान की है, प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के लिए वाद लाया जा सकता है।

यदि अनुज्ञप्ति बिना प्रतिफल के अनुदत्त की गई है तो इसे किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकता है लेकिन यदि प्रतिफल के बदले में की गई है तो अनुज्ञप्ति अप्रतिसंहरणीय होती है ओर प्रतिलिप्यधिकार में हित हस्तान्तरित करनी है।

जब एक रचयिता द्वारा प्रकाशक को अपनी कृति के परिचालन का अधिकार दिया जाता है तो प्रकाशक कृति का परिचालन करने के लिये ही अधिकृत होता है। प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशिती कृति के परिचालन से प्राप्त होने वाले संलग्न लाभों का हकदार होता है।

धरम दत्त धवन बनाम **रामलाल सूरी** के वाद में वादियों ने उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को रायल्टी के आधार पर प्रकाशन के लिये प्रतिवादियों (प्रकाशकों) के साथ करार किया, जिसके अनुसार पुस्तक के प्रकाशन एवं विक्रय का अधिकार प्रकाशक को दिया गया। पक्षकारों को परिभाषित करते हुये उसमें उनके वारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, समनुदेशितियों को सम्मिलित किया गया था। यह निर्णीय किया गया कि यह प्रकाशित कने के अधिकार का आंशिक समनुदेशन था, मात्र अनुज्ञप्ति नहीं थी।

अनुज्ञप्ति एवं समनुदेशन में अन्तर
(Distinction between Licence and Assignment)

अनुज्ञप्ति समनुदेशन से भिन्न होती है। अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत किसी विद्यमान कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी या किसी भावी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का होने वाला स्वामी अपने द्वारा या अपने सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा लिखित अनुज्ञप्ति से प्रतिलिप्यधिकार में से किसी हित का अनुदत्त करता है। अनुज्ञप्ति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन कुछ विशेष कार्यों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त करता है। अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिलिप्यधिकार में स्वामित्व नहीं प्रदान करती है जबकि समनुदेशन द्वारा समनुदेशिती को समनुदेशित हितों का स्वामित्व प्राप्त हेा जाता है। समनुदेशन प्रतिलिप्यधिकार में स्वामित्व का अनतरण होता है। अनुज्ञप्ति और समनुदेशन लिखित और सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होते हैं। कभी–कभी यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि विलेख से अनुज्ञप्ति आशयित है या समनुदेशन। इसका निर्धारण अनुज्ञप्ति या समनुदेशन से सम्बन्धित विलेख के निर्वचन से किया जाता है।

प्रतिलिप्यधिकार के स्वामियों द्वारा अनुज्ञप्तियाँ
(Licences by owners of copyright)

अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार के स्वामियों द्वारा की जाने वाली अनुज्ञप्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार, किसी विद्यमान कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी या किसी भावी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का होने वाला स्वामी अपने द्वारा या अपने द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा लिखित अनुज्ञप्ति से अधिकार में किसी हित का अनुदान कर सकता है। किसी भावी कृति में अनुज्ञप्ति तभी प्रभावी हेाती है जब वह कृति अस्तित्व में आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी भावी कृति में प्रतिलिप्यधिकार से सम्बद्ध अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है उस कृति के अस्तित्व में आने से पहले मर जाता है वहां उसके विधिक प्रतिनिधि उस अनुज्ञप्ति के फायदे के हकदार होते हैं।

अधिनियम की धारा 30क के अधीन अनुज्ञप्ति के बारे में धारा 19 के उपबंध आवश्यक अनुकूलनों एवं उपान्तरणों के साथ उसी प्रकार लागू होते हैं जैसे वे किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

किसी अनुज्ञप्ति विलेख के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होने चाहिये–

(1) अनुज्ञप्ति किये जाने वाली कृति का पहचान।

(2) अनुज्ञप्ति की अवधि।

(3) अनुज्ञप्ति किये गये अधिकार।

(4) अनुज्ञप्ति का राज्यक्षेत्रीय विस्तार।

(5) संदेय रायल्टी की मात्रा।

(6) अनुज्ञप्ति के पुनरीक्षण, विस्तार एवं समापन से सम्बन्धित शर्तें।

यदि अनुज्ञप्ति धारक, अनुज्ञप्ति अनुदत्त किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अनुज्ञप्त अधिकारों को प्रयोग नहीं करता है तो ऐसे अधिकारों की बाबत अनुज्ञप्ति के बारे में यह समझा जाता है कि वह उक्त अवधि के पश्चात् जब तक कि अनुज्ञप्ति में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, व्यपगत हो गया है। यदि अनुज्ञप्ति विलेख में अनुज्ञप्ति की अवधि का उल्लेख नहीं किया जाता है तो उसे अनुज्ञप्ति की तारीख से पाँच वर्ष समझा जाता है। यदि अधिकारों की अनुज्ञप्ति का राज्य क्षेत्रीय विस्तार विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जाती है कि उसका विस्तार भारत के भीतर है।

समनुदेशन की तरह ही अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) से लेकर उपधारा (6) की कोई बात प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1994 के लागू होने से पूर्व किये गये अनुज्ञप्तियों पर लागू नहीं होती है।

यदि कोई अनुज्ञप्तिधारक, उसे अनुज्ञप्त अधिकारों का पर्याप्त प्रयोग करने में असफल रहता है और उसकी यह असफलता अनुज्ञापक के किसी कार्य या लोप के कारण नहीं कारित हुई है तो अनुज्ञापक द्वारा परिवाद किये जाने पर प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड आवश्यक जाँच करने के पश्चात्, यदि उचित समझता है तो, ऐसे अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकता है।

यदि किसी प्रतिलिप्यधिकार के अनुज्ञप्ति के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पीड़ित पक्षकार द्वारा परिवाद किये जाने पर प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा जाँच के पश्चात् उचित समझता है तो अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत संदेय किसी रायल्टी की वसूली का आदेश दे सकता है।

अनिवार्य अनुज्ञप्ति
(Compulsory Licence)

अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रतिलिप्यधिकार स्वामी द्वारा नहीं बल्कि प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा अनुदत्त की जाती है। अनिवार्य अनुज्ञप्ति कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुदत्त की जाती है जो निम्नलिखित हैं:

(1) जनता से रोक ली गयी कृतियों में अनिवार्य अनुज्ञप्ति।

(2) अप्रकाशित भारतीय कृतियों में अनिवार्य अनुज्ञप्ति।

(1) जनता से रोक ली गई कृतियों में अनिवार्य अनुज्ञप्ति
(Compulsory licence in works withheld form public)

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को किसी कृति के सम्बन्ध में यथोचित निबंधनों एवं शर्तों पर अनिवार्य अनुज्ञप्तियाँ अनुदत्त करने के लिये अधिकृत किया गया है ऐसी अनिवार्य अनुज्ञप्तियाँ, अनुदत्त करने के लिये निम्नलिखित परिस्थितियाँ आवश्यक हैं–

(1) भारतीय कृति प्रकाशित या सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई होनी चाहिये।

(2) रचयिता ने उस कृति का पुनः प्रकाशन करने या पुनः प्रकाशन की अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया हो या उस कृति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया हो।

(3) ऐसे इंकार के कारण वह कृति जनता से रोक ली गई हो।

(4) रचयिता ने ऐसी कृति को या रिकार्ड की दिशा में ऐसे रिकार्ड में ध्वन्यंकित कृति को ऐसे निबंधनों पर जिन्हें परिवादी युक्तियुक्त समझता है, प्रसारण द्वारा सार्वजनिक रूप से संसूचित करने की अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया हो।

अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया

उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करता है तथा आवश्यक एवं उचित जाँच के पश्चात् यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि रचयिता द्वारा इंकार किये जाने के युक्तियुक्त आधार नहीं हैं तो बोर्ड प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को निर्देश दे सकता है कि वह परिवादी को उस कृति को पुनः प्रकाशित करने, उस कृति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने या उस कृति को प्रसारण द्वारा सार्वजनिक रूप से संसूचित करने की अनुज्ञा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को ऐसे प्रतिकर का संदाय होने पर प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन अनुदत्त करे। ऐसी स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के निर्देशों के अनुसार विहित फीस लेकर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड की राय में, ऐसा करने के लिये अर्हित है या हैं को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करता है।

सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड *बनाम* **इंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड** के वाद में दिल्ली न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अनिवार्य अनुज्ञप्ति का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब कलात्मक या संगीतात्मक कृति जनता से रोक ली गई हो। जहाँ अपीलार्थी म्यूजिकल कंपनी ने अपने गानों के प्रसारण के लिए आल इंडिया रेडियो और रेडियो सिटी को अनुज्ञप्ति प्रदान की है ऐसी स्थिति में कृति के बारे में किसी अन्य को अनिवार्य अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहाँ अनुज्ञप्तियाँ ऐसे प्रसारकों को अनुदत्त की गई हैं जो तात्विक रूप से विद्यमान हैं, तब ऐसी दशा में यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के पक्ष में अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के बारे में बाध्य किया जा सकता है, प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में कलात्मक कृति, जिसे जनता से पूरी तरह रोक ली गई है, से अलग संगीतात्मक कृति के बारे में अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर विचार किया जाता है।

एक बार प्रतिलिप्यधिकार सार्वजनिक अधिकार–क्षेत्र में चले जाने के बाद यह वाणिज्यिक अधिकार हो जाता है और ऐसी दशा में अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने से इंकार युक्तियुक्त आधारों पर होना चाहिए। कृति को जनता से रोक लिए जाने और प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद ही प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बारे में निर्णय ले सकता है। अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन आदेश देते समय बोर्ड को प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी के निजी अधिकारों और लोकहित के बीच सूक्ष्म सन्तुलन को बनाए रखना चाहिए।

''अधिनियम की धारा'' 31 के प्रावधान ''भारतीय कृति'' पर ही लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 2 (ठ) के अनुसार,

''भारतीय कृति'' से ऐसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति अभिप्रेत है–

(1) जिसका रचयिता भारत का नागरिक है।

(2) जो भारत में प्रथम बार प्रकाशित की गई है।

(3) जिसका रचयिता, किसी अप्रकाशित कृति की दशा में ऐसी कृति के बनाए जाने के समय भारत का नागरिक है।

(2) अप्रकाशित भारतीय कृतियों में अनिवार्य अनुज्ञप्ति
(Compulsory Licence in Unpublished Indion work)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 31 (क) के अन्तर्गत अप्रकाशित भारतीय कृतियों में अनिवार्य अनुज्ञप्ति के बारे में उपबन्ध किया गया है। धारा 31 (क) के अनुसार जहाँ अप्रकाशित भारतीय कृति की दशा में रचयिता की मृत्यु हो गई है या वह अज्ञात है या ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता नहीं लग सकता है, वहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसी कृति या किसी भाषा में उसका भाषान्तर प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष आवेदन कर सकेगा।

आवेदक को आवेदन करने से पूर्व अपना प्रस्ताव देश के बृहत भाग में परिचालित अंग्रेजी भाषा के किसी दैनिक समाचार–पत्र के एक अंक में प्रकाशित करना होता है, यदि आवेदन किसी भाषा में किसी भाषान्तर के प्रकाशन के लिए है तो ऐसी स्थिति में उस भाषा के किसी दैनिक समाचार–पत्र के एक अंक में प्रकाशित कराना आवश्यक होता है। आवेदन विहित प्रारूप में किया जाता है और आवेदन के साथ विज्ञापन की एक प्रति और निर्धारित फीस जमा करनी पड़ती है।

जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी अप्रकाशित भारतीय कृति में अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बोर्ड आवश्यक जाँच करने के पश्चात् ऐसे अप्रकाशित भारतीय कृति या आवेदन में वर्णित भाषा में उसका भाषान्तर करने के लिए आवेदक को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के बारे में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को निर्देश देता है कि प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन वह आवेदन को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करे। अनुज्ञप्ति ऐसे स्वामित्व का संदाय करने के अधीन होता है, जो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है।

धारा 31 (क) के अन्तर्गत जब कोई अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी जाती है, तब प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार आवेदक को आदेश देता है, कि प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित स्वामित्व की रकम को भारत के लोक लेखे में या प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड

द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य लेखे में जमा करे। ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी या उनके वारिसों, निष्पादकों या विधिक प्रतिनिधियों, जैसी भी स्थिति हो द्वारा ऐसे स्वामित्व का दावा करने पर उन्हें भुगतान किया जा सके।

किसी अप्रकाशित भारतीय कृति की दशा में यदि मूल रचयिता की मृत्यु हो गई है और केन्द्रीय सरकार की राय में कृति का प्रकाशन राष्ट्रहित में वाँछनीय है तो वह रचयिता के वारिसों, निष्पादकों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, तो किसी व्यक्ति द्वारा कृति के प्रकाशन की अनुज्ञा के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् प्रकाशन की अनुज्ञा स्वामित्व के रकम का संदाय करने पर दे सकता है।

निःशुल्क व्यक्ति के फायदे के लिये अनिवार्य अनुज्ञप्ति
(Compulsory licence for benefit of disabled)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत निःशुल्क व्यक्ति के फायदे के लिये अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त किये जाने के सम्बन्ध में धारा 31–(ख) को प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति जो निःशुल्क व्यक्तियों के फायदे के लिये फायदे के आधार पर या कारबार के लिये काम कर रहा है प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष विहित प्रारूप और तरीके से विहित शुल्क के साथ किसी ऐसी कृति के, जिसमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है जिस पर धारा 52 की उपधारा (1) का खण्ड (य) (ख) लागू नही होता है; ऐसे व्यक्तियों के फायदे के लिये प्रकाशन हेतु अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन कर सकता है और प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड ऐसे आवेदन को यथासम्भव शीघ्रता के साथ निपटाता है ओर ऐसे आवेदन को आवेदन प्राप्त करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयत्न करता है।

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड आवेदन प्राप्त करने पर जांच कर सकता है और आवेदक के प्रत्यय पत्रों (cerdentials) को प्रमाणित करने के लिये आदेश देता है। यदि प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का समाधान हो जाता है तो कृति में अधिकार स्वामियों को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने और आवश्यक जांच करने के पश्चात् कि निःशक्त व्यक्तियों को कृति उपलब्ध कराने के लिये अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान की जानी चाहिये तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को कृति को प्रकाशित करने के बारे में आवेदक को अनिवार्य अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आदेश दे सकता है।

इस धारा के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनिवार्य अनुज्ञप्ति में प्रकाशन के साधनों, फार्मेट, अनिवार्य अनुज्ञप्ति की अवधि तथा प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु जारी की जाने वाली प्रतियों की संख्या और रायल्टी की दर विनिर्दिष्ट की गयी होती है। जहां प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड ने अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान की है। आगे आवेदन किये जाने पर अधिकारों के स्वामी को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् ऐसे अनिवार्य अनुज्ञप्ति की अवधि को बढ़ा सकता है और यदि उचित समझता है तो और अधिक प्रतियां जारी करने की अनुमति दे सकता है।

पुनर्ध्वन्यंकन के लिये वैधानिक अनुज्ञप्ति
(Statutory licence for cover version)

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा एक नई धारा 31–(ग) को अन्तः स्थापित किया गया है जो किसी ऐसे व्यक्ति को वैधानिक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के बारे में उपबन्ध करती है जो किसी साहित्यिक नाट्य या संगीतात्मक कृति का पुनर्ध्वन्यंकन (cover version) बनाने की इच्छा रखता है। अधिनियम की धारा 31–ग कोई नया प्रावधान प्रस्तुत नहीं करती है बल्कि यह धारा 52 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) का पुनःस्थापन है। ''पुनर्ध्वन्यंकन'' से धारा 31–(ग) के अधीन तैयार ध्वन्यंकन अभिप्रेत है। धारा 31–ग के अनुसार जहां किसी साहित्यिक, नाटय या संगीतात्मक कृति का ध्वन्यंकन उस कृति में अधिकार के स्वामी द्वारा अथवा उसकी अनुज्ञप्ति या सहमति से तैयार किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ध्वन्यंकन का पुनर्ध्वयंकन तैयार करना चाहता है तो वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसा कर सकता है। परन्तु ऐसा ध्वन्यंकन उसी माध्यम में होगा जिसमें पिछली बार ध्वन्यंकन तैयार किया गया था, यदि पिछले ध्वन्यंकन का माध्यम वर्तमान में वाणिज्यिक उपयोग में नहीं है।

ध्वन्यंकन बनाने वाले व्यक्ति को विहित तरीके से ध्वन्यंकन बनाने के अपने आशय के बारे में पूर्व सूचना देनी होगी और जिन आवरणों या लेबलों में ध्वन्यंकन को बेचा जाना है उसकी प्रति अग्रिम तौर पर उपलब्ध करानी होगी। उसके द्वारा बनायी जाने वाली पुनर्ध्वन्यंकन की सभी प्रतियों के बारे में प्रत्येक कृति में अधिकार के स्वामी को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियत दर पर भुगतान किया जायेगा। परन्तु ध्वन्यंकन को पैकेज के किसी ऐसे रूप में या किसी ऐसे लेबल के साथ बेचा या जारी नहीं किया जायेगा जिससे उसकी पहचान के बारे में जनसाधारण को भ्रम या भ्रान्ति पैदा होने की सम्भावना हो और विशेष रूप से उसी कृति या किसी चलचित्र फिल्म जिसमें ऐसा ध्वन्यंकन सम्मिलित किया गया है, के पूर्वतर ध्वन्यंकन के प्रस्तुतकर्ता का नाम किसी भी रूप में न तो अन्तर्विष्ट किया जायेगा और न ही चित्रित किया जायेगा और यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि ध्वन्यंकन 31–(ग) के अधीन तैयार किया गया है।

ऐसा ध्वन्यंकन तैयार करने वाले व्यक्ति द्वारा साहित्यिक या संगीतात्मक कृति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जो अधिकारों के स्वामी द्वारा या उसकी सम्मति से पहले से नहीं किया गया है या जो ध्वन्यंकन तैयार करने के प्रयोजन के लिये तकनीकी तौर पर आवश्यक नहीं है। ऐसा कोई ध्वन्यंकन उस वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जिसमें उस कृति का पहली बार ध्वन्यंकन तैयार किया गया था, पांच कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति तक तैयार नहीं किया जायेगा।

ऐसे ध्वन्यंकन के सम्बन्ध में प्रत्येक कृति की जिस वर्ष इसकी प्रतियां तैयार की गयी हैं प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में पचास हजार प्रतियों के लिये न्यूनतम रायल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है परन्तु प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड साधारण आदेश द्वारा किसी भाषा विशेष या बोली के सम्बन्ध में ऐसी कृति के सम्भावित परिचालन को ध्यान में रखते हुये न्यूनतम से निम्न निर्धारित कर सकता है।

ऐसा ध्वन्यंकन तैयार करने वाला व्यक्ति उसके सम्बन्ध में ऐसे अभिलेखों और लेखाबहियों का, जिसमें विद्यमान स्टाक का पूरा ब्यौरा सम्मिलित होगा, हिसाब रखेगा और अधिकारों के स्वामी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि को ऐसे ध्वन्यंकन से सम्बन्धित सभी अभिलेखों और लेखाबहियों का निरीक्षण करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

साहित्यिक या संगीतात्मक कृति और ध्वन्यंकन के प्रसारण के लिये वैधानिक अनुज्ञप्ति
(Statutory licence for broadcasting of literary or musical works and sound recording)

कोई प्रसारण संगठन यदि किसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति और ध्वन्यंकन, जो पहले से ही प्रकाशित है, का प्रसारण के द्वारा या प्रस्तुतीकरण द्वारा जनसाधारण को संसूचित करने का इच्छुक है तो वह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 31–घ के प्रावधानों के अधीन ऐसा कर सकता है। प्रसारण करने से पूर्व प्रसारण संगठन को प्रसारण की अवधि और क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख करते हुये प्रसारण करने के आशय के बारे में पूर्व सूचना देना आवश्यक है। प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा विहित तरीके से निर्धारित दर पर प्रत्येक कृति के अधिकार स्वामी को प्रसारण संगठन द्वारा रायल्टी का भुगतान करना होता है। रेडियो प्रसारण के लिये रायल्टी की दर टेलीविजन प्रसारण से भिन्न होती है। प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा रेडियो प्रसारण और टेलीविजन प्रसारण के लिये अलग–अलग दरें निर्धारित की जाती हैं।

उन मामलों को छोड़कर जहां प्रसारण संगठन प्रस्तुतीकरण द्वारा कृति को संसूचित करता है अन्य मामलों में कृति के प्रसारण के साथ रचयिताओं और मुख्य प्रस्तुतकर्ताओं के नाम घोषित करना आवश्यक है। यदि प्रसारण के प्रयोजन के लिये तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं है तो किसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति में कोई परिवर्तन, प्रसारण की सुविधा की दृष्टि से छोटा करने के अलावा, अधिकारों के स्वामी की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रसारण संगठन को ऐसे प्रसारण से सम्बन्धित अभिलेखों और लेखा बहियों का हिसाब रखना होता है और अधिकारों के स्वामी के समक्ष ऐसे अभिलेखों और लेखा बहियों को प्रस्तुत करना होता है तथा अधिकारों के स्वामी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि को ऐसे प्रसारण से सम्बन्धित सभी अभिलेखों और लेखाबहियों का निरीक्षण के लिये अनुज्ञात करना होता है।

भाषान्तर करने और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति
(Licence to translate and publish)

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा भाषान्तर करने और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के बारे में निम्नलिखित वैधानिक उपबंधों पर विचार किया जाता है। अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी साहित्यिक या नाट्य कृति का कोई भाषान्तर उत्पादित और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिये ऐसी कृति के प्रथम प्रकाशन से सात वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष आवेदन कर सकता है। धारा 32 की उपधारा (1क) के अनुसार कोई व्यकित किसी ऐसी साहित्यिक या नाट्य कृति के, जो भारतीय कृति नहीं है, प्रथम प्रकाशन से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् भारत में साधारणतः प्रयोग की जाने वाली किसी भाषा में भाषान्तर को उत्पादित और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिये प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से आवेदन कर सकता है। इसके लिये आवश्यक है कि ऐसा भाषान्तर अध्यापन, विद्यार्जन या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिये होना चाहिये। अध्यापन, अनुसंधान या विद्यार्जन के प्रयोजनों के अन्तर्गत–
(1) शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अन्तर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और शिक्षकीय संस्थाएं हैं, सभी स्तरों पर शिक्षण कार्यकलाप के प्रयोजन हैं।
(2) संगठित शिक्षण कार्यकलाप के अन्य सभी प्रकारों के प्रयोजन हैं।

''अनुसंधान के प्रयोजन'' के अन्तर्गत औद्योगिक अनुसंधान के प्रयोजन या निगमित निकायों द्वारा, (जो सरकार के स्वामित्व के या उसके द्वारा नियंत्रित निकाय नहीं है), या अन्य संगमों या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये व्यक्तियों के निकाय द्वारा अनुसंधान के प्रयोजन नहीं आते है।

यदि ऐसा भाषान्तर किसी विकसित देश में साधारणतः प्रयोग न की जाने वाली भाषा में है तो ऐसा आवेदन प्रथम प्रकाशन से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् किया जा सकता है। यहाँ विकसित देश से ऐसा देश अभिप्रेत है जो विकासशील देश नहीं है। विकासशील देश से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा की प्रथा के अनुरूप तत्समय ऐसा माना गया है। आवेदन विहित प्रारूप में किया जाता है और आवेदन में कृति के भाषान्तर फुटकर कीमत का भी उल्लेख करना होता है। अनुज्ञप्ति के लिये प्रत्येक आवेदक को अपने आवेदन के साथ प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास निर्धारित फीस जमा करना होता है।

धारा 32 की उपधारा (4) के अनुसार, जब धारा 32 के अधीन भाषान्तर करने और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिये प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन किया जाता है तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड जाँच के पश्चात् आवेदक को आवेदन मे उल्लेखित भाषा में कृति का भाषान्तर उत्पादित और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति अनुदत्त करता है। आवेदक को कृति के भाषान्तर की ऐसी प्रतियों के सम्बन्ध में जिनका सार्वजनिक विक्रय हुआ है, कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा विहित रीति से निर्धारित रायल्टी का भुगतान करना होता है। इस धारा के अन्तर्गत अनुदत्त अनुज्ञप्ति अनन्य अनुज्ञप्ति नहीं होती है।

धारा 32 के अन्तर्गत भाषन्तर करने और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति उसी दशा में अनुदत्त की जा सकती है जबकि आवेदन में उल्लिखित भाषा में कृति का भाषान्तर, कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उस कृति के प्रथम प्रकाशन से, यथास्थिति, सात वर्ष या तीन वर्ष या एक वर्ष के भीतर प्रकाशित न किया गया हो या यदि कोई भाषन्तर प्रकाशित किया गया है तो वह अप्राप्य हो गया है। इस धारा के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये आवेदक को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को इस बात से सन्तुष्ट करना होता है कि उसने प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से ऐसा भाषान्तर उत्पादित एवं प्रकाशित करने के प्राधिकार के लिये निवदन किया था, जिसे प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी ने इंकार कर दिया है या वह प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का अपनी ओर से सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् पता लगाने में असमर्थ है और प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता लगाने में असमर्थ होने पर आवेदक ने भाषान्तर उत्पादित और प्रकाशित करने के प्राधिकारर के लिये अपने निवेदन की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत हवाई डाक द्वारा उस प्रकाशक को जिसका नाम कृति से प्रकट होता है अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करने से कम से कम दो माह पूर्व भेज दिया है।

किसी साहित्यिक या नाट्य कृति के, जो भारतीय कृति नहीं है, भारत में साधारण तौर पर प्रयोग की जाने वाली किसी भाषा में भाषान्तर को उत्पादित और प्रकाशित करने के लिये अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन की दशा में छह माह और जहाँ ऐसा भाषन्तर किसी विकसित देश में साधारण तौर पर प्रयोग न की जाने वाली भाषा में है तो निवेदन किये जाने की तारीख से या जहाँ ऐसे प्राधिकार के लिये निवेदन की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत हवाई डाक से प्रकाशक को भेजी गई है वहां ऐसी प्रति के भेजे जाने की तारीख से नौ माह की अवधि बीत गई है और आवेदन में वर्णित भाषा में कृति का भाषान्तर कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, यथस्थिति छह माह या नौ माह की उक्त अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं किया गया है, तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा आवेदक के पक्ष में ऐसी साहित्यिक या नाट्य कृति जो भारतीय कृति नहीं है, के भाषन्तर को उत्पादित और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जा सकती है।

अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1क) के अन्तर्गत किसी आवेदन की दशा में–

(1) ऐसी कृति के, जिसका भाषान्तर किये जाने की प्रस्थापना है, लेखक का नाम और विशिष्ट संस्करण का नाम भाषान्तर की सभी प्रतियों पर मुद्रित किया जाता है।

(2) यदि कृति मुख्यतः चित्रमय है तो धारा 32क के उपबन्धों का भी अनुपालन किया जाता है।

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का समाधान होना चाहिये कि आवेदक कृति का सही भाषान्तर उत्पादित और प्रकाशित करने के लिये सक्षम है और उसके पास प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सन्देय रायल्टी का संदाय करने के साधन हैं। यह भी देखा जाना आवश्यक होता है कि रचयिता ने कृति की प्रतियाँ परिचलन से वापस तो नहीं ले ली हैं और कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को, जहां आवश्यक हो, सुनवाई का अवसर दिया जाता है।

प्रसारण प्राधिकारियों को अनुज्ञप्ति
(Licence to broadcasting authorities)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 32(5) के अन्तर्गत प्रसारण प्राधिकारियों को अनुज्ञप्ति अनुदत्त किये जाने के बारे में प्रावधान उपबन्धित है जिसके अनुसार किसी प्रसारण प्राधिकारी द्वारा किसी साहित्यिक या नाट्य कृति, जो भारतीय कृति नहीं है, के पुनरूत्पादन के मुद्रित या सदृश रूपों में प्रकाशित कृति के भाषान्तर के उत्पादन और प्रसारण के लिये या व्यवस्थित शिक्षण के क्रियाकलाप के एक मात्र प्रयोजन के लिये निर्मित और प्रकाशित दृश्य–श्रव्य स्थायीकरण में सम्मिलित किसी पाठ के अध्यापन के प्रयोजनों के लिये भाषान्तर के प्रसारण के लिये या किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञीय, तकनीकी या वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों के प्रसार के लिये ऐसे भाषान्तर के उत्पादन और प्रकाशन की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन किया जा सकता है।

प्रसारण प्राधिकारी द्वारा धारा 32(5) के अधीन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित अपेक्षित है–

(क) वह भाषान्तर विधिपूर्वक अर्जित किसी कृति से तैयार किया गया है।

(ख) वह प्रसारण ध्वनि और दृश्य अंकनों के माध्यम से तैयार किया गया है।

(ग) ऐसा अंकन आवेदक द्वारा या किसी अन्य प्रसारण अभिकरण द्वारा भारत में प्रसारण के प्रयोजन के लिये विधिपूर्वक और अनन्यतः तैयार किया गया है।

(घ) उस भाषान्तर और भाषान्तर के प्रसारण का प्रयोग किन्हीं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये नहीं किया गया है।

कतिपय प्रयोजनों के लिये कृतियाँ पुनरूत्पादित और प्रकाशित करने के लिये अनुज्ञप्ति
(Licence to reproduce and pubish works for certain purposes)

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा अंतःस्थापित धारा 32 (क) के अन्तर्गत कुछ विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या कलात्मक कृति के पुनरूत्पादन एवं प्रकाशन के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति का अनुदत्त किया जाना उपबन्धित है। जिसके अनुसार–

जहाँ किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या कलात्मक कृति के संस्करण के प्रथम प्रकाशन की तारीख से सुसंगत अवधि के बीत जाने के पश्चात् ऐसे संस्करण की प्रतियाँ भारत में उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं, या ऐसी प्रतियाँ भारत में छह माह की अवधि तक जनसाधारण के लिए या व्यवस्थित शिक्षण क्रियाकलाप के सम्बन्ध में ऐसी कीमत पर विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसका उस कीमत से युक्तियुक्त रूप से सम्बन्ध है, जो पुनरूत्पादन अधिकार के स्वामी द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सदृश कृतियों के लिए सामान्य तौर पर भारत में प्रभारित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसी कृति का पुनरूत्पादन करने और ऐसी कृति के मुद्रित रूप में पुनरूत्पादन के सदृश रूपों में ऐसी कीमत पर, जिस पर ऐसे संस्करण का विक्रय किया जाता है, या व्यवस्थित शिक्षण क्रियाकलाप के प्रयोजनों के लिए उससे कम कीमत पर प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन कर सकता है।

धारा 32 (क) की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी कृति के सम्बन्ध में ''सुसंगत अवधि'' निम्नलिखित अवधि अभिप्रेत है–

(क) जहाँ आवेदन कथा साहित्य कविता, नाटक, संगीत या कला की या उससे सम्बन्धित किसी कृति के पुनरूत्पादन और प्रकाशन के लिए है, वहाँ उस कृति के प्रथम प्रकाशन की तारीख से सात वर्ष।

(ख) जहाँ आवेदन प्रकृति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित या प्रौद्यौगिकी की या उससे सम्बन्धित किसी कृति के पुनरूत्पादन और प्रकाशन के लिए है, वहाँ उस कृति के प्रथम प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष।

(ग) किसी अन्य दशा में, उस कृति के प्रथम प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष। धारा 32 (क) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है–

(1) प्रत्येक आवेदन विहित प्रारूप में किया जाना चाहिए और उसमें पुनरूत्पादित की जाने वाली कृति की प्रस्थापित फुटकर कीमत का उल्लेख होना चाहिए।
(2) अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक को अपने आवेदन के साथ प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास निर्धारित फीस जमा करनी चाहिए।

इस धारा के अधीन प्रतिलिपयाधिकार बोर्ड को अनुज्ञप्ति अनुदत्त किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन किया जाता है, जो जाँच करने के पश्चात् प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड आवेदन में उल्लेखित कृति के पुनरूत्पादन को उत्पादित और प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति, जो अनन्य अनुज्ञप्ति नहीं होती है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदक को अनुदत्त कर सकता है कि–

(1) आवेदक, कृति के पुनरूत्पादन की ऐसी प्रतियों की बावत, जिनका सार्वजनिक विक्रय हुआ है, कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा विहित रीति से निर्धारित दर से परिकल्पित स्वामित्वों का भुगतान करेगा।

(2) अनुदत्त अनुज्ञप्ति का विस्तार कृति के पुनरूत्पादन की प्रतियों के भारत से बाहर निर्यात पर नहीं होगा और ऐसे पुनरूत्पादन की प्रत्येक प्रति में इस बात की सूचना देनी होगी कि प्रति केवल भारत में वितरण के लिए उपलब्ध है।

ऐसी कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवश्यक है, कि–

(क) आवेदक ने प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को समाधान प्रद रूप में यह साबित कर दिया हो कि उसने कृति में

प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से ऐसी प्रति को पुनरूत्पादित और प्रकाशित करने की प्राधिकार के लिए निवेदन किया था और उसे प्रतिभार देने से इन्कार कर दिया गया था या वह अपनी ओर से सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् भी प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता लगाने में असमर्थ था।

(ख) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का समाधान होना चाहिए कि आवेदक ने प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता लगाने में असमर्थ रहने पर ऐसे प्राधिकार के लिए उस प्रकाशन को, जिसका नाम कृति से प्रकट होता है, रजिस्ट्रीकृत हवाईडाक द्वारा निवेदक की एक प्रति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन में कम से कम तीन माह पहले भेज दी थी।

(ग) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का समाधान होना चाहिए कि आवेदक कृति के यथार्थ पुनरूत्पादन को पुनरूत्पादित और प्रकाशित करने के लिए सक्षम है और उसके पास प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदेय स्वामित्वों का संदाय करने के साधन हैं।

(घ) आवेदक को कृति को ऐसी कीमत पर पुनरूत्पादित और प्रकाशित करने के लिए वचनबद्ध होना पड़ता है, जो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए।

(ड़) प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से ऐसी प्रति को पुनरूत्पादित और प्रकाशित करने के प्राधिकार के लिए निवेदन किये जाने की तारीख से जहाँ निवेदक की प्रति प्रकाशक को भेजी गई, वहाँ ऐसी प्रति भेजने की तारीख से प्रकृति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित या प्रौद्यौगिकी की किसी कृति के पुनरूत्पादन और प्रकाशन के लिए आवेदन की दशा में तीन माह की अवधि बीत गई है और उस कृति के पुनरूत्पादन को कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथास्थिति छह माह या तीन माह की अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं किया गया है।

(च) जिस कृति को पुनरूत्पादित किया जाना प्रस्थापित है, उसके रचयिता का नाम और विशिष्ट संस्करण का नाम पुनरूत्पादन की सभी प्रतियों पर मुद्रित किया जाता है।

(छ) रचयिता ने कृति की प्रतियों को परिचालन से वापस नहीं लिया है।

(ज) जहाँ कहीं भी व्यवहार्य हो, कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सुनवाई का अवसर दिया गया है।

किसी कृति का कोई भाषान्तर पुनरूत्पादित और प्रकाशित करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति तभी अनुदत्त की जा सकती है, जबकि भाषान्तर के अधिकार के स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा भाषान्तर प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन भाषान्तर ऐसी भाषा में नहीं है, जिसका भारत में साधारणतया प्रयोग किया जाता है।

अनुज्ञप्तियों का पर्यवसान
(Termination of licences)

प्रदान अनुज्ञप्ति की समाप्ति
procedure of termination of licences

अनुज्ञप्ति को किसी भी समय खण्डित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 32 (ख) में प्राविधान है। इस धारा के अन्तर्गत,

इस अध्याय के अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्तियों की समाप्ति–यदि धारा 32 की उपधारा (1क) (इसे इसमें आगे इस उपधारा में अनुज्ञप्ति कृति के रूप में निर्देशित किया गया है) के अधीन किसी भाषा में किसी कृति के भाषान्तर को उत्पादित एवं प्रकाशित करने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के बाद, उस कृति के कॉपीराइट का स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृति व्यक्ति, उसी भाषा में उस कृति का भाषान्तर प्रकाशित करता है जो विषय की दृष्टि से सारवान रूप में वैसी ही है,

उसी विषय या समान विषय पर उसके सामान स्तर की कृतियों के भाषान्तर के लिए भारत में सामान्य रूप से वसूल किए गए युक्तियुक्त सुसंगत मूल्य पर प्रकायित करता है, तो इस प्रकार अनुदत्त की गई अनुज्ञप्ति सामाप्त कर दी जाएगी

परन्तु यह कि इस प्रकार की सामाप्ति प्रभावित नहीं होगी जब तक कि भाषान्तर के अधिकार के स्वामी द्वारा यथोपरोक्त भाषान्तर के प्रकाशन की सूचना देते हुए ऐसे अनुज्ञप्ति धारणा करने वाले व्यक्ति को विहित तरीके से नोटिस के तामील कराये जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत न हो गयी हो।

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति की सामग्री के प्रभाव होने से पूर्व, ऐसी अनुज्ञप्ति को धारणा करने वाले व्यक्ति द्वारा पुनरूत्पादित एवं प्रकाशित अनुज्ञप्ति कार्य की प्रतियाँ तब तक बेची या वितरित की जाती रहेंगी जब तक पहले से पुनरूत्पादित एवं प्रकाशित प्रतियाँ न हो जाए।

यदि, धारा 32–क के अधीन किसी कृति या उसके भाषान्तर को उत्पादित एवं प्रकाशित करने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के पश्चात् पुनरूत्पादन के अधिकार का स्वामी या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति, उसी भाषा में जो विषय के एक रूप में वैसी ही है, उसी या समान विषय पर समान स्तर की कृतियों के लिए भारत में सामान्य रूप से वसूल किए गए युक्तयुक्त रूप से सुसंगत मूल्य पर, यथास्थिति, ऐसी कृति या उसके भाषान्तर की प्रतियों को बेचता है या वितरित करता है तो इस प्रकार अनुदत्त अनुज्ञप्ति समाप्त हो जायेगी

परन्तु यह कि ऐसी समाप्ति प्रभावी नहीं होगी जब तक कि पुनरूत्पादन के अधिकार के स्वामी द्वारा यथोपरोक्त कार्य के संस्करणों की प्रतियों के विक्रय या वितरण की सूचना देते हुए अनुज्ञप्ति को धारण करने वाले व्यक्ति पर विहित तरीके से नोटिस की तामील की तारीख से तीन माह की अवधि न बीत गयी हो

परन्तु यह और है कि ऐसी समाप्ति के प्रभावशील होने के पूर्व, अनुज्ञप्तिकारी द्वारा पहले से पुनरूत्पादित प्रतियाँ उस समय तक बेची या वितरित की जाती रहेंगी जब तक कि पहले से उत्पादित प्रतियाँ समाप्त न हो जाएं।

अध्याय 7
प्रसारण संगठन और प्रस्तुतकर्ताओं के अधिकार
(RIGHTS OF BROADCASTIND ORGANISATION AND OF PERFORMERS)

प्रसारण संगठन के अधिकार
(Right of Broadcasting Organization)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रसारण संगठनों जैसे दूरदर्शन, रेडियो आदि को कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं जिसे ''प्रसारण संगठनों के अधिकार'' कहा जाता है। अधिनियम की धारा 37(1) के अन्तर्गत प्रत्येक प्रसारण संगठन को उसके प्रसारणों के सम्बन्ध में 'प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार' नाम से ज्ञात एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है। प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार, उस वर्ष के, जिसमें प्रसारण किया जाता है, ठीक आगामी कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ से 25 वर्ष तक अस्तित्व में रहता है।

प्रसारण पुनःरूत्पाद अधिकार
(Broad cast Reproduction Right)–

प्रतिलिप्यधिकारअधिनियम, 1957 की धारा 37(1) के अन्तर्गत प्रत्येक प्रसारण संगठन को उसकी कृति के प्रसारण के सम्बन्ध में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिन्हें प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार (Broadcast Reproduction Right)– कहा जाता है।

प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार, उस वर्ष के, जिसमें प्रसारण किया जाता है, ठीक आगामी कलैण्डर वर्ष के आरम्भ से 25 वर्ष तक अस्तित्व में रहता है।

यहाँ प्रसारण संगठन से तात्पर्य दूरदर्शन, रेडियो आदि से ही प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2 (घ) (घ) के अनुसार–प्रसारण से बेतार बिसारण (Wirless diffusion) के किसी माध्यम से, चाहे वह संकेत, ध्वनि या दृश्य विम्ब के एक या अधिक रूपों में हो, या तार से, सार्वजनिक रूप से संसूचित करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पुनः प्रसारण भी शामिल है।

अतिलंघनकारी कृत्य
Infringment act

प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार के बने रहने के दौरान किसी प्रसारण के सम्बन्ध में अधिकार के स्वामी की अनुज्ञप्ति के बिना, कोई व्यक्ति निम्नलिखित कृत्य करता है, तो इसे प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार का अतिलंघन माना जायेगा।

ऐसे अतिलंघनकारी कृत्य निम्नलिखित हैं–

(1) प्रसारण का पुनः प्रसारण करना।

(2) प्रसारण को सार्वजनिक रूप से किसी प्रभार का संदाय करने पर सुनाना या दिखाना।

(3) प्रसारण का कोई ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करना।

(4) ऐसे ध्वन्यंकन या दृश्यांकन का कोई पुनरूत्पादन करना, जहाँ ऐसा आरम्भिक ध्वन्यंकन अनुज्ञप्ति के बिना किया गया था या जहाँ वह अनुज्ञप्ति के अधीन किसी ऐसे प्रयोजन के लिए अनुदत्त किया गया था, जो उस अनुज्ञप्ति द्वारा विचारित नहीं है।

(5) प्रसारण के ऐसे किसी ध्वन्यंकन या दृश्यंकन का सार्वजनिक रूप से विक्रय करना या उसे भाड़े पर देना अथवा ऐसा विक्रय करने या भाड़े पर देने की प्रस्थापना करना।

धारा 39 अतिलंघन न करने वाले कृत्य

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 39 के अन्तर्गत उन कृत्यों का उल्लेख किया गया है, जिनसे प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार का अतिलंघन नहीं होता है। ये कृत्य निम्नलिखित हैं–

(क) ध्वनि रिकार्डिंग या श्रव्य रिकार्डिंग करने वाले किसी व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए या पूर्णत सद्भावपूर्वक शिक्षण या अनुसंधान के प्रयोजन के लिए कोई ध्वनि रिकार्डिंग या श्रव्य रिकार्डिंग करना।

(ख) सामयिक घटनाओं की या सद्भावपूर्वक पुनर्विलोकन शिक्षण या अनुसंधान की रिपोर्टिंग में किसी प्रस्तुतीकरण या किसी प्रसारण की झलकियों का प्रयोग करना।

(ग) ऐसे अन्य कार्य, जिन्हें करने से धारा 52 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं होता है, तथा जो किन्हीं जरूरी अनुकूलनों और उपान्तरणों के साथ किए गए हों।

प्रस्तुतकर्ता का अधिकार
(Performer's right)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में वर्ष 1994 के संशोधन से पूर्व प्रस्तुतकर्ताओं–अभिनेताओं, नर्तकों, संगीतकारों, बाजीगरों, कलाबाजों के अधिकारों को संरक्षित नहीं किया गया था। वर्ष 1994 में संशोधन द्वारा प्रस्तुतकर्ताओं के अधिकारों को धारा 38 के अन्तर्गत, वैधानिक तौर पर मान्यता प्रदान की गई जिसे ''प्रस्तुतकर्ता का अधिकार'' कहा जाता है।

प्रस्तुतकर्ता के अधिकार (Performer Rights)–प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 38 (1) के अनुसार, जहाँ कोई प्रस्तुतकर्ता किसी प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होता है या उसमें नियुक्त होता है, तो उसके पास ऐसे प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में एक विशिष्ट अधिकार होता है, जिसे ''प्रस्तुतकर्ता का अधिकार'' कहा जाता है।

अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अनुसार प्रस्तुतकर्ता का अधिकार उस वर्ष के जिसमें ऐसा प्रस्तुतीकरण किया जाता है, ठीक आगामी कलैण्डर वर्ष के आरम्भ से 50 वर्ष तक अस्तित्व में रहता है।

उल्लेखनीय है, जहाँ प्रस्तुतकर्ता के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 2 (थ थ) के अनुसार, कोई अभिनेता, गायक, संगीतज्ञ, नर्तक, कलाबाज, बाजीगर, जादूगर, सपेरा, व्याख्यान देने वाला व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति है, जो प्रस्तुतीकरण करता है।

प्रस्तुतकर्ता को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं–

(1) प्रस्तुतीकरण की ध्वनि रिकार्डिंग या दृश्य रिकार्डिंग करना।

(2) प्रस्तुतीकरण की ध्वनि रिकार्डिंग या दृश्य रिकार्डिंग का पुनरूत्पादन करना।

(3) प्रस्तुतीकरण का प्रसारण करना।

(4) प्रसारण से अन्यथा सार्वजनिक रूप से प्रस्तुतीकरण को संसूचित करना।

परन्तु किसी चलचित्र फिल्म में किसी व्यक्ति का प्रस्तुतीकरण यदि सांयोगिक या आनुषंगिक प्रकृति का है और उद्योग में कार्य के अनुक्रम में, जिसमें फिल्म की साख सम्मिलित है, कहीं भी स्वीकृत नहीं है तो धारा 38–ख के खण्ड (ख) के प्रयोजन के सिवाय प्रस्तुतकर्ता के रूप में नहीं समझा जायेगा।

प्रस्तुतकर्ताओं के अनन्य अधिकार
(Exclusive rights of Performers)

अधिनियम की धारा 38–क के अन्तर्गत प्रस्तुतकर्ताओं के अनन्य अधिकार के बारे में उपबन्ध किया गया है जिसके अनुसार, रचयिताओं को प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुतकर्ता का अधिकार किसी प्रस्तुतीकरण या उसके किसी पर्याप्त भाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यों में से किसी को करने या उसका किया जाना प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार है, अर्थात्

(क) प्रस्तुतीकरण का ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करना, जिसमें सम्मिलित है–

(1) इसका किसी पर्याप्त रूप में पुनरूत्पादन, जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम से उसका भण्डारण है।
(2) इसकी प्रतियों का जनता में प्रचालन, जो पहले से परिचालन में नहीं है।
(3) इसे सार्वजनिक रूप से संसूचित करना।

(4) रिकार्डिंग की किसी प्रति को बेचना या वाणिज्यिक किराये पर देना या बेचने की या वाणिज्यिक किराये पर देने की प्रस्थापना करना।

(ख) जहां प्रसारण पहले ही हो चुका है उसके अतिरिक्त प्रसारण या प्रस्तुतीकरण का जनता को संसूचित करना।

यदि एक बार प्रस्तुतकर्ता ने लिखित करार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण को चलचित्र फिल्म में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति दे दी है तो वह तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में फिल्म निर्माता द्वारा उसी फिल्म में प्रस्तुतकर्ता के अधिकार का उपभोग किये जाने का विरोध नहीं कर सकता है परन्तु प्रस्तुतकर्ता वाणिज्यिक उपयोग के लिये प्रस्तुतीकरण के बनाये जाने की दशा में रायल्टी प्राप्त करने के लिये अधिकृत होता है।

प्रस्तुतकर्ता के नैतिक अधिकार
(Moral rights of Performers)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अन्तर्गत रचयिता के विशेष अधिकार के तौर पर मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इन्हीं अधिकारों के समकक्ष प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के द्वारा धारा 38–ख को अन्तः स्थापित करते हुये प्रस्तुतकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अधिनियम की धारा 38–ख के अनुसार, प्रस्तुतीकरण का प्रस्तुतकर्ता द्वारा पृथक् रूप में और अपने अधिकार के पूर्णतः या भागतः समनुदेशन के पश्चात् भी उसे–

(क) प्रस्तुतीकरण के प्रस्तुतकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाये रखने का दावा करने का।

(ख) अपने प्रस्तुतीकरण के किसी विरूपण, विकृत किये जाने या अन्य रूपान्तरण जिससे उसकी प्रतिष्ठा या ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, अवरूद्ध करने या उसके बारे में नुकसानी का दावा करने का अधिकार होता है।

सम्पादन के प्रयोजन के लिये प्रस्तुतीकरण के किसी भाग को मात्र हटा देना या सीमित अवधि के लिये रिकार्डिंग को उपयुक्त बनाना या शुद्ध रूप से तकनीकी कारणों से अपेक्षित कोई अन्य रूपान्तरण प्रस्तुतकर्ता की ख्याति के प्रतिकूल नहीं समझा जाता है।

प्रस्तुतकर्ता के अधिकार का अतिलंघन
(Infringment of Performers right)

अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (3) में प्रस्तुतकर्ता के अधिकार के अतिलंघन सम्बन्धी प्रावधान किए गए हैं। उपधारा (3) के अनुसार, यदि किसी प्रस्तुतीकरण के सम्बन्धों में किसी प्रस्तुतकर्ता के अधिकार के बने रहने के दौरान, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो प्रस्तुतकर्ता की सहमति के बिना प्रस्तुतीकरण या उसकी किसी पर्याप्त भाग के सम्बन्धों में निम्नलिखित कोई कृत्य करता है, तो यह समझा जायेगा कि उसने प्रस्तुतकर्ता के अधिकारों का अतिलंघन किया है–

(क) प्रस्तुतीकरण की ध्वनि रिकार्डिंग या दृश्य रिकार्डिंग करना।

(ख) ऐसे प्रस्तुतीकरण के ध्वनिकार्डिंग या दृश्य रिकार्डिंग का पुनरूत्पादन करना तथा जो ध्वनि रिकार्डिंग या दृश्य रिकार्डिंग–

(1) प्रस्तुतकर्ता की सम्मति के बिना किया गया हो।
(2) उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया हो जिनके लिए प्रस्तुतकर्ता ने सहमति दी थी।

(3) किसी ऐसे ध्वनि रिकार्डिंग या दृश्य रिकार्डिंग, जो धारा 39 के अनुसार किया गया था, या धारा 39 में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया था।

(ग) प्रस्तुतीकरण का प्रसारण करना उस दशा के सिवाय जहाँ प्रसारण धारा 39 के अनुसार बनाए गए ध्वनि रिकार्डिंग या दृश्य रिकार्डिंग से भिन्न ध्वनि रिकार्डिंग या दृश्य रिकार्डिंग से किया जाता है, अथवा वह किसी पूर्ववर्ती प्रसारण, जिसमें प्रस्तुतकर्ता के अधिकार का अतिलंघन नहीं किया गया हो, या उसी प्रसारण संगठन द्वारा पुनःप्रसारण है।

(घ) प्रसारण से अन्यथा सार्वजनिक रूप से प्रस्तुतीकरण को संसूचित करना, उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसी संसूचना ध्वन्यंकन या दृश्यांकन या किसी प्रसारण द्वारा सार्वजनिक रूप से की जाती है, करता है।

अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (4) के अनुसार, प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण को किसी चल चित्र फिल्म में समाविष्ट किए जाने की सम्मति एक बार प्रदान करने के बाद ऐसे प्रस्तुतीकरण पर उपधारा (1), (2) और (3) के उपबन्ध आगे लागू नहीं होंगे।

प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार या प्रस्तुतकर्ता के अधिकार का अतिलंघन न करने वाले कार्य
(Acts not infringing broadcast reproduction rights or Performer's right)

अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत उन कार्यों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उनसे प्रसारण पुनरूत्पादन अधिकार या प्रस्तुतकर्ता के अधिकार का अतिलंघन नहीं होता है। ऐसे कार्य निम्नलिखित हैं–

(क) ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करने वाली किसी व्यक्ति के निजी उपयोग के लिये या पूर्णतः सद्भावपूर्वक शिक्षण या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिये कोई ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करना।

(ख) सामयिक घटनाओं की या सद्भावपूर्वक पुनर्विलोकन, शिक्षण या अनुसंधान की रिपोर्टिंग में किसी प्रस्तुतीकरण या किसी प्रसारण की झलकियों का प्रयोग करना, जो उचित प्रयोग से सुसंगत हा।

(ग) किन्हीं आवश्यक अनुकूलनों और उपान्तरणों के साथ ऐसे अन्य कार्य करना जिनसे अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं होता है। इस बारे में धारा 52 के अन्तर्गत आने वाले कार्य निम्नलिखित हैं–

(1) व्यक्तिगत तौर पर वाणिज्येतर उपयोग के लिये वैध रूप से प्राप्त कंप्यूटर प्रोग्राम का अनुकूलन करना या प्रतियाँ बनाना। कम्प्यूटर प्रोग्राम का अनुकूलन करना और प्रतियाँ बनाना प्रसारण अथवा प्रस्तुतीकरण के ध्वन्यंकन या दृश्यांकन के लिये किया जा सकता है। यदि ऐसा ध्वन्यंकन या दृश्यांकन व्यक्तिगत तौर पर वाणिज्येतर उपयोग के लिये है तो अतिलंघन नहीं होता है।

(2) किसी न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजन के लिये पुनरूत्पादन।

(3) विधानमण्डल के सदस्यों के उपयोग के लिये पुनरूत्पादन।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार बनाई गई या प्रदाय की गई किसी प्रमाणित प्रति का पुनरूत्पादन।

(5) किसी शिक्षण संस्था के कियाकलाप के अनुक्रम में उस संस्था के कर्मचारिवृन्द और विद्यार्थियों द्वारा ध्वन्यंन या दृश्यांकन का प्रस्तुतीकरण यदि दर्शक समूह ऐसे कर्मचारिवृन्द और विद्यार्थियों, विद्यार्थियों के माता–पिता और संरक्षकों तथा उस संस्था के कियाकलाप से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध व्यक्तियों तक सीमित है।

धारा 40 के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित ''प्रसारण संगठन के और प्रस्तुतकर्ताओं के अधिकार'' विदेशी प्रसारण संगठनों एवं प्रस्तुतकर्ताओं पर भी लाग होने के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि कोई विदेशी प्रसारण संगठन या प्रस्तुतकर्ता भारत में प्रसारण या प्रस्तुतीकरण करता है तो ऐसे संगठन या प्रस्तुतकर्ता को इस सम्बन्ध में भारतीय विधि का और यदि भारतीय प्रसारण संगठन या प्रस्तुतकर्ता किसी अन्य देश में प्रसरण या प्रस्तुतीकरण करना चाहता है तो उसे अन्य देश की विधि को ध्यान में रखना होता है।

केन्द्रीय सरकार को विदेशी प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्राप्त है।

प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी

(Copyright - Societies)

साहित्यिक नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों की रचना के लिए पर्याप्त समय, रचनात्मक एवं बौद्धिक प्रयास से समर्थित निवेश की आवश्यकता होती है, चूँकि प्रतिलिप्यधिकार विधि द्वारा विभिन्न कृतियों के रचयिताओं को उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु अनन्य अधिकार प्राप्त हैं, और अधिनियम में कृतियों से सम्बन्धित अधिकारों के संरक्षण व सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वैधानिक व्यवस्था की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार के स्वामित्वों

के रचनात्मक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों के गठन का प्रावधान किया गया है, क्योंकि ऐसी कृतियों की रचना से जुड़े व्यक्तियों के पास इतना समय या वाणिज्यिक कौशल नहीं होता है, कि वे अपनी कृतियों के विपणन, कृतियों एवं उनमें अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन में उत्पन्न स्थितियों का प्रबन्धन कर सकें। अर्थात् 'रचयिता की कृतियों से सम्बन्धित अधिनियम प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण व सफल कियान्वयन हेतु जिस समूह का गठन किया जाता है, वह प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी कहलाता है।''

इवेन्ट एण्ड इन्टरटेनमेंट मैनेजमेंट बनाम यूनियन आफ इण्डिया के वाद में प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों के संस्थापन, कार्य शैली और लागू करने की शक्ति का विवेचन करते हुये न्यायालय ने अवधारित किया कि प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियां प्रतिलिप्यधिकार स्वामियों द्वारा नियंत्रित और उनके प्रति उत्तरदायी होती हैं। केन्द्रीय सरकार उनके ऊपर पर्यवेक्षणीय नियंत्रण रखती है। व्यवस्थापिका प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी से अधिकारों के स्वामियों के अनुमोदन के अधीन टैरिफ नियत किये जाने की अपेक्षा करती है।

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व अधिनियम की धाराओं 33–36 के अन्तर्गत प्रस्तुतीकरण अधिकार सोसाइटी से सम्बन्धित प्रावधान उपबन्धित थे, जिनका कार्य ऐसी कृतियों के, जिनमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में होता था, भारत में प्रस्तुतीकरण के लिये अनुज्ञप्तियाँ जारी करना मात्र था। इन प्रस्तुतीकरण अधिकार सोसाइटियों का क्षेत्र साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृतियाँ, जिन्हें जनता में प्रस्तुत किया जा सके, के प्रस्तुतीकरण के लिये अनुज्ञप्तियाँ जारी करने तक सीमित था।

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1994 ने प्रस्तुतीकरण अधिकार सोसाइटियों के नाम में परिवर्तन करते हुये प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों के गठन का प्रावधान किया और इसके क्षेत्र को व्यापक बना दिया। प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियाँ न सिर्फ जनता में कृतियों के प्रस्तुतीकरण के बारे में अनुज्ञप्तियाँ जारी करती हैं बल्कि ऐसी किसी भी कृति के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तियाँ जारी करती हैं बल्कि ऐसी किसी भी कृति के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तियाँ जारी करने के लिये प्राधिकृत हैं जिसमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में होता है।

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के कार्य
(Functions of Copyright Society)

अधिनियम की धारा 33 के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कृत्यों को सम्पादित करने के लिये अपेक्षित है–

(1) कृति, जिसमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है, के पुनरूत्पादन, प्रस्तुतीकरण या संसूचना के लिये अनुज्ञप्ति जारी करना या अनुदत्त करना।

(2) प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के स्थान का पता लगाना।

(3) अतिलंघनकारी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही संस्थित करना।

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण
(Registration of Copyright Society)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 33 की उपधारा (1) के उपबन्धानुसार कोई व्यक्ति या व्यक्ति संगम ऐसी कृति के बारे में, जिसमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किन्हीं अन्य अधिकारों के बारे में अनुज्ञप्ति जारी करने या अनुदत्त करने का कोई कारोबार रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उसके अनुसार ही प्रारम्भ कर सकता है या चला सकता है।

इस प्रावधान के अतिरिक्त प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, अपनी स्वयं की कृतियों के बारे में अनुज्ञप्तियाँ जारी करने या अनुदत्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रख सकता है।

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व धारा 33 के उपबन्धों के अन्तर्गत गठित प्रस्तुतीकरण अधिकार सोसाइटियों को अब प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियाँ कहा जाता है और ऐसे प्रत्येक प्रस्तुतीकरण अधिकार सोसाइटी को प्रतिलिप्यधिकार (संसोधन) अधि. 1994 के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकृत कराना आवश्यक बनाया गया है। कोई व्यक्ति संगम, अधिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए अधिनियम द्वारा प्रदत्त किन्हीं अधिकारों के बारे में अनुज्ञप्ति जारी करने या अनुदत्त करने के किसी कारोबार को करने के लिए अनुमति प्राप्ति हेतु प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ऐसा आवेदन प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रेषित कर दिया जाता है।

आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार रचयिताओं और अधिकारों के अन्य स्वामियों के हितों का जनसाधारण के और विशेषकर ऐसे व्यक्तियों के समूहों के हित और सुविधा का जिनके बारे में इस बात की अधिक सम्भावना होती है, कि वे सुसंगत अधिकारों के बारे में अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करना चाहेंगे तथा आवेदकों की योग्यता और वृत्तिक सक्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों के संगम को विहित शर्तों के अधीन प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा एक ही वर्ग की कृतियों से सम्बन्धित कारोबार करने के लिए एक से अधिक प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता है। यदि केन्द्रीय सरकार को समाधान हो जाता है, कि किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जा रहा है, जो सम्बन्धित अधिकारों के स्वामियों के हितों के प्रतिकूल है तो आवश्यक जाँच करने के पश्चात् ऐसी सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधिकारों के स्वामियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा ऐसी सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के जाँच लम्बित रहने के दौरान एक वर्ष तक की अवधि के लिए निलम्बित कर सकती है। तथा सरकार प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी के कृत्यों के उन्मोचन के लिए एक प्रशासक को नियुक्त कर सकती है।

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों द्वारा टैरिफ पद्धति
(Tariff Scheme by Copyright Society)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 33 के अन्तर्गत रायल्टी के निर्धारण, संग्रहण और वितरण को विनियमित करने वाला स्पष्ट उपबन्ध नहीं था जिसके परिणामस्वरूप रायल्टी का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों की टैरिफ पद्धति प्रायः विवादों में घिर जाया करती थी। अधिनियम में प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा धारा 33–क को अन्तः स्थापित करते हुये टैरिफ पद्धति को पारदर्शी बनाने की योजना प्रस्तुत की गयी है, जो निम्न प्रकार हैः

(1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी विहित रीति में अपनी टैरिफ पद्धति प्रकाशित करेगी।

(2) कोई व्यक्ति, जो टैरिफ पद्धति से व्यथित है, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है और यदि प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का आवश्यकता जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है तो वह टैरिफ पद्धति के किसी अनुचित अंश, अनियमितता या असंगति को दूर करने की आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकता है।

परन्तु व्यथित व्यक्ति को प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को विहित शुल्क का भुगतान करना होता है जो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष अपील करने से पूर्व शोध्य है और ऐसे शुल्क की वसूली को रोकने से सम्बन्धित आदेश जारी नहीं करता है। प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड दोनों पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् अन्तरिम टैरिफ निर्धारित करता है और व्यथित पक्षकार को तद्नुसार अपील का निस्तारण लम्बित रहने तक भुगतान करने का आदेश देता है।

स्वामी के अधिकारों का प्रशासन
(Administration of Right of Owner)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 34 के अनुसार प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा स्वामी के अधिकारों के प्रशासन के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं–

1. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्ति जारी करके या अनुज्ञप्ति फीस संग्रहीत करके या दोनों प्रकार से किसी कृति में किसी अधिकार को प्रशासित करने के लिये अनन्य प्राधिकार, रचयिताओं और अन्य अधिकार स्वामियों से प्राप्त कर सकती हैं किसी संविदा के अधीन प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रचयिताओं और अन्य अधिकार स्वामियों को ऐसा प्राधिकार वापस लेने का अधिकार वापस लेने का अधिकार होता है।

2. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी किसी ऐसे विदेशी सोसाइटी या संगठन के साथ, जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के समरूप अधिकारों के समरूप अधिकारों का प्रशासन करता है, ऐसे विदेशी संगठन या सोसाइटी को भारत में प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा प्रशासित अधिकारों का प्रशासन किसी विदेश में सौपने के लिये अथवा ऐसी विदेशी सोसाइटी या संगठन द्वारा किसी विदेश में प्रशासित अधिकारों का भारत में प्रशासन करने के लिये करार करने के लिये सक्षम होती है।

ऐसी कोई सोसायटी या संगठन, भारतीय और अन्य कृतियों में अधिकारों के बीच अनुज्ञप्ति के निर्बन्धनों या संग्रह की गई फीस के वितरण के बारे में किसी भेदभाव की अनुमति नहीं प्रदान करती है।

अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अधिकारों के प्रशासन से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों को कर सकती है–

(1) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं अधिकारों की बाबत धारा 30 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करना।

(2) ऐसी अनुज्ञप्तियों के अनुसरण में फीस का संग्रह करना।

(3) अपने स्वयं के व्ययों के लिये कटौती करने के पश्चात् रचयिताओं और अन्य अधिकार के स्वामियों में ऐसी फीस का वितरण करना।

(4) अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों के अधीन कोई अन्य कार्य करना, जैसे–फीस के संग्रह और वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के बारे में ऐसे रचयिताओं और अन्य अधिकार के स्वामियों से अनुमोदन प्राप्त करना; फीस के रूप में संग्रह की गई रकमों का, रचयिताओं और अन्य अधिकार के स्वामियों को वितरण करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये, उपयोग करने के लिये उनका अनुमोदन प्राप्त करना; और ऐसे रचयिताओं और अन्य अधिकार के स्वामियों को उनके अधिकारों के प्रशासन के सम्बन्ध में अपने सभी क्रियाकलापों की नियमित, पूर्ण और विस्तृत जानकारी देना।

रचयिताओं और अन्य अधिकार के स्वामियों को फीसें उनकी कृतियों के वास्तविक उपयोग के अनुपात में वितरित की जाती हैं।

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी पर रचयिता एवं अन्य अधिकारों क स्वामी द्वारा नियन्त्रण
(Control over the copyright by the author and other owner of rights)

अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अनुसार, प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उन रचयिताओं एवं अन्य अधिकारों के स्वामियों के सामूहिक नियन्त्रण के अधीन होती है। जिनके अधिकार वह प्रशासित करती है और ऐसी रीति से जो विहित की जाये–

(क) शुल्क के संग्रहण और वितरण की अपनी प्रक्रिया के लिये रचयिताओं एवं अन्य अधिकारों के स्वामियों का अनुमोदन प्राप्त करती है।

(ख) शुल्क के रूप में संगृहीत किन्हीं रकमों का, रचयिताओं एवं अन्य अधिकारों के स्वामियों को वितरण करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये, उपयोग करने के बारे में उनका अनुमोदन प्राप्त करती है।

(ग) ऐसे रचयिताओं एवं अन्य अधिकारों के स्वामियों को उनके अधिकारों के प्रशासन के सम्बन्ध में अपने सभी क्रियाकलापों से सम्बन्धित नियमित, पूर्ण और विस्तृत जानकारी देती है।

अधिनियम का यह प्रावधान ऐसे रचयिताओं एवं अन्य अधिकारों के स्वामियों में वितरित सभी शुल्क, जहां तक हो सके, उनकी कृतियों के वास्तविक उपयोग के अनुपात में वितरित किये जाने का प्रावधान है।

धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा शासी निकाय के गठन का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी प्रशासन के प्रयोजन के लिये एक शासी निकाय का गठन करती है जिसमें सोसाइटी के सदस्य रचयिताओं और अन्य अधिकारों के स्वामियों में से समान संख्या, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, में व्यक्ति निर्वाचित होते हैं।

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य समान सदस्यता अधिकार रखते हैं और रायल्टी के वितरण में रचयिताओं एवं अन्य अधिकार स्वामियों में विभेद नहीं किया जाता है।

विवरणियों आर रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना
(Submission of Returns and Reports)

अधिनियम की धारा 36 के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के समक्ष सोसाइटी से सम्बन्धित विवरणियाँ विहित प्रारूप में प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में नियुक्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी इस बात का समाधान करने के लिये कि सोसाइटी द्वारा प्रशासित अधिकारों के सम्बन्ध में उसके द्वारा संग्रह की गई फीसों का उचित रूप से उपयोग या वितरण किया जा रहा है, किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी से रिपोर्ट या अन्य किसी सम्बन्धित अभिलेख को निरीक्षण हेतु मंगा सकता है।

लेखा और संपरीक्षा
(Accounts and Audit)

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखती है और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करती है। केन्दीय सरकार से प्राप्त संदायों के सम्बन्ध में हुये खर्चों का भुगतान प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा किया जाता है।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के या उसके द्वारा इस बारे में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के वे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होते हैं जो नियंत्रक महालेखा परीक्षा के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में होते हैं और उसे विशेष तौर पर बहियाँ, लेखे और अन्य दस्तावेज तथा कागज–पत्र पेश किये जाने की मांग करने और संपरीक्षा के प्रयोजन के लिये प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होता है।

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के अधिकार एवं दायित्व
(Rights and Liabilities of Perfoming Rights Societies)

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के सम्बन्ध में किन्हीं अधिकारों या दायित्वों या ऐसे किन्हीं अधिकारों या दायित्वों के सम्बन्ध में लंबित किसी विधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार

(INTERNATIONAL COPYRIGHT)

प्रतिलिप्यधिकार को विदेशी कृतियों पर विस्तारित करने की शक्ति
(Power to extend copyright to foreign works)–

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 की धारा 40 के अनुसार सब या कोई उपबन्ध के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी,

(क) भारत के बाहर किसी राज्य क्षेत्र में, जिससे आदेश सम्बद्ध है प्रथम बार प्रकाशित कृतियों को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वे भारत के अन्दर प्रथम बार प्रकाशित की गई हो।

(ख) ऐसी अप्रकाशित कृतियों या उनके किसी वर्ग को, जिनके रचयिता कृति के बनाए जाने के समय किसी ऐसे विदेश के प्रजाजन या नागरिक थे, जिससे आदेश सम्बद्ध है, उसी प्रकार लागू होंगे मानो वे रचयिता भारत के नागरिक रहें हों।

(ग) भारत के बाहर किसी राज्य क्षेत्र में, जिससे आदेश सम्बद्ध है, अधिवास की बावत उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह अधिवास भारत में हो।

(घ) किसी ऐसी कृति को, जिसका रचयिता उसके प्रथम बार प्रकाशन की तारीख को, या उस दशा में जिसमें रचयिता उस तारीख को मर चुका था, अपनी मृत्यु के समय ऐसे विदेश का प्रजाजन या नागरिक था, जिससे आदेश सम्बद्ध है, उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह रचयिता उस तारीख को या उस समय भारत का नागरिक रहा हो। और तब इस अध्याय के और आदेश के उपबन्धों के अध्यधीन यह अधिनियम तद्नुसार लागू होगा परन्तु यह कि–

(1) किसी विदेश के सम्बन्ध में (जो ऐसे देश से भिन्न है, जिसके साथ भारत ने कोई संन्धि की है या जो प्रतिलिप्यधिकार से सम्बद्ध ऐसे अभिसमय का पक्षकार है, जिसका भारत भी पक्षकार है) इस धारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार अपना समाधान कर लेगी कि उस विदेश ने ऐसे उपबन्ध, यदि कोई हो, जैसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रतिलिप्यधिकार की हकदार कृतियों के उस देश में संरक्षण के लिए अपेक्षित करना केन्द्रीय सरकार की राय में समीचीन प्रतीत हो, कर लिए हैं या करने का वचनबद्ध किया है।

(2) आदेश में यह उपबन्ध हो सकेगा कि इस अधिनियम के उपबन्ध या तो साधारणतया या कृतियों के ऐसे वर्गों या मामलो के ऐसे वर्गों के सबंध में जैसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, लागू होगी।

(3) आदेश में यह उपबन्ध हो सकेगा कि इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग ऐसी शर्तों और औपचारिकताओं की, यदि कोई हों, पूर्ति के आध्यधीन होगा जैसी आदेश द्वारा विहित की जाये।

(4) प्रतिलिप्यधिकार के स्वामित्व के बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में आदेश द्वारा ऐसे अपवाद और रूपान्तरण किए जा सकेंगे जैसा उस विदेश की विधि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रतीत हों।

(5) आदेश में यह उपबन्ध हो सकेगा कि यह अधिनियम या इसका कोई भाग आदेश के प्रारम्भ से पूर्व बनाई गई कृतियों को लागू नहीं होगा या कि वह अधिनियम या उसका कोई भाग आदेश के प्रारम्भ से पूर्व प्रथम बार प्रकाशित कृतियों को लागू नहीं होगा।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की कृतियों के बारे में उपबन्ध
(Provisions as to works of certain international organisations)

(1) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 41 में कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की कृतियों के बारे में निम्न उपबन्ध किए गए हैं–कि जहाँ,

(a) कोई कृति किसी ऐसे संगठन के द्वारा जिसको यह धारा लागू होती है या उसके निर्देश या नियन्त्रण के अधीन बनाई जाती है, या प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, और

(b) उस कृति, के यथास्थिति, बनाए जाने या प्रथम बार प्रकाशन के समय भारत में कोई प्रतिलिप्यधिकार इस धारा से पृथक रूप में नहीं होगा, और

(c) (i) कृति का यथापूर्वोक्त प्रकाशन रचयिता के साथ उस निमित किये गये यथापूर्वोक्त प्रकाशन रचयिता के साथ उस निमित्त किये गये किसी ऐसे करार के अनुसरण में किया जाता है, जो कृति में किसी प्रतिलिप्यधिकार को, यदि कोई हो, रचयिता के लिये आरक्षित नहीं करता है।

(ii) धारा 17 के अधीन कृति में कोई प्रतिलिप्यधिकार उस संगठन में होगा, वहाँ इस धारा के आधार पर उसे उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार समस्त भारत में होगा।

(2) किसी संगठन को जिसको यह धारा लागू होती है और जिससे सम्बद्ध समय पर निगमित निकाय का विधिक सामर्थ्य नहीं था, प्रतिलिप्यधिकार को धारण, व्यवहृत और प्रवर्तित करने के प्रयोजनों के लिए तथा प्रतिलिप्यधिकार के सम्बन्ध में सब विधिक सामर्थ्य होगा और सब सम्बद्ध समयों पर हुआ समझा जायेगा।

(3) जिन संगठनों को यह धारा लागू होती है ये वे संगठन हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे संगठन घोषित करे जिनके एक या अधिक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य या उनकी सरकारें सदस्य हैं और जिनके बारे में यह समीचीन है कि वह धारा लागू हो।

(ख) विदेशी रचयिताओं की कृतियों में अधिकारों को निर्बन्धित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति
(Powers of central government to restrict in works's foreign authors)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 42 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है, कि कोई विदेश भारतीय रचयिताओं की कृति को यथोचित संस्था नहीं देता है, या उसने वैसा करने का वचनबद्ध नहीं किया तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध जो भारत में प्रथम बार प्रकाशित कृतियों को प्रतिलिप्यधिकार प्रदत्त करते हैं, आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात प्रकाशित ऐसी कृतियों को लागू नहीं होंगे जिनके रचयिता ऐसे विदेश के प्रजाजन या नागरिक हैं और भारत में अधिवासित नहीं हैं और उपबन्ध ऐसी कृतियों को लागू नहीं होंगे।

(ग) विदेशी ब्राडकास्टिंग संगठनों और निष्पादकों के अधिकारों को प्रतिबन्धित करने की शक्ति
(Power to restrict right of foreign broadcasting organizations and performer)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 42 (A) में यह प्रावधान किया गया है कि, यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी दूसरे देश ने ब्राडकास्टिंग संगठनों या निष्पादकों के अधिकारों को उपयुक्त संरक्षण प्रदान नहीं किया है, या प्रदान करने हेतु वचनबद्ध नहीं है, तो, केन्द्रीय सरकार, शासकीय गजट में प्रकाशित कर आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध जो ब्राडकास्टिंग संगठनों या निष्पादकों, जो ऐसे दूसरे देश में स्थित या नियमित है, या ऐसे दूसरे देश के अधीन है या नागरिक है और भारत में निगमित नहीं है या निवासी है, पर लागू होंगे और तदुपरान्त वे उपबन्ध ऐसे ब्राडकास्टिंग संगठनों या निष्पादकों पर लागू नहीं होंगे।

प्रतिलिप्यधिकार का पंजीकरण
(REGISTRATION OF COPYRIGHT)

प्रतिलिप्यधिकार का पंजीकरण
(Register of copyright)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 की धारा 44 के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय में एक रजिस्टर रखा रहता है, जिसे प्रतिलिप्यधिकारों का रजिस्टर कहा जाता है। इस रजिस्टर में कृतियों के नाम, या शीर्षक और रचयिताओं, प्रकाशकों

तथा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामियों के नाम और पते दर्ज किये जाते हैं प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में कृतियों के वर्ग के आधार पर निम्नलिखित भाग होते हैं–

(1) कम्प्यूटर प्रोग्राम,

(2) संगीतात्मक कृतियाँ,

(3) चलचित्र फिल्म,

(4) ध्वन्यंकन,

प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में प्रविष्ट्रियाँ
(Entriese in Register of copyright)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट किये जाते हैं–

(1) रजिस्ट्रीकरण संख्या,

(2) आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता,

(3) कृति के प्रतिलिप्यधिकार में आवेदक के हित की प्रकृति,

(4) कृति वर्ग और विवरण,

(5) कृति का शीर्षक,

(6) कृति की भाषा,

(7) रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि रचयिता की मृत्यु हो चुकी है। तो मृत्यु की तारीख,

(8) कृति प्रकाशित है अथवा अप्रकाशित,

(9) प्रथम प्रकाशन का वर्ष एवं देश तथा प्रकाशक का नाम, पता, और राष्ट्रीयता।

(10) पश्चात्वर्षी प्रकाशनों का वर्ष एवं देश, यदि कोई हो, तथा प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएँ,

(11) विभिन्न अधिकारों, जिसमें कृति में प्रतिलिप्यधिकार समाविष्ट है, के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएँ तथा समनुदेशनों और अनुज्ञप्तियाँ, यदि कोई हों, के विवरण के साथ प्रत्येक के द्वारा धारित अधिकारों का विस्तार।

(12) अन्य व्यक्तियों, यदि कोई हो, जो अधिकारों, जिसमें प्रतिलिप्यधिकार समाविष्ट है, का समनुदेशन और अनुज्ञापन करने के लिए प्राधिकृत हों, के नाम, पते और राष्ट्रीयताएँ।

(13) यदि कृति ''कलात्मक'' है तो मौलिक कृति की अवस्थिति और कृति जिस व्यक्ति के कब्जे में है, उसका नाम, पता और राष्ट्रीयता वस्तु कृति की दशा में कृति के पूर्ण होने के वर्ष का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

किसी कृति का रचयिता या प्रकाशक, अथवा उसमें प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी या अन्य हितबद्ध व्यक्ति, प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में उस कृति की विशिष्टियें को दर्ज करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार परिनियमावली, 1958 के नियम 16 के अधीन प्रारूप 4 के अनुसार परिनियमावली की द्वितीय अनुसूची में विहित फीस के साथ प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है।

कलात्मक कृति के सम्बन्ध में– यदि ऐसा कोई आवेदन कलात्मक कृति के बारे में किया जाता है, और यदि कलात्मक कृति का माल के सम्बन्ध मे उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है। साथ ही इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में निर्दिष्ट व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रार द्वारा दिया जाता गया प्रमाण–पत्र संलग्न किया जायेगा, कि कोई ऐसा व्यापार चिन्ह, जो ऐसी कलात्मक कृति के समरूप या इतना समान है कि धोखा हो जाए, आवेदक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के नाम में व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या उसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत के लिए व्यापार चिन्ह अधिनियम के अन्दर कोई आवेदन नहीं किया गया है।

आवेदक द्वारा रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से बीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है। रजिस्ट्रार को आवेदन में उल्लेखित विशिष्टयों के औचित्य का समाधान हो जाता है, तो वह प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में दर्ज करता है।

अनुक्रमणिकाएँ
(Indexes)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 216 के अनुसार, प्रतिलिपयधिकार कार्यालय में प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर की अनुक्रमणिकाओं को रखे जाने की व्यवस्था की जाती है। प्रतिलिप्यधिकार परिनियमावली, 1958 के नियम 18 के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्टर के प्रत्येक भाग के लिए निम्नलिखित अनुक्रमणिकाएँ रखी जाती हैं–

(1) सामान्य रचयिता अनुक्रमणिका,

(2) सामान्य शीर्षक अनुक्रमणिका,

(3) प्रत्येक भाषा में कृतियों के रचयिता की अनुक्रमणिका,

(4) प्रत्येक भाषा में कृतियों के शीर्ष की अनुक्रमणिका,

कोई भी व्यक्ति ऐसे रजिस्टर या अनुक्रमणिकाओं की नकल या उनके उद्धरण विहित फीस का भुगतान करते हुए प्राप्त कर सकता है।

प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर का साक्षिक महत्व
(Evidentiary Value of register)

प्रतिलिप्यधिकारों का रजिस्टर उसमें दर्ज प्रविष्टियों यथा–कृतियों के नाम, शीर्षक, रचयिताओं, प्रकाशकों तथा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामियों के नाम, पते आदि का प्रथम दृष्टता साक्ष्य होता है। अधिनियम की धारा 48 के अनुसार रजिस्टर की किन्हीं प्रविष्टियों की नकलें या उसमें से उद्धरण से सम्बन्धित दस्तावेज, जो प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय द्वारा मुद्रांकित होती है, सभी न्यायालयों में अतिरिक्त सबूत या मूल की पेशी के बिना साक्ष्य में ग्राह्य होती है।

प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में प्रविष्टियों का संसोधन
(Correction of entries in the register)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 49 के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में किसी नाम, पता या विशिष्ट में किसी गलती को या ऐसी गलती जो आकस्मिक भूल या लोप से हो, गई हो को ठीक से करके संसोधन या परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है।

प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में की प्रविष्टियो, आदि का प्रकाशन
(Publication of entries in the register of copyright)

अधिनियम की धारा 50 (क) के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में की गई प्रत्येक प्रविष्टि या प्रविष्टि कृति या प्रविष्टियाँ, प्रविष्टि की शुद्धि या प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा रजिस्टर का परिशोधन प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा राजपत्रों या ऐसी अन्य रीति से, जैसी वह उचित समझे प्रकाशित किया जाता है।

प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन

(INFRINGEMENT OF COPYRIGHT)

रचयिता के प्रतिलिप्यधिकार को विधिक मान्यता एवं संरक्षण देने का उद्देश्य उसकी कृति को संरक्षण देना है जिससे कि वह और आगे अपनी रचनात्मक सामर्थ्य का उपयोग करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। प्रतिलिप्यधिकार अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को कृति को भौतिक आकार में पुनरूत्पादित करने, कृति को इलेक्ट्रानिक माध्यमों में संचित करने, कृति को प्रकाशित करने, जनता में कृति को प्रस्तुत एवं प्रदर्शित करने और इसके भाषान्तरों एवं अनुकूलनों के बारे में अनन्य (exclusive) अधिकार प्रदान करना है। ये सभी अधिकार प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को आर्थिक लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं और अधिकृत करते हैं। यदि उपर्युक्त कार्य कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वामी की सम्मति या अनुज्ञप्ति के बिना किये जाते हैं या उसका किया जाना प्राधिकृत किया जाता है तो इसे प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कहा जाता है।

प्रतिलिप्यधिकार एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये प्रदान किया जाता है। अतिलंघनकारी कृत्य का निर्धारण इस बात पर निर्भर होता है कि कृति में प्रतिलिप्यधिकार समाप्त हो जाता है तो कृति सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र (public domain) में चली जाती है और रचयिता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उस कृति का पुनरूत्पादन, प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण आदि अतिलंघन नहीं माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, लेखक द्वारा एक पुस्तक वर्ष 1910 में लिखी गई थी। उसकी मृत्यु वर्ष 1935 में हो गई। उस पुस्तक को अन्य व्यक्ति द्वारा वर्ष 2001 में पुनरूत्पादित किया जाता है। यहां पर उस पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि साहित्यिक कृति में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि रचयिता/लेखक की मृत्यु के पश्चात् साठ वर्ष तक होती है।

अतिलंघनकारी कृत्य
(Infringing acts)

प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व विभिन्न प्रकार की कृतियों, यथा–

(1) साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक।

(2) चलचित्र फिल्म।

(3) ध्वन्यंकन में होता है इसलिये अतिलंघनकारी कृत्य कृतियों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन को कृतियों की प्रकृति के आधार पर नहीं, बल्कि सामान्य तौर पर परिभाषित किया गया है। धारा 51 के अनुसार, किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन निम्नलिखित दशाओं में हुआ समझा जाता है–

(क) जब कोई व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति के बिना या ऐसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति के बिना या ऐसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों का अथवा इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किसी शर्त का उल्लंघन करते हुये–

(1) कोई ऐसी बात करता है जिसे करने का अनन्य अधिकार प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को प्रदान किया गया है, या

(2) किसी स्थान का उपयोग, उस कृति को सार्वजनिक रूप से संसूचित किये जाने के लिये, जबकि ऐसे संसूचित किये जाने से उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होता है, लाभ के लिए अनुज्ञात करता है, उस दशा के सिवाय जब वह नहीं जानता था और उसके पास यह विश्वास करने का समुचित आधार नहीं था कि सार्वजनिक रूप से ऐसा संसूचित किया जाना प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होगा।

(ख) जब कोई व्यक्ति उस कृति की अतिलंघनकारी प्रतियाँ–

(1) विक्रय या भाड़े के लिए बनाता है, या बेचता है या भाड़े पर देता है या व्यापार के तौर पर प्रदर्शित करता है या विक्रय या भाड़े के लिए प्रस्थापित करता है,

(2) व्यापार के प्रयोजन के लिए इतनी मात्रा में वितरित करता है जिससे प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है,

(3) व्यापार के तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है,

(4) भारत में आयात करता है।

धारा 51 के प्रयोजनों के लिए किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति, चलचित्र फिल्म के रूप में पुनरूत्पादन को अतिलंघनकारी प्रति समाजवादी यदि आयातकर्ता निजी और घरेलू उपयोग के लिए किसी कृति की एक प्रति का आयात करता है, तो अतिलंघन नहीं माना जाता है।

साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृतियों का प्रतिलिप्यधिकार अतिलंघन
(Infringement of Literary, Dramatic or Musical works)

साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृतियों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी की सम्मति या अनुज्ञप्ति के बिना निम्नकृत्यों को किया जाता है, या किया जाना प्राधिकृत किया जाता है, तो यह ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन समझा जायेगा–

(1) कृति को किसी पर्याप्त रूप में, जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक माध्यम में से किसी भी संचार माध्यम में उसका भण्डारण भी सम्मिलित है, पुनरूत्पादित करना।

(2) पहले से परिचालन (Circulation) में न होते हुए भी जनता को कृति की प्रतियाँ उपलब्ध कराना।

(3) कृति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना या उसे सार्वजनिक रूप से संसूचित करना।

(4) कृति के सम्बन्ध में कोई चलचित्र फिल्म बनाना या ध्वनि रिकार्डिंग करना।

(5) कृति का कोई भाषान्तर (Translation) तैयार करना।

(6) कृति का कोई अनुकूलन (Adaptation) करना।

(7) कृति के भाषान्तर या अनुकूलन के बारे में ऐसे कार्यों में से कोई कार्यकरना, जो कृति के सम्बन्ध में उपर्युक्त खण्ड (1) से (6) में वर्णित है।

(8) जनता को कृति संसूचित किये जाने के लिए लाभ हेतु किसी स्थान को प्रयोग में लाने की अनुमति प्रदान करना जहाँ ऐसी संसूचना कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन करती है। यदि अनुमति देने वाला व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है, कि जनता में ऐसी संसूचना प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होगा तो वह अतिलंघन का दोष नहीं होता है।

(9) विक्रय करने या भाड़े पर देने के लिए कृति की अतिलंघनकारी प्रतियाँ बनाना या किराये पर देने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए अथवा विक्रय या भाड़े पर देने की प्रस्थापना करने के लिए कृति की अतिलंघनकारी प्रतियाँ बनाना।

(10) व्यापार के प्रयोजन के लिए या प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को हानिकर रूप से प्रभावित करने के लिए अतिलंघनकारी प्रतियों का वितरण करना।

(11) जनता को व्यापार के रूप में अतिलंघनकारी प्रतियाँ दिखाना।

(12) भारत में अतिलंघनकारी प्रतियों का आयात करना। यदि आयातकर्ता द्वारा निजी या घरेलू उपयोग के लिए कृति की एक प्रति का आयात किया जाता है तो यह अनुमन्य होता है।

(13) साहित्यिक कृति से सम्बन्धित कम्प्यूटर प्रोग्राम के बारे में उपर्युक्त कार्यों में से कोई कार्य करना या कम्प्यूटर प्रोग्राम की किसी प्रति का इस बात को ध्यान में लाए बिना कि ऐसी प्रति का पूर्वतर अवसरों पर विक्रय किया गया हे, या उसे भाड़े पर दिया गया है, विक्रय करना या उसे भाड़े पर देना अथवा विक्रय या भाड़े पर देने के लिए अतिलंघनकारी प्रतियाँ बनाना।

ईस्टर्न बुक कम्पनी बनाम नवीन जे. देसाई, के वाद में अभिनिर्धारित किया गया, कि अधिनियम की टीकाओं (Commentaries) में प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में होता है, यदि पूर्ण लेखांश शब्द उतार लिया गया है, तो प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन हो सकता है निर्णयों और प्रवर समिति (Select commitee) की रिपोर्ट में प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व नहीं होता है, लॉ रिपोर्ट्स AIR SCC आदि में प्रकाशित निर्णय सामान्य सम्पत्ति होते हैं और टीकाकारों द्वारा उनका उपयोग अतिलंघन नहीं होता है।

प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन न होने की परिस्थितियाँ
(Not amount to infringement of copyright)

यदि किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति के सम्बन्ध में पुनरूत्पादन, प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण आदि कार्यों को कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी की सम्मति या अनुज्ञप्ति के बिना किया जाता है या किया जाना प्राधिकृत किया जाता है तो कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन माना जाता है। अधिनियम के अन्तर्गत कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में प्रावधान किया गया है जब प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं होता है। वे परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं–

प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन न होना–

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 की धारा 52 के अनुसार निम्नलिखित कार्यों से प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं होगा,

(a) उचित प्रयोग सम्बन्धी कार्य–किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति का, जो कम्प्यूटर प्रोग्राम नहीं है, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उचित प्रयोग अतिलंघन नहीं माना जाता है,–

(1) निजी उपयोग या अनुसंधान।

(2) उस कृति का किसी अन्य कृति की समालोचना या समीक्षा।

(3) किसी समाचार–पत्र, पत्रिका या वैसी ही सामयिकों में सामयिक घटनाओं की रिपोर्टिंग।

(4) प्रसारण द्वारा या चलचित्र फिल्म में या फोटोग्राफ के माध्यम से सामयिक घटनाओं की रिपोर्टिंग।

विद्यार्थियों के निजी उपयोग के लिए परीक्षा के प्रश्न–पत्रों का संग्रह उत्तर सहित प्रकाशित करना प्रश्न–पत्रों का उचित प्रयोग नहीं माना जाता है [यूनिवर्सिटी ऑफ लन्दन प्रेस बनाम ट्यूवेरियल प्रेस, (1916) 2 च. 601]

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकट किये जाने पर गोपनीय जानकारी की समालोचना या समीक्षा के लिए प्रकाशन करना उचित प्रयोग नहीं है।[ब्रेल ऑफ बनाम प्रेस ड्राम (1973) ए. आई. आर. 24]

(b) पुनरूत्पादन सम्बन्धी कार्य

(क) किसी न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजन के लिए या किसी न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए पुनरूत्पादन करना।

(ख) विधान मण्डल के सचिवालय के द्वारा तैयार की गई किसी कृति साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक का पुनरूत्पादन या प्रकाशन जो विधान मण्डल के सदस्यों के उपयोग के लिए हो।

(ग) किसी विधि के अनुसार बनाई गई या प्रदाय की गई किसी प्रमाणित प्रति में किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का पुनरूत्पादन।

(घ) किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति का–

(1) किसी शिक्षक या विद्यार्थी द्वारा प्रशिक्षण के प्रक्रम में पुनरूत्पादन।

(2) किसी परीक्षा में उत्तर दिये जाने वाले प्रश्नों के भाग रूप पुनरूत्पादन।

(3) ऐसे प्रश्नों के उत्तरों के पुनरूत्पादन।

(ड़) किसी वास्तुकृति का रंगचित्र, रेखाचित्र, उत्कीर्णन या फोटोग्राफ बनाना या प्रकाशित करना अथवा किसी वास्तुकृति का प्रदर्शन करना।

(च) किसी मूर्ति या अन्य कलात्मक कृति का रंगचित्र, रेखाचित्र, उत्कीर्णन या फोटोग्राफ बनाना या प्रकाशित करना, यदि वह कृति किसी सार्वजनिक स्थान या परिसर में, जिसमें जनता की पहुँच है, स्थायी रूप से स्थित है।

(छ) किसी चलचित्र फिल्म में किसी ऐसी कलात्मक कृति को सम्मिलित करना जो सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य परिसर में, जिसमें जनता की पहुँच है, स्थायी रूप से स्थित है।

(ज) किसी चलचित्र फिल्म में किसी कलात्मक कृति को सम्मिलित करना।

(c) प्रस्तुतीकरण
(Performance)

यदि किसी शिक्षा संस्था के क्रियाकलाप के अनुक्रम में उस संस्था के कर्मचारिवृन्द और विद्यार्थियों के द्वारा किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक कृति या किसी चलचित्र फिल्म या किसी रिकार्ड का प्रस्तुतीकरण यदि दर्शक समूह ऐसे कर्मचारिवृन्द और विद्यार्थियों, विद्यार्थियों के माता–पिता और संरक्षकों तथा उस संस्था के क्रियाकलाप से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध व्यक्तियों तक सीमित है तो ऐसा प्रस्तुतीकरण प्रतिलिप्यधिकार में अतिलंघन नहीं माना जाता है।

इसी प्रकार किसी अव्यवसायी क्लब या सोसायटी द्वारा किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का प्रस्तुतीकरण, यदि ऐसा प्रस्तुतीकरण ऐसे दर्शकों के समक्ष किया जाता है जो उसके लिये कोई संदाय नहीं करता या किसी धार्मिक संस्था के फायदे के लिये किया जाता है, या किसी वास्तविक धार्मिक संस्कार के अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी सरकारी समारोह के दौरान साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का प्रस्तुतीकरण कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं माना जाता है। धार्मिक संस्कार के अन्तर्गत बारात और विवाह से सम्बन्धित अन्य सामाजिक उत्सव आते हैं।

कलात्मक कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन
(Infringement of copyright in artistic works)

कलात्मक कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व होता है। अधिनियम की धारा 2 (ग) के अनुसार, ''कलात्मक कृति'' से अभिप्रेत है–

(1) कोई रंगचित्र (painting), मूर्ति (sculpture), रेखाचित्र (drawing) जिसके अन्तर्गत आरेख (Diagram), मानचित्र, चार्ट या रेखांक (plan) भी है, कोई उत्कीर्णन या फोटोग्राफ, चाहे ऐसी कृति में कलात्मक गुण हो या न हो।

(2) कोई वास्तुकृति।

(3) कलात्मक शिल्पकारिता (artistic craftsmanship) की कोई अन्य कृति किसी कलात्मक कृति की दशा में, ऐसी कृति या उसके किसी पर्याप्त भाग के सम्बन्ध में उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी की सम्मति या उसकी अनुज्ञप्ति के बिना निम्नलिखित कार्यों में से किसी को किया जाता है या किया जाना प्राधिकृत किया जाता है तो उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन माना जाता है–

(1) कलात्मक कृति को किसी सारवान् रूप में पुनरूत्पादित करना, जिसके अन्तर्गत दो विमा वाली (two dimensional) कृति को तीन विमाओं में या तीन विमा वाली (three dimensional) कृति का दो विमाओं में चित्रण सम्मिलित है।

(2) कलात्मक कृति को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना।

(3) जनता को कलात्मक कृति की ऐसी प्रतियाँ उपलब्ध कराना, जो पहले से परिचालन (circulation) में नहीं है।

(4) कृति को किसी चलचित्र फिल्म में सम्मिलित करना।

(5) कलात्मक कृति का कोई अनुकूलन करना।

(6) कृति के अनुकूलन के सम्बन्ध में ऐसे कार्यों में से कोई कार्य करना जो कृति के सम्बन्ध में उपर्युक्त खण्ड (1) से उपखण्ड (4) में विनिर्दिष्ट है।

(7) कलात्मक कृति की अतिलंघनकारी प्रतियाँ विक्रय करने या उसे भाड़े पर देने के लिये बनाना या विक्रय करना या उसे भाड़े पर देना अथवा विक्रय या भाड़े पर देने की प्रस्थापना करना;

(8) व्यापार के प्रयोजन के लिये अतिलंघनकारी प्रतियों को इतनी मात्रा में वितरित करना, जिससे प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(9) व्यापार के तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना; और

(10) भारत में आयात कना। यदि आयातकर्ता निजी या घरेलू उपयोग के लिये कृति की एक प्रति का आयात करता है तो अतिलंघन नहीं माना जाता है।

ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन
(Infringement of copyright in sound recording)

अधिनियम की धारा 2(भभ) के अनुसार, ''ध्वन्यंकन'' से ऐसा ध्वन्यंकन अभिप्रेत है जिससे ऐसी ध्वनियाँ, इस बात को ध्यान में लाए बिना उत्पादित की जा सकें कि ऐसा ध्वन्यंकन किस संचार माध्यम द्वारा किया जाता है या वह पद्धति क्या है जिसमें ध्वनियाँ उत्पादित की जाती हैं।

ध्वन्यंकन का निर्माता उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी होता है। ध्वन्यंकन के सम्बन्ध में ''निर्माता'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृति तैयार करने में पहल करता है और ऐसा करने का उत्तरदायित्व लेता है। ध्वन्यंकन की दशा में, प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी की सम्मति या अनुज्ञप्ति के बिना ध्वन्यंकन या उसके किसी पर्याप्त भाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यों में से किसी को करने या उसका किया जाना प्राधिकृत करने को ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन माना जाता है।

(1) कोई ऐसी बात करना जिसे करने का अनन्य अधिकार ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को प्राप्त है।

(2) ध्वन्यंकन को सन्निविष्ट करने वाला कोई अन्य ध्वन्यंकन करना।

(3) ध्वन्यंकन की किसी प्रति का इस बात को ध्यान में लाए बिना कि ऐसी प्रति का पूर्वतर अवसरों पर विक्रय किया गया है या उसे वाणिज्यिक किराये पर दिया गया है, विक्रय करना या उसे वाणिज्यिक किराये पर देना, अथवा विक्रय या वाणिज्यिक किराये पर देने की प्रस्थापना करना।

(4) ध्वन्यंकन को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना।

(5) जनता को कृति संसूचित किये जाने के लिये लाभ हेतु किसी स्थान को प्रयोग में लाने की अनुमति प्रदान करना, जहाँ ऐसी संसूचना ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन करती है। यदि अनुमति प्रदान करने वाला व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है कि जनता को ऐसी संसूचना प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होगा जो वह अतिलंघन का दोषी नहीं होता है।

(6) ध्वन्यंकन को विक्रय या वाणिज्यिक किराये के लिये बनाना या विक्रय करना या वाणिज्यिक किराये पर देना या व्यापार के तौर पर प्रदर्शित करना या विक्रय या वाणिज्यिक किराये के लिये प्रस्थापना करना।

(7) व्यापार के प्रयोजन के लिये ध्वन्यंकन की अतिलंघनकारी प्रतियों इतनी मात्रा मे वितरण करना जिससे प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(8) व्यापार के तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना।

(9) भारत में अतिलंघनकारी प्रतियाँ आयात करना। ध्वन्यंकन की एक प्रति का निजी एवं घरेलू उपयोग के लिये आयात करना अतिलंघन नहीं होता है।

किसी ध्वन्यंकन के सम्बन्ध में, उसी ध्वन्यंकन को सन्निविष्ट करने वाला कोई अन्य ध्वन्यंकन, जो किसी भी माध्यम से तैयार किया जाता है, अतिलंघनकारी प्रति होता है। रिकार्ड किये गये विषय–वस्तु में प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व होता है। ध्वन्यंकन किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का हो सकता है। यदि ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी की सम्मति या अनुज्ञप्ति के बिना ध्वन्यंकन किया जाता है तो उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होता है और ऐसा ध्वन्यंकन अतिलंघनकारी कृति कहा जाता है।

अपवाद
(Exceptions)

अधिनियम के अन्तर्गत ध्वन्यंकन के उचित प्रयोग के बारे में प्रावधान नहीं दिया गया है इसलिए भले ही निजी अध्ययन या अनुसंधान के प्रयोजन के लिये रिकार्डिंग की प्रति बनायी जाए, यह ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होता है। निम्नलिखित दशाओं में ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं होता है–

(1) ध्वन्यंकन का, उसके उपयोग द्वारा ऐसे आवासिक (residential) परिसर में, निवासियों के सामान्य उपयोग के लिये तात्पर्यित किसी संलग्न कमरे या हाल में, जो होटल या वाणिज्यिक स्थापना नहीं है, अनन्यतः या मुख्यतः वहां के निवासियों के लिये उपलब्ध करायी गई सुख–सुविधाओं के भाग के रूप में सार्वजनिक रूप से सुनवाना; और

(2) किसी क्लब या वैसे ही संगठन के, जो लाभ के लिये स्थापित या संचालित नहीं है, क्रियाकलाप के भाग के रूप में सार्वजनिक रूप से सुनवाना।

ध्वन्यंकन का निजी उपयोग ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं होता है। प्रसारण अधिकारी यदि किसी रिकार्डिंग का प्रमारण करना चाहते हैं तो उन्हें रिकार्डिंग कम्पनी से, जो सामान्यतः ध्वन्यंकन में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी होती है, उस प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक होता है। रिकार्डिंग का रूपान्तर (version of recording) एक प्रकार का ध्वन्यंकन होता है जिसमें जनता को पहले से ही उपलब्ध गाने को पृथक संगीतकारों और विन्यासकों (Arrangers) द्वारा अलग–अलग आवाजों में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार रिकार्डिंग का रूपान्तर न तो प्रतिलिप्यधिकार होता है और न ही पुनरूत्पादन।

इन्टरनेट पायरेसी
(Internet Piracy)

प्रतिलिप्यधिकार एक विधिक अधिकार है जिसके द्वारा प्रतिलिप्यधिकार स्वामी की अनुमति के बिना किसी अन्य के द्वारा उसकी मौलिक कृतियों के पुनरूत्पादन, प्रस्तुतीकरण, संसूचना, अनुकूलन आदि को वर्जित किया जाता है। प्रतिलिप्यधिकार विधि कृति के रचयिता को उसकी किसी कृति या उसके पर्याप्त भाग के सम्बन्ध में पुनरूत्पादन, कृति की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने, प्रस्तुतीकरण, संसूचना, भाषान्तर, अनुकूलन, चलचित्र फिल्म बनाने या ध्वन्यंकन करने या

उसका किया जाना प्राधिकृत करने का अनन्य अधिकार प्रदान करती है। ये सभी अधिकार कंप्यूटर प्रोग्राम की दशा में रचयिता को उपलब्ध हैं। साथ ही साथ किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की दशा में रचयिता को कंप्युटर प्रोग्राम की किसी प्रति का इस बात को ध्यान में लाए बिना कि ऐसी प्रति का पूर्वतर अवसरों पर विक्रय किया गया है या उसे भाड़े पर दिया गया है, विक्रय करने या उसे भाड़े पर देने, अथवा विक्रय या भाड़े पर देने की प्रस्थापना करने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। इन्टरनेट पायरेसी कंप्यूटर प्रोग्राम से सम्बन्धित है। भारत में कंप्यूटर साफ्टवेयर को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकार का संरक्षण प्राप्त है।

इन्टरनेट पायरेसी वास्तविक चोरी से भिन्न चोरी का एक रूप है जो अधिकृत साफ्टवेयर की अवैध प्रतियां बनाने एवं उनका वितरण करने के लिए इन्टरनेट के उपयोग से सम्बन्धित है। तकनीकी विकास विशेषकर वेब (web) ने इन्टरनेट पायरेसी में वृद्धि कर दी है। वेबसाइट बनाना सरल एवं वैध कारबार है। जिसके द्वारा अवैध और अनधिकृत साफ्टवेयर का पुनरूत्पादन, विज्ञापन और वितरण आदि किया जाता है। यह अधिकृत साफ्टवेयर के अवैध इलेक्ट्रानिक्स अन्तरण द्वारा घटित होती है। इसमें प्रतिलिप्यधिकार कृति को डिजिटल फारमैट में अन्तरित कर दिया जाता है और फिर कम्प्यूटर फाइल से अवैध प्रतियां तैयार की जाती हैं। दूसरे शब्द में प्रतिलिप्यधिकार से संरक्षित डिजिटल फाइल का विधि विरूद्ध पुनरूत्पादन और या वितरण इन्टरनेट पायरेसी कहा जाता है। इन्टरनेट पायरेसी म्यूजिक फाइल्स, वीडियो फिल्म, ई–बुक्स, साफ्टवेयर आदि के साथ की जाती है। अपराधियों द्वारा इन्टरनेट का उपयोग जाली साफ्टवेयर बनाने, इसके उपयोग, विज्ञापन, विक्रय, अर्जन एवं वितरण से सम्बन्धित कार्यों के लिए किया जाता है। इसे अधिक सरलता से और स्थान की दृष्टि से लम्बी दूरी तक कार्य किया जा सकता है।

आन लाइन साझा करने की तकनीकी ने मनोरंजन और साफ्टवेयर उद्योग के क्षेत्र में विश्वस्तर पर एक जटिल आपराधिक समस्या पैदा कर दी है। भारत में यह सम्स्या दिनोदिन गंभीर होती जा रही है।

इन्टरनेट असामान्य सरलता और विशुद्धता के साथ डिजिटल फारमैट में रखे साहित्यिक, कलात्मक, श्रव्य (audio) और दृश्य–श्रव्य (audio-visual) सामग्री के भण्डारण, पहचान और वितरण को सरल बनाता है। एक बार वेबसाइट पर लोड करने के बाद गुणवत्ता में किसी कमी के बिना सामग्री को बार–बार संप्रेषित किया जा सकता है जो किसी भी प्रतिलिप्यधिकार स्वामी के लिए नैतिक और आर्थिक दृष्टि से हानिकर होता है।

बहुत से उपभोक्ता जो इन्टरनेट पर साफ्टवेयर खरीदते हैं वास्तविक तौर पर उन कार्यक्रमों को नहीं प्राप्त कर पाते जिनके लिए वे कीमत चुकाते हैं। यदि उन्हें साफ्टवेयर के जाली होने की जानकारी हो जाती है। तब भी उन्हें कीमत वापस नहीं मिल पाती है।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार अतिलंघन की दशा में अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत सिविल उपचार और धारा 63 के अन्तर्गत दाण्डिक प्रावधान किया गया है। धारा 63 के अन्तर्गत दोषसिद्ध हो जाने पर अपराधी कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। अधिनियम की धारा 63ख कंप्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति का कंप्यूटर पर जानबूझकर किए गए उपयोग से सम्बन्धित है जहां कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति का कंप्यूटर पर जानबूझकरउपयोग करेगा। वह कारावास से जिसकी अवधि सात दिन से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा। इन्टरनेट पायरेसी के गंभीर परिणामों को देखते हुए यह दण्ड पर्याप्त एवं प्रभावी नहीं लगता है अतः कारावास की अवधि और जुर्माने में भारी बढ़ोत्तरी किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

आटोडेस्क इंक बनाम प्रशान्त देशमुख के वाद में न्यायालय ने प्रतिवादी पर वादी कम्पनियों, जो अमेरिका में रजिस्ट्रीकृत थीं, की अननुज्ञप्त (unlicensed)/पायरेटेड साफ्टवेयर का उपयोग करने पर दाण्डिक क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया ।

इन्टरनेट पायरेसी से निपटने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति और त्वरित निपटारे की व्यवस्था का प्रावधान आवश्यक है।

प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के विरूद्ध उपचार
(REMDIES AGAINST INFRINGEMENT OF COPYRIGHT)

जहाँ किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन किया जाता है, वहाँ प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को अधिनियम द्वारा निम्नलिखित तीन प्रकार के उपचार प्रदत्त हैं–

(1) सिविल उपचार।

(2) दांडिक उपचार।

(3) प्रशासनिक उपचार।

अधिनियम की धारा 54 के अनुसार ''प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी'' पद के अन्तर्गत निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं–

(क) कोई अनन्य अनुज्ञप्तिधारी; जहाँ पर कोई अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी और उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को, प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी सहित सभी अन्य व्यक्तियों का अपवर्जन करके, ऐसा कोई अधिकार प्रदत्त करती है जो किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार में समाविष्ट है तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को अनन्य अनुज्ञप्तिधारी कहा जाता है।

(ख) किसी अनाम या छद्मनाम वाली साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति की दशा में उस कृति का प्रकाशक जब तक कि रचयिताओं का वास्तविक परिचय अथवा ऐसी किसी अनाम संयुक्त रचयिताओं की कृति या ऐसे नामों से प्रकाशित जो सब छद्मनाम हों, संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में रचयिताओं में से किसी का वास्तविक परिचय रचयिता या प्रकाशक द्वारा सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं कर दिया जाता या उस रचयिता या उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को समाधान रूप से सिद्ध नहीं कर दिया जाता।

(i) सिविल उपचार

प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन की दशा में उपचार हेतु दावा प्रस्तुत करने का अधिकार अधिनियम की धारा 17 में यथा परिभाषित स्वामी को दिया गया है भावी स्वामी को नहीं। अधिनियम की धारा 55 के अनुसार, यदि किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन किया जाता है तो वहां प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी व्यादेश (injunction), नुकसानी (damages), लाभ लेखा (accounts of profit) या ऐसे सभी उपचारों का हकदार होता है जो अधिकार के अतिलंघन के लिये विधि द्वारा प्रदत्त है या प्रदत्त किये जाएं। इस प्रकार सिविल उपचार के अन्तर्गत व्यादेश, नुकसानी, लाभ लेखा और विधि द्वारा प्रदत्त अन्य उपचार, जैसे–अतिलंघनकारी प्रतियों की सुपुर्दगी, रूपान्तरण (conversion) के लिये नुकसानी आदि आते हैं।

यदि किसी लेखक की पुस्तक का, जिसमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है, किसी अन्य के द्वारा प्रकाशन, पुनरूत्पादन और विक्रय किया जाता है तो ऐसा लेखक सिविल उपचारों के अन्तर्गत निम्नलिखित का दावा कर सकता है–

(1) ऐसे अतिलंघन को रोकने के लिये व्यादेश।

(2) रकम के रूप में नुकसानी।

(3) लाभ–लेखा अर्थात् प्रतिवादी द्वारा अतिलंघनकारी प्रतियों के विक्रय द्वारा गलत तरीके से विनियोजित लाभ का हिसाब पाना।

(4) कृति के रूपान्तरण के लिये नुकसानी जब लेखक की सहमति के बिना उसकी कृति को नाटक में परिवर्तित करते हुये अतिलंघनकारी द्वारा मंचन किया जाता है।

परन्तु यदि प्रतिवादी यह साबित कर देता है कि अतिलंघन की तारीख को उसे यह ज्ञात नहीं था और उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं था कि उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है तो वादी अतिलंघन की

बाबत् व्यादेश और अतिलंघनकारी प्रतियों के विक्रय से प्रतिवादी को प्राप्त सम्पूर्ण लाभों की या उनके किसी भाग की जैसा की जैसा कि न्यायालय उन परिस्थितियों में उचित समझे बिक्री से भिन्न किसी उपचार का हकदार नहीं होता है।

एडीडास सालोमन ए. जी. एवं अन्य बनाम जगदीश ग्रोवर में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां वादी ''एडीडास'' (Adidas) व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी हैं, शब्द–चिह्न (Logo) के अतिरिक्त जूतों, परिधानों आदि पर तिपतिया (Trefoil) डिजाइन पर प्रतिलिप्यधिकार रखते हैं और प्रतिवादी जो कि परिधान का विनिर्माता और विक्रेता है, ने अनधिकृत और अवैध रूप से ''एडीडास'' व्यापार–चिह्न, शब्द–चिह्न और तिपतिया डिजाइन का असंदेही उपभोक्तओं को ठगने की दृष्टि से प्रयोग किया है इसलिए वादी स्थायी व्यादेश, सुपुर्दगी, लेखा देने के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की बिक्री के लिए अधिकृत है।

माइक्रोसाफ्ट कारपोरेशन बनाम योगेश पापट एवं अन्य के वाद में वादी एक विश्वविख्यात कम्प्यूटर साफ्टवेयर की उत्पादक कंपनी है। प्रतिवादी वादी द्वारा उत्पादित साफ्टवेयर अपने ग्राहकों को उसकी अनुमति के बिना डाउनलोड कर बेच रहा था। प्रतिवादी कम्प्यूटरों की बिक्री का कारबार करता था और कोई भी मान सकता है कि उसे इस बात का ज्ञान था कि बेचे जाने वाले उत्पाद अतिलंघनकारी प्रतियाँ हैं।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी ने वादी के प्रचालन प्रणाली साफ्टवेयर (operating systems software) की खुले तौर पर अवैध प्रतियाँ बनाते हुए उसके प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन किया है और वादी को अपने किसी भी साफ्टवेयर में प्रतिवादी द्वारा आगे किए जाने वाले बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अतिलंघन को रोकने के लिए व्यापक प्रभाव वाले व्यादेशों का अधिकार है। न्यायालय ने वादी को क्षतिपूर्ति और सुपुर्दगी (delivery-up) के लिए भी अधिकृत माना।

इंडियन परफार्मिंग सोसाइटी लि. बनाम ब्रांच मैनेजर, मुथूट फाइनेंस प्रा. लि. के वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी जिसे प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 33 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र प्राप्त है, प्रतिलिप्यधिकार स्वामियों के साथ करार कर सकता है जिसके अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त किन्हीं अधिकारों की बाबत अनुज्ञप्ति जारी करने या अनुदत्त करने का कोई कारबार प्रतिलिप्यधिकार स्वामियों की ओर से प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा किया जा सकता है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार सासाइटी किन्हीं अधिकारों के बारे में धारा 30 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति भी अनुदत्त कर सकता है, अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसरण में फीस भी एकत्र कर सकता है। प्रतिलिप्यधिकार स्वामियों के अधिकारों का संचालन प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी और उसके सदस्यों द्वारा करार के निबन्धनों के अनुसार किया जाता है। इसलिये रजिस्ट्रीकृत प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी प्रतिलिप्यधिकार स्वामियों का समनुदेशिती होने के कारण प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपचार की मांग कर सकता है।

(ii) न्यायालय की अधिकारिता
(Jurisdiction of Court)

अधिनियम की धारा 62 (1) के अनुसार, किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन या किसी अनय अधिकार के अतिलंघन के बारे में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक वाद या अन्य सिविल कार्यवाही अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय के समक्ष संस्थित किया जाना चाहिये। ''अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय'' के अन्तर्गत ऐसा जिला न्यायालय आता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर, उस वाद या अन्य कार्यवाही के लाए जाने के समय वह व्यक्ति जिसने वह वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित किया था या जहां एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हों, वहां उनमें से कोई वास्तव में और स्वेच्छया निवास करता है या कारबार चलाता है अथरवा अभिलाभ के लिए वैयक्तिक रूप से काम करता है।

अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) का उद्देश्य प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोकना नहीं है बल्कि ऐसा करने में किसी बाधा को हटाना है। धारा 62 (2) जिला न्यायालय को मात्र उन मामलों तक सीमित नहीं रखती है जिसकी अधिकारिता में वाद या कार्यवाही संस्थित करने वाला कोई व्यक्ति या जहाँ पर एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हों वहाँ उनमें से कोई वास्तव में और स्वेच्छया निवास करता है या कारबार चलाता है अथवा अभिलाभ के लिए वैयक्तिक रूप से काम करता है। यह न्यायालय की अधिकारिता के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 में अधिकथित सामान्य आधारों के अतिरिक्त आधार विहित करती है।

न्यायालय, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर वाद–हेतुक (cause of action) उत्पन्न हुआ है, को वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता होती है। वाद दाखिल करने की परिसीमा अवधि अतिलंघन की तारीख से तीन वर्ष

तक होती है। जहाँ पर वास्तविक तौर पर अतिलंघन न होकर, अतिलंघन की आशंका मात्र हो वहां आशंका व्यादेश (quia timet injunction) के लिये कार्यवाही संस्थित की जा सकती है।

प्रतिलिप्याधिकार के अतिलंघन में संयुक्त वाद (composite suit) ऐसे न्यायालय में पोषणीय नहीं होता है जिसकी अधिकारिता में वादी निवास करता है। संयुक्त वाद ऐसे न्यायालय को वाद ग्रहण करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा जिसके सम्बन्ध मं उसकी क्षेत्रीय या अन्य अधिकारिता नहीं है।

वाद के पक्षकार
(Parties to the suit)

सामान्य तौर पर कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी वादी होता है। किसी अनन्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी वादी के रूप में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। उन दशाओं में जहां पर सिविल वाद या अन्य कार्यवाही अनन्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संस्थित की जाती है, प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी या तो सह–वादी (co-plaintiff) होता है या प्रतिवादी होता है। जहाँ पर प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी प्रतिवादी बनाया जाता है वहाँ उसे अनन्य अनुज्ञप्तिधारी के दावे का विरोध करने का अधिकार होता है।

यदि अनन्य अनुज्ञप्तिधारी को कृति में प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के बारे में उसके द्वारा संस्थित वाद या अन्य कार्यवाही में सफलता प्राप्त हो जाती है तो प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा उसी वाद हेतु के बारे में कोई नया वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती है।

अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत अनन्य अनुज्ञप्तिधारी को भी प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के लिये उचित कार्यवाही संस्थित करने के लिये अधिकृत किया गया है। प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती को न सिर्फ समनुदेशित प्रतिलिप्यधिकार को संचालित करने के समस्त अधिकार दिये गये हैं बल्कि प्रतिलिप्यधिकार स्वामी द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारों को सुरक्षा भी प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया है।

अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, यदि किसी कृति में विभिन्न अधिकारों के स्वामी विभिन्न व्यक्ति होते हैं वहां ऐसे किसी अधिकार का स्वामी ऐसे अधिकार को व्यक्तिगत रूप में किसी वाद, अनुयोजन या अन्य कार्यवाही का पक्षकार बनाए बिना प्रवर्तित करा सकता है। इस प्रकार अतिलंघनकारी के विरूद्ध प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के बारे में निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित की जा सकती है–

(1) प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी या सह स्वामी द्वारा;

(2) प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती द्वारा;

(3) प्रतिलिप्यधिकार के वसीयती व्ययन (testamentary disposition) के मामले में वसीयतदार द्वारा;

(4) अनिवार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा;

(5) अनाम और छद्मनाम वाली कृतियों के मामले में प्रकाशक द्वारा; और

(6) अनन्य अनुज्ञप्तिधारी के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा।

प्रकिया
(Procedure)

प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन से सम्बन्धित वाद में न्यायालय की प्रकिया सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के सामान्य सिद्धान्तों द्वारा विनियमित होती है।

वाद के दौरान वादी द्वारा निम्नलिखित का स्थापित किया जाना अपेक्षित होता है–

(1) वह कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी है।

(2) जिस समय प्रतिवादी ने अतिलंघन कारित किया, उस समय कृति में प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में था।

(3) अभिकथित अतिलंघन की विशिष्टियाँ।

(4) प्रतिवादी द्वारा जो कुछ किया गया है उससे कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होता है।

(5) क्षति, जो उसके द्वारा सहन की गई है और सहन किया जाना संभव है, की प्रकृति।

प्रतिवादी द्वारा स्थापित किये जा सकने वाले बचाव निम्नलिखित हैं–

(1) कृति में प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में नहीं है।

(2) वादी वाद संस्थित करने के लिये अधिकृत नहीं है, क्योंकि वह प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी नहीं है।

(3) अभिकथित प्रतिलिप्यधिकार कृति मौलिक नहीं है, वह स्वयं में अतिलंघनकारी प्रति है।

(4) अभिकथित प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण का हकदार नहीं है क्योंकि वह अनैतिक, राजद्रोहात्मक या लोकनीति के विरूद्ध है।

(5) कृति प्रतिवादी की स्वतन्त्र कृति है और यह वादी के कृति की नकल नहीं है।

(6) प्रतिवादी का कार्य वादी की कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन नहीं करता है और यह अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपवादों के अधीन है।

(7) वाद परिसीमा द्वारा बाधित है।

(8) वादी विबन्ध (estoppel), अतिविलम्ब, सहमति या मौन अनुकूलता का दोषी है।

(9) अतिलंघन निर्दोष है, क्योंकि उसे यह ज्ञात नहीं था और न ही उसके पास विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार था कि कृति में प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है।

प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन से सम्बन्धित वाद में विवाद्यक विषय
(Issues in a suit for infringement of copyright)

कृति में प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन से सम्बन्धित वाद में निम्नलिखित विवाद्यक विषयों का अवधारण किया जाना आवश्यक होता है–

(1) क्या वादी वाद दाखिल करने के लिये अधिकृत है? यहाँ प्रतिलिप्यधिकार में उसका स्वामित्व अवधारित किया जाना चाहिये।

(2) क्या अभिकथित कृति में प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में था?

(3) क्या प्रतिवादी का कार्य कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन करता है?

(4) क्या प्रतिवादी का कार्य धारा 52 के अन्तर्गत अतिलंघन के अपवादों में आता है?

(5) क्या वादी उस उपचार का हकदार है जिसे वह वाद में चाहता है?

एन्टन पिलर आदेश
(Anton Piller Order)

ऐन्टन पिलर आदेश उन परिस्थितियों में आवश्यक हो जाता है जहां वादी और न्यायालय को इस बात की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है कि नियमित न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब का लाभ उठाते हुये प्रतिवादी सुसंगत अभिलेखों, वस्तुओं या वस्तुओं की प्रतियों को विनष्ट कर सकता है, जिससे न्याय के उद्देश्य विफल हो सकते हैं।

ऐन्टन पिलर बनाम मैन्यूफैक्चरिंग प्रासेसेज के वाद में कोर्ट आफ अपील ने एक ऐसी प्रक्रिया को स्वीकृत प्रदान की जो बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के स्वामियों के लिये काफी महत्वपूर्ण है। इस वाद में वादी ने पेटेन्ट्स काउन्टी कोर्ट के

समक्ष बंद कमरे में प्रतिवादी को सूचित किये बिना इस बात के बारे में एकपक्षीय (ex parte) आदेश पारित करने हेतु आवेदन किया कि वह प्रतिवादी को निर्देशित करे कि वह वादी को अपने सालिसिटर/अटर्नी के साथ उसके परिसर में प्रवेश करने, वस्तुओं एवं दस्तावेजों की जाँच करने, उनकी प्रतियाँ लेने या फोटो अभिगृहीत करने या उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिये हटाने की अनुमति प्रदान करे। ऐसा आदेश ऐन्टन पिलर आदेश कहा जाता है।

इस प्रकार का आदेश पारित करते समय साम्या (equity) के मूलभूत नियमों को गम्भीरता से लागू किया जाना चाहिये। न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश बहुत सावधानीपूर्वक पारित किया जाता है जब वादी के द्वारा अपने आवेदन में तात्विक तथ्यों को, जो उसके ज्ञान में है, को स्पष्टताः प्रकट कर दिया जाता है और न्यायालय उससे सहमत हो जाता है तो न्यायालय ऐन्टन पिलर आदेश जारी करता है।

वह भारत में एक सामान्य वाद में पारित किये जाने वाले एकपक्षीय वादकालीन आदेश के समान होता है जिसमें वादी द्वारा आवेदन किये जाने पर न्यायालय द्वारा उसे प्रतिवादी के परिसर में प्रवेश करने, निरीक्षण करने तथा उल्लंघन करने वाली वस्तुओं की सूची बनाने आदि के बारे में आदेश जारी किया जाता है।

वादी द्वारा न्यायालय को इस बात से सन्तुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, कि

(1) यह अतिलंघन का प्रथम दृष्ट्या (prima facie) गंभीर मामला है।

(2) अतिलंघन से होने वाली क्षति, वास्तविक या सम्भावित, अत्यन्त गंभीर है।

(3) इस बारे में स्पष्ट साक्ष्य है कि प्रतिवादी के कब्जे में सुसंगत दस्तावेज या वस्तुएं हैं और इस बात की पूरी सम्भावना है कि उन्हें नष्ट कर देगा।

विधिक कार्यवाहियों की धमकी
(Threat of Legal Proceedings)

विधिक कार्यवाहियों की निराधार धमकी क दशा में उपचार
(The Remedies in Case of groundless threat of legal proceedings)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 60 में विधिक कार्यवाहियों की निराधार धमकी की दशा में उपचार की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार, जहाँ किसी कृति में प्रतिलिपयाधिकार का स्वामी होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिलिप्यधिकार के अभिकथित अतिलंघन के बारे में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों या अभिकथित अतिलंघन के बारे में दायित्व की धमकी परिपत्रों, विज्ञापनों द्वारा या अन्यथा देता है, तो वहाँ ऐसी धमकी से व्यथित कोई व्यक्ति इस बारे में घोषणात्मक वाद (Declaratory suit) ला सकता है, कि ऐसी धमकियाँ देने वाले व्यक्ति के किन्हीं विधिक अधिकारों का अतिलंघन नहीं था, और इस प्रकार वाद संस्थित करते हुए वह–

(क) ऐसी धमकियों क जारी रहने के विरूद्ध अध्यादेश प्राप्त कर सकेगा।

(ख) ऐसी नुकसानी यदि कोई हो जो उसने ऐसी धमकियों के कारण उठाइ हो वसूल कर सकेगा।

परन्तु यदि धमकियाँ देने वाला व्यक्ति अपने द्वारा दावाकृत (Claimed) प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के लिए कार्यवाही सम्यक् तत्परता से प्रारम्भ करता है, और चलाता है, तो धारा 60 उस पर लागू नहीं होती है।

अतिलंघन के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही
(Criminal proceedings against infringement)

अधिनियम प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को अतिलंघनकारी के विरूद्ध सिविल उपचार के अतिरिक्त दाण्डिक कार्यवाही भी संस्थित करने के लिये अधिकृत करता है। सिविल उपचार और दाण्डिक कार्यवाही पृथक् एवं स्वतन्त्र हैं और प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा दोनों का उपयोग किया जा सकता है।

धारा 63 के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार का अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों के अतिलंघन के अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति कृति में प्रतिलिप्यधिकार का, या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार का जानबूझ कर अतिलंघन करता है या अतिलंघन दुष्प्रेरित करता है तो वह से कम छह माह और अधिक से अधिक तीन वर्ष तक के कारावास, और कम से कम पचास हजार रूपये और अधिक से अधिक दो लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

यदि प्रतिप्यिधिकार या अन्य अधिकारों का अतिलंघन व्यापार या कारोबार के अनुक्रम में अभिलाभ के लिये नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय इस सम्बन्ध में पर्याप्त और विशेष कारणों का निर्णय में उल्लेख करते हुये छह माह से कम की अवधि के कारावास या पचास हजार रूपये से कम के जुर्माने से दण्डित कर सकता है।

किसी भवन या अन्य संरचना का सन्निर्माण, जो किसी अन्य कृति में प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन करता है या यदि पूरा कर लिया जाए तो अतिलंघन होगा, इस धारा के अधीन अपराध नहीं होता है।

धारा 63 (क) के अनुसार, यदि अतिलंघनकारी को एक बार धारा 63 के अन्तर्गत दोष सिद्ध ठहराये जाने पर ऐसे अपराध के लिये पुनः दोषी सिद्ध ठहराया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिये कम से कम एक वर्ष और अधिक से अधिक तीन वर्ष तक के कारावास और कम से कम एक लाख और अधिक से अधिक दो लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। जहां पर द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध व्यापार या कारोबार के अनुक्रम में अभिलाभ के लिये नहीं किया जाता है वहाँ न्यायालय निर्णय में इस सम्बन्ध में पर्याप्त और विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए एक वर्ष से कम की अवधि का कारावास या एक लाख रूपये से कम के जुर्माने से दण्डित कर सकता है।

कम्प्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति का जानबूझ कर उपयोग
(Knowing use of infringing copy of computer programme)

अधिनियम की धारा 63 (ख) के अनुसार, यदि किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति का किसी व्यक्ति द्वारा कम्प्यूटर पर जान बूझकर उपयोग किया जाता है तो वह कम से कम सात दिन और अधिक से अधिक तीन वर्ष के कारावास, और कम से कम पचास हजार रूपये और अधिक से अधिक दो लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है लेकिन यदि ऐसा उपयोग व्यापार या कारबार के अनुक्रम में अभिलाभ के लिये नहीं किया गया है तो न्यायालय निर्णय में इस सम्बन्ध में पर्याप्त और विशेष कारणों का उल्लेख करते हुये पचास हजार रूपये तक का जुर्माना कर सकता है। ऐसे मामले में कारावास से दण्डित करने का प्रावधान नहीं है।

अतिलंघनकारी प्रतियाँ अभिगृहीत करने की पुलिस की शक्ति
(Power of police to seize infringing copies)

धारा 64 के अनुसार, यदि किसी पुलिस अधिकारी को, जो उपनिरीक्षक के रैंक से निम्नतर रैंक का नहीं है, यह समाधान हो जाता है कि किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का जान बूझकर अतिलंघन किया जा रहा है या अतिलंघन दुष्प्रेरित किया जा रहा है या किया जाना सम्भाव्य है तो वह उस कृति की सभी प्रतियाँ को और उन सभी प्लेटों को, जो कृति की अतिलंघनकारी प्रतियाँ बनाने के लिये प्रयुक्त की जाती है, वारण्ट के बिना अभिगृहीत कर सकता है। इस प्रकार अभिगृहीत सभी प्रतियाँ और प्लेटें, यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जानी चाहिये।

प्लेट के अन्तर्गत कोई स्टीरियो टाइप या अन्य प्लेट, पत्थर, ब्लाक, सांचा, मैट्रिक्स, अंतरक, निगेटिव (अनुलिपिकरण उपस्कर) या अन्य युक्ति आती है, जो किसी कृति के मुद्रण या उसकी प्रतियां पुनर्उत्पादित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित है तथा कोई मैट्रिक्स या अन्य साधित्र (appliance) जिससे कृति की श्रव्य प्रस्तुति के लिए ध्वन्यंकन बनाए जाते हैं या बनाए जाने आशयित हैं।

इस प्रकार पुलिस द्वारा अभिगृहीत प्रतियों या प्लेटों में हित रखने वाला व्यक्ति ऐसे अभिग्रहण के पन्द्रह दिन के भीतर उन्हें उसका लौटाए जाने के लिये मजिस्ट्रेट आवेदक और परिवादी को सुनने तथा आवश्यक जाँच के पश्चात् आवेदन पर उचित आदेश देता है।

धारा 65 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी कृति की, जिसमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है, अतिलंघनकारी प्रतियाँ बनाने के प्रयोजन के लिये जानबूझकर कोई प्लेट बनाता है या उसे अपने कब्जे में रखता है तो वह दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

रचयिता के विशेष अधिकार
(Author special Rights)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 57 के उपबन्धानुसार, प्रतिलिप्यधिकार कृति के रचयिता को निम्नलिखित विशेष अधिकार प्राप्त होता है–

(1) रचयिता होने का अधिकार– कृति का रचयिता होने का दावा करने का अधिकार।

(2) नुकसानी का दावा करने का अधिकार–कृति के सम्बन्ध में किसी विरूपण (Distortion), विकृति (Mutitation) और उपान्तरण (Modification) या किसी अन्य कार्य को, जो प्रतिलिप्यधिकार की अवधि समाप्त होने से पूर्व किया जाता है, यदि ऐसे विरूपण, विकृति, उपान्तरण या अन्य कार्य से उसकी प्रतिष्ठा या ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो अवरूद्ध करने या उनके बारे में नुकसानी का दावा करने का अधिकार होता है।

अपवाद (Exciption)–परन्तु रचयिता को ऐसे कम्प्यूटर प्रोग्राम के किसी अनुकूलन को जिस पर अधिनियम की धारा 52 (1) के खण्ड (क क) का उपबन्ध लागू होता है, अवरूद्ध करने या उसके बारे में नुकसानी का दावा करने के बारे में अधिकार नहीं होती है।

उसे रचयिता के लिए, समाधानप्रद रूप से सम्प्रदर्शित करना इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकारों का अतिलंघन नहीं समझा जाएगा।

प्रौद्योगिक उपायों का संरक्षण
(Protection of technological measures)

अधिनियम की धारा 65–क प्रौद्योगिक उपायों के संरक्षण के सम्बन्ध में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किन्हीं अधिकारों के संरक्षण हेतु उपयोग किये जाने वाले किसी प्रभावी प्रौद्योगिक उपाय का ऐसे अधिकारों का अतिलंघन करने के आशय से परिवंचना करता है। वह कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 65–क की उपधारा (2) के अनुसार इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से निवारित नहीं करेगी जो–

(क) ऐसे प्रयोजन के लिये किसी बात को करना जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्ततः प्रतिषिद्ध नहीं है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति जो किसी अन्य द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिये प्रौद्योगिक उपाय के प्रवंचना को सकार बनाता है ऐसे अन्य व्यक्ति का पूरा रिकार्ड रखेगा जिसमें उसका नाम, पता और ऐसे व्यक्ति की पहचान के लिये आवश्यक सभी विवरण और उस प्रयोजन के बारे में जिसके लिये मदद दी गयी है, सम्मिलित होगा।

(ख) विधिपूर्ण तरीके से प्राप्त कोडीकृत (Encrypted) प्रति का प्रयोग करते हुए कोडीकरण (Encryption) अनुसंधान संचालित करने के लिये किसी आवश्यक बात को करना।

(ग) किसी विधिपूर्ण अन्वेषण को संचालित करना; या

(घ) कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा के परीक्षण के प्रयोजन के लिये इसके स्वामी के अनुमोदन से किसी आवश्यक बात को करना।

(ड़) ऑपरेटर।

(च) प्रयोक्ता की पहचान या निगरानी के लिये आशयित प्रौद्योगिक उपयों को रोकने के लिये आवश्यक किसी बात को करना।

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक उपाय करना।

अधिकार प्रबन्ध जानकारी का संरक्षण
(Protection of Rights Management Information)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 65–ख अधिकार प्रबन्ध जानकारी के संरक्षण के बारे में प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (भ–क) के अनुसार, ''अधिकार प्रबन्ध जानकारी'' से अभिप्रेत है–

(क) कृति या प्रस्तुतीकरण की पहचान करने वाला शीर्षक या जानकारी;

(ख) रचयिता या प्रस्तुतकर्ता का नाम।

(ग) अधिकार स्वामी का नाम एवं पता।

(घ) अधिकारों के प्रयोग के बारे में निबन्धन और शर्तें।

(ड़) कोई संख्या या संकेत शब्द (Code) जो उपखण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट जानकारी का वर्णन करता है लेकिन किसी युक्ति (Device) या प्रक्रिया, जो प्रयोक्ता की पहचान के लिये आशयित है, को सम्मिलित नहीं करता है।

अधिनियम की धारा 65–ख के अनुसार, कोई व्यक्ति जो जान बूझकर–

(1) बिना प्राधिकार के किसी अधिकार प्रबन्ध जानकारी को हटाया है या परिवर्तित करता है।

(2) यह जानते हुये कि इलेक्ट्रॉनिक अधिकार प्रबन्ध जानकारी को बिना प्राधिकार के हटाया जा परिवर्तित किया गया है बिना प्राधिकार के किसी कृति या प्रस्तुतीकरण की प्रतियां वितरित कराता है, वितरण के लिये आयात करता है, प्रसारित करता है या सार्वजनिक रूप से संसूचित करता है, वह कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

मिथ्या कथन करने के लिये शास्ति
(Penalty for making false statement)

अधिनियम की धारा 67 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में कोई मिथ्या प्रविष्टि की जाती है या कराई जाती है, या ऐसा लेख बनाता है या बनवाता है जिसका प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि का नकल होना तात्पर्यित है, या किसी ऐसी प्रविष्टि या लेख को मिथ्या जानते हुये साक्ष्य के रूप में पेश करता है या कराता है, अथवा देता है या दिलवाता है तो वह एक वर्ष के कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित हो सकता है।

धारा 68 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्राधिकारी या अधिकारी को प्रवंचित करने या उस पर असर डालने के प्रयोजन से जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या व्यपदेशन किया जाता है तो उसे एक वर्ष तक के कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

धारा 52 (क) ध्वन्यंकन और वीडियो फिल्मों में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियों के बारे में उपबंध करती है। इसके अनुसार, कोई व्यक्ति किसी कृति की बाबत किसी ध्वन्यंकन को तभी प्रकाशित कर सकता है। जबकि उसके द्वारा ध्वन्यंकन में और उसके आधान (container) में निम्नलिखित विशिष्टयां संप्रदर्शित की गई हों–

(क) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसने ध्वन्यंकन बनाया है।

(ख) ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का नाम और पता।

(ग) उसके प्रथम प्रकाशन का वर्ष।

किसी व्यक्ति द्वारा किसी कृति की बाबत कोई वीडियो फिल्म तभी प्रकाशित की जा सकती है जबकि वीडियो फिल्म में, जब उसे प्रदर्शित किया जाता है, और वीडिया कैसेट या उसके आधान में निम्नलिखित विशिष्टयाँ प्रदर्शित की गई हों–

(क) यदि ऐसी कृति कोई चलचित्र फिल्म है जो प्रदर्शन के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित की जानी अपेक्षित है, तो ऐसी कृति की बाबत चलचित्र अधिनियम की धारा 5 (क) के अधीन फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा अनुदत्त प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) ऐसे व्यक्ति का नाम और पता जिसने वीडियो फिल्म बनाई है और उसके द्वारा यह घोषणा की कि उसने ऐसी वीडियो फिल्म बनाने के लिए ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से आवश्यक अनुज्ञप्ति या उसकी सहमति प्राप्त कर ली है।

(ग) ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का नाम और पता।

अधिनियम की धारा 68 (क) के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 52 (क) के उल्लंघन के लिये शास्ति के बारे में उपबंध किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ध्वन्यंकन और वीडियो फिल्मों में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टयों के सम्बन्ध में प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये ध्वन्यंकन या वीडियो फिल्म प्रकाशित की जाती है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास और अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाना उपबन्धित है।

कम्पनियों द्वारा अपराध
(Offences by companies)

यदि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है तो वहां वह व्यक्ति जो अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिये उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी अपराध के दोषी समझे जाते है और उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है। यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किये जाने का निवारण करने के लिये सम्यक् तत्परता बरती थी तो वह व्यक्ति दण्ड का भागी नहीं होता है।

यदि कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है और यह साबित हो जात है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जाता है तो वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाता है, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है और दण्डित किया जाता है।

कम्पनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी सम्मिलित है। फर्म के सम्बन्ध में उस फर्म का भागीदार निदेशक होता है।

अपराधों का संज्ञान
(Cognizance of offences)

इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे के न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(iii) प्रशासनिक उपचार
(Administrative remedies)

अधिनियम के अन्तर्गत विनियामक प्राधिकारी के रूप में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के नियुक्ति की व्यवस्था की गई है जो केन्द्रीय सरकार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन कार्य करता है। अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक कृत्यों का सम्पादन प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। यदि भारत में अतिलंघनकारी प्रतियों का आयात किया जा रहा है तो इसे रोकने के लिये प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार से प्रशासनिक उपचार प्राप्त किया जा सकता है।

अपील
(Appeal)

अपील सम्बन्धी प्रावधान
(Provisions related to Appeal)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अपील सम्बन्धी निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं–

(1) मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध अपील।

(2) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध अपील।

(3) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के आदेश के विरूद्ध अपील।

(1) मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध अपील
(Appeal Against Order of Magistrate)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 71 के अनुसार, अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) या धारा 66 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपील कर सकता है। अपील ऐसे न्यायालय में किया जाता है, जिसको आदेश देने वाले न्यायालय से अपीलें सामान्यतया की जाती हैं। अपीलीय न्यायालय अपील के निपटारे के लम्बित रहने तक आदेश के निष्पादन न होने का निर्देश दे सकती है।

(2) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध अपील
(Appeal Against Order of Copyright Registrar)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (4) के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के किसी अन्तिम विनिश्चिय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय की तारीख से तीन माह के अन्दर प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है।

(3) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के आदेश के विरूद्ध अपील
(Appeal against Order of Copyright Board)

अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (2) के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के किसी अन्तिम विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय की तारीख से तीन माह के भीतर उस उच्च न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता है, जिसकी अधिकारिता के अन्दर अपीलार्थी वास्तव में और स्वच्छया निवास करता है या कारोबार चलाता है, अथवा अभिलाभ के लिए वैयक्तिक रूप से कार्य करता है।

उपधारा (3) के अनुसार, अपील के लिए उपबन्धित तीन माह की अवधि की गणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जाता है। जो उस आदेश की प्रमाणित प्रति या उस विनिश्चय का अभिलेख, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, अनुदत्त करने में लगता है।

विविध
[Miscellaneous]

केन्द्रीय सरकार को प्राप्त शक्ति—प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 78 के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम की कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित विषयों पर नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है—

(क) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें।

(ख) अधिनियम के अधीन किये जाने वाले परिवादों और वादों का तथा अनुदत्त की जाने वाली अनुज्ञप्तियों का प्रारूप।

(ग) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के समक्ष किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

(घ) इस अधिनियम के अधीन संदेय किन्हीं स्वामित्वों का अवधारण करने की रीति और ऐसे स्वामित्वों के संदाय के लिए ली जाने वाली प्रतिभूति।

(ड़) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले प्रतिलिप्यधिकारों के रजिस्टर का प्रारूप और उसमें दर्ज की जाने वाली विशिष्टयों।

(च) ये बातें जिनके सम्बन्ध में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार और प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(छ) फीसें जो इस अधिनियम के अधीन सन्देह हों।

(ज) प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय के कारोबार का और इस अधिनियम द्वारा प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रर के निर्देशन या नियन्त्रण के अधीन रखी गई सब बातों का विनियमन।

इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् संसद के दोनों सदनों के समक्ष, जबकि वे सत्र में हों, कुल तीस दिन की अवधि के रखा जाता है, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है यदि सत्र या सत्रावसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होता है।

कॉपीराइट रजिस्ट्रार और कॉपीराइट बोर्ड को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियाँ प्राप्त होना—निम्नलिखित बातों के बारे में कॉपीराइट रजिस्ट्रार और कॉपीराइट बोर्ड को वे शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं, अर्थात—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य लेना।

(घ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(ड़) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी नकल की अपेक्षा करना।

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, कॉपीराइट रजिस्ट्रार या कॉपीराइट अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी।

कॉपीराइट रजिस्ट्रार और कॉपीराइट बोर्ड द्वारा पारित धन संदाय के आदेशों का बिकी के रूप में निष्पादित किया जाना—प्रत्येक आदेश जो किसी धन के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन कॉपीराइट रजिस्ट्रार या

कॉपीराइट बोर्ड द्वारा दिया गया हो या जो कॉपीराइट बोर्ड के ऐसे किसी आदेश के खिलाफ किसी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यथास्थिति, कॉपीराइट रजिस्ट्रार, कॉपीराइट बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र पर सिविल न्यायालय की बिक्री समझी जाएगी और वह उसी रीति से निष्पादनीय होगी जैसे मानों वह ऐसे न्यायालय की बिक्री हो।

निर्णीत वाद
[Case Law]

1. मगनलाल सवानी .....वादी

बनाम

रूपम पिक्चर (प्रा.) लि.....प्रतिवादी

उल्लेख–ए. आई. आर. 2000 बम्बई 416.

विषय–यह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 55 पर आधारित है। इस केस में प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के लिए सिविल उपचार पर प्रकाश डाला गया है।

तथ्य–वादी के अनुसार उसका फिल्म 'चुपके–चुपके' पर एकाधिकार है, वह उसके प्रतिलिप्यधिकार का भी एक मात्र मालिक है। अतः उस अकेले को ही फिल्म बेचने, दिखाने, प्रसारित करने का अधिकार है। उसको संविदात्मक क्षेत्रफल में टेलीविजन; स्टेलाइट टेलीविजन, केबिल टेलीविजन आदि पर दिखाने का अधिकार है। उसने प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा माँगी कि वह अथवा उसके एजेन्ट आदि को उक्त फिल्म 'चुपके–चुपके' दिखाने या प्रसारित करने से रोका जाये। प्रतिवादी नं.1 उक्त फिल्म का प्रोड्यूसर है प्रतिवादी नं. 1 तथा वादी नं. 1 के मध्य एक इकरारनामा दिनांकित 26–9–1973 को निष्पादित हुआ जिसके अन्तर्गत वादी नं. 1 को प्रतिवादी नं. 1 ने सभी प्रतिलिप्यधिकार समानुदेशित कर दिये थे उसके प्रतिफल में प्रतिवादी नं. 1 को 9 लाख रूपये प्रदान किये गये थे। वादी का कथन है कि प्रतिवादी नं. 1 ने अवैध रूप से उस फिल्म के वितरण या विदोहन के अधिकार अन्य व्यक्ति को समनुदेशित कर दिये थे।

प्रतिवादीगण ने दावे का प्रतिरोध किया उनका कथन था कि सेटेलाइट के द्वारा प्रसारण करने का अधिकार वादी को समनुदेशित नहीं किया गया था। उसने कथन किया कि सन् 1973 में जब इकरार नामा निष्पादित हुआ था। तब सेटेलाइट कार्यशील नहीं था। अतः वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ सेटेलाइट द्वारा प्रदर्शन के विरूद्ध 'स्ट' पाने का अधिकारी नहीं है। न्यायाधीशों ने इकरारनामे का अवलोकन किया तथा विचार प्रकट किया कि सेटेलाइट से भी प्रदर्शन करने को रोका गया था।

अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार, सिनेमेटोग्राफ फिल्म से किसी प्रकिया से, जिसमें किसी भी साधन द्वारा चलचित्र उत्पादित किया जाये, उत्पन्न किसी माध्यम पर दृश्यात्मक रिकार्डिंग की कोई कृति अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसी दृश्यात्मक रिकार्डिंग के साथ ध्वनि रिकार्डिंग भी शामिल है तथा सिनेमेटोग्राफ का अर्थ इस तरह लगाया जायेगा कि उसमें वीडियो फिल्मों सहित सिनेमेटोग्राफी के सदृश्य किसी प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कोई कृति भी शामिल है।

धारा 2(च) (च) इकरारनामे की परिधि में आती है अतः प्रतिवादी ने प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन किया है इस कारण वादी धारा 55 के अन्तर्गत अनुतोष पाने का अधिकारी है। न्यायालय वादी के तर्क से सहमत थे अतः वादी द्वारा मांगा गया 'स्टे' प्रदान किया गया।

2. मै. पी. एम. डीजल्स लि.....अपीलकर्त्ता

बनाम

मै. पटेल फ्यूल मार्सल इण्डस्ट्रीज.....उत्तरदाता

उल्लेख–ए. आई. आर. 1998 देहली 225.

विषय–यह केस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पर आधारित है।

तथ्य– इस दावे का वाद–कारण सन् 1982 में हुआ जबकि प्रतिवादी ने वयापार–चिन्ह 'Marshal' के पंजीकरण के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 23–7–82 को नोटिस भेजा। इस वाद का वाद–कारण फिर 16–09–83 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ने उसी माल के सम्बन्ध में व्यापार चिन्ह PFMA के पंजीकरण का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। वादी ने इसका विरोध किया। वादी ने उसी समय कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की, बल्कि विरोध प्रार्थना–पत्र के निस्तारण का इन्तजार करता रहा। बाद का वाद–कारण फिर 30–04–1988 को हुआ जबकि रजिस्ट्रार ने नं. 2 को व्यापार–चिन्ह PFMA देने से इन्कार किया। अन्तिम बार वारद का वाद–कारण जून 1989 में हुआ, जबकि प्रतिवादी ने कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अपना व्यापारिक नाम MARSHAL logo PFMA तथा PFMC आदि व्यापार चिन्हों पर रोक लगाने के लिए वाद प्रस्तत किया। यह दावा देहली मं किया गया। अधिनियम की धारा 62(2) के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार का विरोध किया गया।

वादी ने कथन किया कि देहली उच्च न्यायालय को अग्र तीन आधारों से दावा सुनने को क्षेत्राधिकार है–

1. कॉपीराइट की धारा 62 के अनुसार।

2. यह कि प्रतिवादी ने देहली में माल बेचने का पंजीकरण लिया था।

3. यह कि विवादित माल देहली न्यायालय की क्षेत्राधिकार सीमा में बेचा गया। धारा 62 के अनुसार,

(1) किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार के अतिलंघन की बाबत् इस अध्याय के अधीन उत्पन्न होने वाला प्रत्येक वाद या अन्य सिविल कार्यवाही, अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में लाई जायेगी।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ''अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय'' के अन्तर्गत ऐसा जिला न्यायालय होगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर, उस वाद या कार्यवाही के लाये जाने के समय वह व्यक्ति जो वाद या अन्य कार्यवाही लाया या अथवा जहाँ एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हों वहाँ उनमें से कोई वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार चलाता है अथवा अभिलाभ के लिए वैयक्तिक रूप से काम करता है।

न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रतिवाद पर निर्भर नहीं करता है जबकि वाद–पत्र के कथन न्यायालय का क्षेत्राधिकार निश्चित करते हैं। वादी ने अपने वाद–पत्र के मद नं. 30 में यह स्पष्ट लिखा है कि दिल्ली न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्दर प्रतिवादी ने व्यापार–चिन्ह का अतिलंघन करके माल बेचा है। की नकल की है। जिससे वादी के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन हुआ है। अतः अधिनियम की धारा 62(2) के प्राविधान लागू होते हैं।

न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अनुसार दावा किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हो सकता है, बशर्ते कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्दर वाद–कारण उत्पन्न हुआ हो।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि देहली उच्च न्यायालय को वाद सुनने का तथा अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार है। चूँकि प्रतिवादी ने प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन किया है, अतः प्रथम दृश्यता वादी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

3. एस्कार्टस कन्सट्रक्शन.....वादा

बनाम

ऐक्सन कन्स्ट्रक्शन.....प्रतिवादी

उल्लेख– ए. आई. आर. 1999 देहली 73.

विषय–यह केस प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 51 पर आधारित है।

तथ्य–वादी नं. 2 के अनुसार, उसने खास डिजायन का पिक–एन–केरी हाइड्रोलिक सेल्फ मोवाइल क्रेन बेचने के लिए पेश की। वह मशीन अब तक बनायी जा रही है। इसमें लगाये गये कर्मचारियों को मशीन के बारे में खबर देने की सख्त पाबन्दी थी। प्रतिवादी नं. 2 भी वादी की सेवा में कार्यरत था उसने दिसम्बर 1982 के मई 1992 तक कार्य किया। वह

प्रोडक्शन मैनेजर पद पर कार्यरत था उसकने दो वर्ष की अवधि के लिए परचेज मैनेजर के रूप में कार्य किया। उसको उच्च मशीन बनाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी हो गई थी। प्रतिवादी नं. 2 ने वादी के यहाँ नौकरी छोड़कर और यकायक पिक–एन–केरी हाइड्रोलिक मशीन का बनाना प्रारम्भ कर दिया। यह मशीन ऐसी ही थी जैसी कि वादी की है और उसने उस मशीन को बाजार में बेचने के लिए पेश किया। इससे वादी की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा तदानुसार वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन का दावा प्रस्तुत किया। इस वाद में वादी ने न्यायालय से निषेधाज्ञा, नुकसान के लिए वाद प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी अपना माल वादी का माल बताकर बेच रहा है।

प्रतिवादी ने वादी के दावे का प्रतिरोध कई आधार पर किया। प्रतिवादी का कथन था कि वादी उद्योग डिजाइन पिक–एनस–केरी हाइड्रोलिक सेल्फ मोवाइल केन के मालिक नहीं हैं बल्कि जल दस्यु (Pirators) हैं। वादी द्वारा निर्मित डिजाइन नया नहीं है बल्कि 30 भारतीय तथा विदेशी कम्पनियाँ इस डिजाइन का प्रयोग कर रही हैं। प्रतिवादी की ओर से यह भी कहा गया कि वादी का डिजाइन प्रतिवादी के डिजायन से मेल नहीं खाता है।

न्यायालय ने पक्षकारों के तर्कों को सुना व विचार किया कि प्रतिवादी का डिजाइन वादी के डिजाइन का पुनः उत्पादन है। वादी उक्त डिजाइन का मौलिक है। अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जब कोई व्यक्ति, कृति की अतिलंघनकारी प्रतियाँ विक्रय या भाड़े के लिए बनाता है या बिक्री करता है या व्यापार के तौर पर संप्रदर्शित करता है तो उस कृति में कॉपीराइट का उस समय अतिलंघन किया हुआ समझा जायेगा। वादी ने आदेश 39 नियम। व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र दिया है और आवश्यक निरपेक्षायें पूर्ण कर ली हैं अतः वादी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

4. ग्रामोफोन कम्पनी..... प्रार्थी

बनाम

शान्ति फिल्म कॉरपोरेशन.....उत्तरदाता

उल्लेख–ए. आई. आर. 1997 कलकत्ता 63.

विषय–यह केस प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 2(t), 13, 18, 19 पर आधारित है। इस केस में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यह चल सम्पत्ति में प्रभावकारी हित है यद्यपि यह अभियोज्य दावा नहीं है लेकिन यह हस्तान्तरणीय है।

तथ्य–इस केस में वादी ग्रामोफोन कम्पनी है जबकि प्रतिवादी फिल्म प्रोड्यूसर है। वादी तथा प्रतिवादी के मध्य एक इकरारनाम निष्पादित हुआ जिसके तहत प्रतिवादी ने वादी को इस फिल्म से सम्बन्धित सारे अधिकार रिकॉर्डिंग, टेप आदि के वादी को प्रदान कर दिया तदानुसार वादी समनुदेशिती बन गया। अतः वादी को टेपरिकॉर्डिंग आदि के सम्बन्ध में एकल अधिकार मिल गया। अन्य व्यक्ति इसका अतिलंघन कर रहा था अतः वादी ने यह वाद प्रतिवादी तथा अन्य व्यक्ति के खिलाफ निषेधाज्ञा तथा हर्जानुकसान का प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी की ओर से तर्क किया गया कि समनुदेशन प्रतिफल अदा नहीं किया। अतः इकरारनामा प्रवर्तनीय नहीं है। समनुदेशन आधा है। वादी पेमेन्ट करने के उपरान्त ही कृति का प्रयोग कर सकता था। अतः ऐसी परिस्थिति में इकरारनामा समनुदेशन का नहीं था। व्यक्ति लाइसेन्स का था और प्रतिवादी को अधिकार था कि वह लाइसेन्स किसी भी समय खण्डित कर सकता था या वापिस ले सकता था।

न्यायालय ने उभय् पक्षों के तर्कों को सुना न्यायालय ने विचार प्रकट किया कि लिप्यधिकार का अन्तरण किया जा सकता है, स्पष्टतः यह अभियोज्य दावा नहीं पलाभकारी हितों का अन्तरण किया जा सकता है। समनुदेशन को विलेख कराना भी आवश्यक नहीं है। विलेख के अवलोकन के पक्षकारों की का पता लग जाता है कि यह समनुदेशन है या लाइसेन्स है। समनुदेशन के समनुदेशित उस अधिकार का स्वामी हो जाता है जबकि लाइसेन्स के मामले प्रदानकर्त्ता की इच्छा पर ही इसका प्रयोग कर सकता है, समनदेशन ही प्रभावी माना जाता है। न्यायालय ने करारनामे का अवलोकन किया तथा मत व्यक्त किया कि इकरारनामा के द्वारा वादी को समनुदेशन का अधिकार

5. के. पी. एम. सुन्दरम.....प्रार्थी

बनाम

मै. रतन प्रकाशन मन्दिर .....विपक्षी

उल्लेख–ए. आई. आर. 1983 देहली 461.

विषय–यह केस प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 18,15, व 57 पर आधारित है। इस केस में अतिलंघन पर प्रकाश डाला गया है।

तथ्य–वादी एक लेखक है, अर्थशास्त्र की कई पुस्तकों का लेखक है। वादी का साधन है कि उसने प्रतिवादी नं. 1 को छपवाने तथा प्रकाशित कराने का सिर्फ लाइसेन्स प्रदान किया है। उन दोनों के मध्य 21–3–1959 को इकरारनामा निष्पादित हुआ। यह इकरार का खण्डन 17–4–1973 को हुआ। अतः प्रतिवादी को पुस्तक छपवाने व प्रकाशित कराने के अधिकार समाप्त हो गये। अतः वादी ने निषेधाज्ञा तथा हर्जा नुकसान का यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी ने घोर अतिलंघन किया है। इकरारनामा समाप्ति के बाद प्रतिवादी को पुस्तक छपवाने तथा प्रकाशित कराने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी ने उन पुस्तकें को बेचा भी है। जबकि प्रतिवादी को बेचने का भी अधिकार नहीं था।

प्रतिवादी ने कथन किया कि उसे वादी को रॉयल्टी देनी थी। रॉयल्टी के आधार पर वादी ने पुस्तकों छपवाने व प्रकाशित कराने का अधिकार प्रतिवादी को प्रदान कर दिया था। अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत, किसी विद्यमान कृति में कॉपीराइट का स्थायी या किसी भावी कृति में कॉपीराइट का होने वाला स्वामी अपने द्वारा या अपने सम्मकृतः प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुज्ञप्ति से उस अधिकार में किसी हित को मंजूर कर सकेगा।

अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत, किसी विद्यमान कृति में कॉपीराइट का स्वामी या किसी भावी कृति में कॉपीराइट का होने वाला स्वामी कॉपीराइट को समनुदेशित कर सकता है परन्तु यह कि भावी कृति में कॉपीराइट के समनुदेशन की दशा में समनुदेशन तभी प्रभावशील होगा जब कृति अस्तित्व में आ जायेगी। विद्वान् न्यायाधीश ने मत व्यक्त किया कि कॉपीराइट का समनुदेशन नहीं किया गया था। बल्कि कॉपीराइट का लाइसेन्स प्रदान किया था जो कि खण्डित कर दी गई अतः प्रतिवादी को पुस्तक छपवाने, प्रकाशित करने तथा बेचने का अधिकार समाप्त हो गया था।

अधिनियम की धारा 55 में कॉपीराइट के अतिलंघन पर सिविल उपचार की व्यवस्था है जबकि अधिनियम की धारा 57 में लेखक को विशेष अधिकार का प्राविधान है। न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि आदेश 39 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वादी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। अतः न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ वादी द्वारा लिखित पुस्तकें छपवाने, प्रकाशित करने तथा बेचने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दी।

(अ) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा स्वमी के अधिकारों का प्रशासन
(Administration of Rights of Owner)

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 34 के अनुसार प्रतिलिप्यधिकार स्वामी के अधिकारों के प्रशासन के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध किये गए हैं–

(1) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्ति जारी करके या अनुज्ञप्ति फीस संग्रहीत करके या दोनों प्रकार से किसी कृ ति में किसी अधिकार को प्रशासित करने के लिए अनन्य अधिकार, प्राधिकारों के स्वामी से प्राप्त कर सकती है किसी संविदा के अधीन प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिकारों के किसी स्वामी को ऐसा प्राधिकार वापस लेने का अधिकार होता है।

(2) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी किसी ऐसे विदेशी सोसाइटी या संगठन के साथ, जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के समरूप अधिकारों का प्रशासन करता है, ऐसे विदेशी संगठन या सोसाइटी को भारत में प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा प्रशासित अधिकारों का प्रशासन किसी विदेश में सौपने हेतु अथवा ऐसी विदेशी सोसाइटी या संगठन द्वारा किसी विदेश में प्रशासित अधिकारों का भारत में प्रशासन करने के लिए या करार करने के लिए सक्षम होती है।

ऐसी कोई सोसायटी या संगठन, भारतीय और अन्य कृतियों में अधिकारों के बीच अनुज्ञप्ति के निबन्धनों या संग्रह की गई फीस के वितरण के बारे में किसी भेदभाव की अनुमति नहीं प्रदान करती है।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अधिकारों के प्रशासन से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों को कर सकती है–

(1) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं अधिकारों के लिए धारा 30 के अधीन अनुज्ञप्तियाँ जारी कर सकेगी।

(2) ऐसी अनुज्ञप्तियों के अनुसरण में फीस संग्रह कर सकेगी।

(3) अपने स्वयं के व्ययों के लिए कटौती करने के पश्चात् अधिकारों के स्वामियों में ऐसी फीस का वितरण कर सकेगी।

(4) अधिनियम की धारा 35 के उपबन्धों के अधीन कोई अन्य कार्य जैसे–फीस के संग्रह और वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के बारे में ऐसे अधिकारियों के स्वामियों से अनुमोदन प्राप्त कर सकेगी तथा फीस के रूप में संग्रह की गई रकमों